

जीवन की पगडंडियाँ

- © डॉ. नरेन्द्र भानावत

- प्रकाशक
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग
वीकानेर-३३४००१ (राजस्थान)

- प्रथम सस्करण १९८६
- मूल्य : तीस रुपये

- मुद्रक
फ्रेंड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३

जीवन-शिल्पी
आचार्य श्री नानेश
को
सादर, सविनय
समर्पित





प्रकाशकीय

जीवन और समाज में सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य की विशुद्ध साधना की परिपालना की प्रेरणा देने तथा तदनुकूल माधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वि० स० २०१६ में आश्विन शुक्ला द्वितीया को श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ की स्थापना की गई।

सघ के उद्देश्यों की नमूनीति के लिए कई प्रवृत्तियाँ संचालित हैं, यथा समता दर्शन पर आधारित नव समाज-रचना, धार्मिक नैतिक परीक्षा बोर्ड का संचालन, पिछड़े वर्गों में सम्कार निर्माणकारी धर्मपाल प्रवृत्ति, समता प्रचार मंच, श्री गणेश जैन छात्रावास, श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार, श्री सुरेन्द्रकुमार माड शिक्षा समिति, आगम, अहिंसा, ममता एवं प्राकृत सस्यान, 'श्रमणोपासक' पाक्षिक पत्र का प्रकाशन, जैन विद्या के क्षेत्र में अध्ययन-अनुसंधान एवं साहित्य प्रकाशन, साधनाशील प्रवृत्ति वीर सघ आदि।

आत्मोत्कर्षकारी एवं समाजोन्नतिमूलक इन बहुमुखी सघ प्रवृत्तियों में सत्-साहित्य के निर्माण, प्रकाशन एवं वितरण की प्रवृत्ति का अपना विशेष महत्त्व है। विभिन्न ग्रंथमाला-योजनाओं के अन्तर्गत सघ द्वारा आगमिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, तात्त्विक, कथात्मक, काव्यात्मक, प्रवचनात्मक, व्याख्यात्मक, सस्मरणात्मक, प्रश्नोत्तर आदि विविध विधामूलक प्रेरणादायी उपयोगी साहित्य नियमित प्रकाशित होता है। कोई भी व्यक्ति या संस्थान १००१ रुपये प्रदान कर आजीवन साहित्य सदस्य बन सकता है। साहित्य-सदस्यों को सभी उपलब्ध प्रकाशन निःशुल्क भेजे जाते हैं।

सघ की ओर से पाक्षिक पत्र 'श्रमणोपासक' का विगत २४ वर्षों से नियमित प्रकाशन हो रहा है। इसमें जैनधर्म, दर्शन, संस्कृति, इतिहास और मानवीय सद्-भावनाओं को जागृत करने वाली रचनाएँ विविध विधाओं में प्रकाशित होती हैं साथ ही सघ की विविध प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन रहता है। इसकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ विचारोत्प्रेरक, आत्मस्पर्शी और दिशाबोधक होती हैं।

अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ और 'श्रमणोपासक' के रजत जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में 'श्रमणोपासक' में प्रकाशित डॉ० नरेन्द्र भानावत की चुनी हुई विशेष

सम्पादकीय टिप्पणिया 'जीवन की पगडडियाँ' नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता है। डॉ० भानावत प्रबुद्ध चिन्तक, सवेदनशील कवि, सृजनधर्मी समीक्षक और कुशल सम्पादक हैं। उनके लेखन में केन्द्र बिन्दु के रूप में कोई न कोई मौलिक विचार और तत्सम्बन्धी रचनात्मक सुभाषण रहता है। इन निबन्धों में व्यक्त किये गये विचार लेखक के अपने विचार हैं। इनसे सघ का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

प्रस्तुत कृति दो खण्डों में विभक्त है—'जीवन तत्त्व' और 'जीवन-व्यवहार'। 'जीवन तत्त्व' खण्ड में २६ निबन्ध हैं जिनमें क्षमा, मार्दव, आर्जव, समता, स्वतंत्रता, अनासक्ति, वीरत्व, तप, त्याग, सेवा जैसी मानवीय सद्वृत्तियों का जीवन-सार के रूप में विवेचन है। 'जीवन-व्यवहार' खण्ड में २४ निबन्ध हैं जिनमें सहयोग, सादगी, स्वावलम्बन, सन्तुलन, शिक्षा, दीक्षा, आजीविका-शुद्धि, व्रत-नियम आदि का व्यावहारिक समीक्षण है।

आशा है, यह कृति कटकाकीर्ण, भयावह, बीहड जीवन-अरण्य की भूल-भुलैया में पगडडी का काम देगी।

—गुमानमल चौरडिया

सयोजक

श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन साहित्य समिति

अनुक्रम अपनी बात प्रथम खण्ड जीवन-तत्त्व

पृष्ठ संख्या

१. हीरा जनम अमोल यह	१
२ परिधि से केन्द्र में आयें ' ज्योति भीतर उतारें	३
३ भीतर की खोज-यात्रा शुरू करें	५
४ मूल को सींचिये, शाखाएँ स्वयं लहन्हा उठेगी	८
५ वृद्धावस्था : वर्धमानता की प्रतीक	१०
६ मृत्यु को मगल में बदले	१३
७ आधुनिकता काल में नहीं, दृष्टि में	१५
८ आधुनिकता विचारों में आये	१७
९ स्वतन्त्रता और मानव-मूल्य	१६
१० वीरता-महावीरता की अवधारणा	२२
११ साधना और साधक	२४
१२ धर्म मनुष्यता का सहचर	२८
१३ धर्म वनाम धर्माभास	३२
१४. भावनाओं का चिन्तन, मनन और अभ्यास	३४
१५ रागद्वेष को जीतने की प्रक्रिया	३७
१६ क्षमा . जीवन का वमन्त	३६
१७ क्षमा भाव सही अर्थ में धारण करें	४२
१८ मार्दव भाव सहानुभूति और सामाजिकता के सदर्म में	४५
१९ आर्जव महज मंत्री धर्म	४७
२० शांतिधर्म : आत्म-शुद्धि और जीवन-शुद्धि के सदर्म में	५०
२१ तप कितना ताप, कितना प्रकाश ?	५२
२२ तप हमारे दैनिक जीवन-व्यवहार का अंग बने	५५
२३ सेवा आत्म कल्याणक भी लोक कल्याणक भी	५८
२४ अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह	६१
२५ अपरिग्रह-भाव अहिंसा का आधार	६३
२६ त्याग परिपाटी नहीं, दायित्व बोध है	६५
२७ सामायिक शुद्ध और सतेज बने	६८
२८ सामायिक मन की हो	७०
२९ ज्ञानी होने का मार अहिंसक होना है	७२

द्वितीय खण्ड जीवन-व्यवहार

पृष्ठ संख्या

३०	वसन्त प्रकृति मे ही नहीं जीवन और सस्कृति मे भी आये	७६
३१	प्राकृतिक सन्तुलन न विगडने दें	७६
३२	परिवर्तन की प्रक्रिया	८१
३३	जीवन का मूलाधार सघर्ष नहीं सहयोग	८३
३४	वरदान को अभिशाप मे न बदलने दें	८५
३५	लोकतत्र कितना लोक ? कितना तत्र ?	८७
३६	अन्त्योदय ही नहीं आत्मोदय भी	९०
३७	सास्कृतिक ममन्वय और भावनात्मक एकता	९२
३८	मादगी, जीवन-प्रणाली व जीवन-दर्शन मे उतरे	९६
३९	सही और निश्चित जीवन-दृष्टि विकसित हो	९८
४०	उपभोग वनाम उपयोग	१००
४१	ममय न चूकत चतुर नर	१०३
४२	आध्यात्मिक सम्पदा की गुणाकार वृद्धि हो	१०७
४३	लाभ शुभ हो	११०
४४	कषाय से समाय की ओर	११३
४५	नैतिक मूल्य वैयक्तिक एव सामूहिक दायरे मे	११६
४६	चरित्र-निर्माण और समाज-व्यवस्था मे व्रतो की प्रतिष्ठा	११८
४७	अध्ययन वनाम स्वाध्याय	१२०
४८	स्वाध्याय और उसकी प्रक्रिया	१२२
४९	शिक्षा और सस्कार	१२५
५०	दीक्षा का स्वरूप और महत्त्व	१२८
५१	ममता समाज-रचना मे साहित्य की भूमिका	१३०
५२	मूक प्राणियों की रक्षा	१३४
५३	चिदानन्द खेले होरी	१३८

अपनी बात

जीव का महत्त्व उसकी जीवन-शक्ति के कारण है। जीव जीव इसलिए है कि उसमें जीवन है। यह जीवन कहीं से आया, क्यों आया, कैसे आया और इसकी अन्तिम परिणति क्या है, इस पर ऋषि-मुनियों, दार्शनिकों, समाज वैज्ञानिकों और भौतिक विज्ञानवेत्ताओं ने अपने-अपने ढंग से चिन्तन किया है। पर यह प्रश्न अब भी अपनी रहस्यात्मकता लिए हुए है। जीवन का मूल आधार आन्तरिक चेतना शक्ति है। बाहर हमें जो कुछ दिखाई देता है, वह तो अत्यल्प है। आन्तरिक जगत् में जो स्पन्दना और सवेदना है, उसकी थाह लेने में बाहरी शक्तियाँ समर्थ नहीं हैं। बाहरी जगत् में जो हलचल उठती है, उसके अपने प्राकृतिक नियम हैं। उन नियमों के आधार पर भौतिक विज्ञानी समय-समय पर वर्तमान व भविष्य में होने वाली घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएँ और सभावनाएँ व्यक्त करते हैं, पर वे तदनु रूप घटित होती हो, ऐसा मदैव नहीं होता। फिर आन्तरिक जीवन-जगत् जो अदृश्य और अमूर्त है, उसमें घटित होने वाली सवेदनाओं, स्थितियों और शक्तियों को पकड़ पाना, उन्हें समझ पाना सामान्य मानव-शक्ति से परे है। यही कारण है कि जीवन, जगत् और ब्रह्म के पारस्परिक संबंधों को लेकर अनेक विचारधाराएँ विद्यमान हैं।

सामान्य रूप से हम जिस जीवन की चर्चा करते हैं वह जैविक जीवन है। जड़वादियों का मानना है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन तत्त्वों के संयोग से यह जीवन अस्तित्व में आता है। प्रकृतिगत और समाजगत परिवेश पाकर यह जीवन विकास करता है और उक्त तत्त्वों के वियोग होने पर अथवा विलय होने पर इस जीवन की समाप्ति हो जाती है।

पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो पता चलेगा कि जीवन के प्रति जैविक दृष्टि अत्यन्त स्थूल है। यदि जीवन इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है तो फिर जीवन के साथ अनुस्यूत आत्मिक गुणों के सतत विकास और परमात्म शक्ति में उनके परिणत होने का प्रश्न ही नहीं उठता और इस स्थिति में मानवीय मूल्यों की चर्चा

और साधना का पुरुषार्थ वेमानी हो जाता है। जीवन-मूल्यों की चर्चा तभी सार्थक बनती है जब आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में आस्था हो। अतः यह मान्यता अनुभवगम्य है कि इस पौद्गलिक शरीर से परे कोई विशिष्ट चेतना-शक्ति है जो इस भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है और सस्कारों की गुणाकार वृद्धि या क्षति भाव के अनुसार सतत होती रहती है।

जीवन का सम्बन्ध वस्तुतः चेतना-शक्ति से है जो अविनाशी है। शरीर के साथ इस चेतना-शक्ति का अन्त नहीं होता। उसमें जो पर्यायगत परिवर्तन दिखाई देता है, वह परिवर्तनशील पदार्थों के साथ उसका तादात्म्य होने के कारण ही। लोहा और आग के उदाहरण से इस तथ्य को समझा जा सकता है। लोहे को आग में तपाने पर जब उसे घन से पीटा जाता है तो लोहा और आग दोनों फैलते हुए नजर आते हैं। प्रश्न है, यहाँ फैलाव लोहे और आग दोनों में है या केवल लोहे में? वस्तुतः फैलता लोहा है पर आग का लोहे के साथ सपर्क है, अतः लोहे के साथ आग का फैलाव होता प्रतीत होता है। यहाँ आग चेतना है और लोहा शरीर। चेतना में जो परिवर्तन और सुख-दुःखात्मक अनुभव प्रतीत होता है, वह वस्तु या व्यक्ति के तादात्म्य के कारण ही होता है। यह जो चेतना है वही जीव का लक्षण और जीवन-शक्ति है। इस पर आवरण होने से यह जीवन-शक्ति प्रकट नहीं हो पाती। इसे प्रकटाना ही जीवन का लक्ष्य है।

सामान्यतः जीव आहार, निद्रा, भय, वासना आदि वृत्तियों में और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों में उलझा रहता है। इस कारण उसकी चेतना शक्ति सुषुप्त बनी रहती है। इन्द्रियों के विषयो—शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के सेवन में जीव आसक्त बनकर अपनी शक्ति का क्षरण करता रहता है। भोगवृत्ति में मोहित होकर जीव अपनी सवेदनाओं को कुण्ठित कर देता है। अपने स्वार्थ में ही वह उलझा रहता है। दूसरों के हित और भलाई के लिए उसमें प्रेम और कर्षण का भाव जागृत नहीं हो पाता। जीव होते हुए भी वास्तविक जीवन वह जी नहीं पाता। प्राण होते हुए भी वह पिघल नहीं पाता। यही जडता की स्थिति है। शास्त्रकारों ने इस स्थिति को मिथ्यात्व कहा है।

यह जडता जीवन नहीं है। जीवन है सजगता। सजगता का अर्थ केवल बाहरी हलचल नहीं बल्कि आन्तरिक जागरूकता है। 'जग' का अर्थ है जानना, प्राप्त करना, प्रगति करना। जो भोग-बुद्धि से, मोह-मूर्च्छा से ऊपर उठकर केवल अपनी सवेदनाओं को ही नहीं बल्कि प्राणिमात्र की सवेदनाओं को जानने और उनके प्रति सहृदय होने का सामर्थ्य विकसित कर लेता है, वही सचेतन है, सजग है। यह सजग चेतना निर्दोष, निर्विकार और निर्वैर होती है, क्योंकि उसकी दृष्टि उपभोगमूलक न

होकर उपयोगमूलक होती है। वह मानसिक विकारों और विभावों में नहीं भटकती। वह क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, तप, त्याग, समता जैसे आत्म-स्वभावों में रमण करती है। आत्म-स्वभाव के प्रति मचेष्ट रहना ही सजगता है। जो मजग होता है, वह अप्रमत्त होता है। उसे किसी प्रकार का लोभ-लालच, मोह-ममत्व नहीं होता।

जीवन में सजगता का भाव जागृत होने पर जीवन सघर्ष का नहीं, सेवा का क्षेत्र बन जाता है। 'जो शक्तिशाली है वह जीवित रहता है और जो निर्बल है, वह जीवन-सघर्ष में नष्ट हो जाता है या नष्ट कर दिया जाता है' इस भावना से ऊपर उठकर वह सबल और निर्बल सबके प्रति प्रेम और मैत्री का व्यवहार करता है। 'परस्परौपग्रहो जीवानाम्' के अनुसार परस्पर उपकार करते हुए, सबके प्रति महयोग और सहकार की भावना रखते हुए जीना ही सार्थक जीवन है। बाह्य सघर्ष से शक्ति क्षीण होती है। मन में तनाव और दबाव रहता है। जब सघर्ष दूसरों में न होकर अपने ही मनोविकारों के शमन के लिए होता है, तब सघर्ष शक्ति-सचय और शक्ति-रक्षण का साधन बनकर लोक सेवा में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार जीवन में प्राप्त शक्तियों के सदुपयोग के लिए व्यापक क्षेत्र और अवसर मिलता है। संपूर्ण जीवन फिर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए समर्पित हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति वर्षों में नहीं, कार्यों में जीवित रहता है, सासों में नहीं, विचारों में अभिव्यक्त होता है।

सजगता और सेवा से ओत-प्रोत जीवन ही वास्तविक और स्थायी जीवन है। ऐसा जीवन सुख-दुःख से परे अखण्ड आनन्द स्वरूप है। उसके चारों ओर शान्ति और समता का निवास रहता है। सामारिक नश्वर वस्तुओं से उसका सग झूट जाता है और अविनाशी परमात्म-शक्ति के साथ उसका सत्सग सतत चलता रहता है। जीवन की इस अवस्था में मृत्यु का भय या विचार नहीं रहता। मृत्यु अमरत्व की प्राप्ति का साधन बनकर आती है। विषय-विकारों से रहित ऐसा जीवन सक्रिय तो होता है पर कामनाशील नहीं। अखण्ड आनन्द की अनुभूति होने से वहाँ कोई अभाव या कमी रहती ही नहीं। कमी से ही कामना पैदा होती है। ऐसा जीवन सभी प्रकार की कमियों और कामनाओं से मुक्त होकर अपनी समस्त योग्यताओं और शक्तियों का पूर्ण विकास कर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है।

यहाँ जीवन के जिस स्वरूप पर विचार किया गया है, वह आज विकृत, विरूप और सकटग्रस्त है। आज जीवन मोटे तौर से जैविक चौखट में ही बन्द होकर रह गया है। आत्मिक-शक्ति के पूर्ण विकास की समझ घूमिल हो गयी है। चारों ओर भोगवृत्ति और हिंसा का खतरा अधिकाधिक बढ़ गया है। पहले के बीहड़,

सघन, विकट जगल आज कट गये हैं और उनकी जगह सूक्ष्म हिंसा, भय, द्वेष, लोभ, कलह और होड के नये, घने और भयावने जगल हर मन के भीतर उग आये हैं। आज पहाडो, घाटियों, नदियों और खाइयो को पाटकर विशाल राजपथ निर्मित हो गये हैं। साफ-सुथरी, लम्बी-चौड़ी सडकें बन गई हैं, जिन पर भारी भरकम वाहन दौडते हैं, भीड गुजरती है, जुलूस निकलते हैं। पर इन सबमे जीवन का प्यार नहीं, भार भरा है, मुस्कान नहीं, थकान है, सरक्षण का भाव नहीं, भक्षण का भय है, हृदय का अनुराग नहीं, युद्ध की आग है।

इस भयावह स्थिति मे जीवन कही खो गया है, जीवन का रस कही सूख गया है। केवल सडकें हैं, मजिलें कही दिखाई नहीं देती, तीव्र गतिशीलता है, स्थित प्रज्ञता का कही आभास नहीं होता। ऐसे कठिन समय मे जीवन की पगडडियो की तलाश आवश्यक है। पगडडी सीधा, छोटा और सरल मार्ग है। सघन, भयकर, कटीले, अघेरे, ऊबड-खाबड रास्ते मे एक तेजस्वी, सूक्ष्म ज्योति-रेखा है। यह पगडडी कही बाहर नहीं अपने भीतर ही बनानी है। अपनी भोगोन्मुख प्रवृत्तियो को सीमित, नियत्रित करके, तप और त्याग का सबल लेकर इसकी प्रक्रिया आरभ करनी है। इसमे स्वय को पुरुषार्थ करना होता है, अपने को खपाना होता है, स्वय को चलना होता है।

मनुष्य जन्म की यात्रा अनन्त पथ की यात्रा है। जब तक मजिल प्राप्त नहीं होती, सतत चलना ही चलना है। इस यात्रा मे जागरूकता, आत्म-विश्वास, दृढ इच्छा शक्ति, प्रेम, मैत्री, करुणा, अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, व्रतनिष्ठा, सस्कार-शीलता, सादगी, स्वावलम्बन, एकता, सतुलन, सयम पगडडियाँ हैं। इन पर चलकर ही गन्तव्य प्राप्त किया जा सकता है।

मानवीय सद्गुणो की ये पगडडियाँ प्राणिमात्र का सम्बल वनें, इसी भावना से इस कृति का प्रणयन किया गया है। इसमे दो खण्ड हैं। प्रथम खण्ड 'जीवन-तत्त्व' मे २६ निबन्ध हैं जिनमे मनुष्य-जन्म की महत्ता, आत्म-जागरण, आन्तरिक वीरत्व, आधुनिक भावबोध, स्वतन्त्रता, समता, क्षमा, कोमलता, सरलता, पवित्रता, अहिंसा, अपरिग्रह, तप, त्याग, वीतरागता जैसे जीवन-तत्त्वो का हार्द प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। द्वितीय खण्ड 'जीवन-व्यवहार' के २४ निबन्धो मे जीवन, सस्कृति और प्रकृति के परिप्रेक्ष्य मे मानवीय मूल्यो की व्यवहारगत विवेचना है।

ये निबन्ध समय-समय पर 'श्रमणोपासक' की सम्पादकीय टिप्पणियो के रूप मे लिखे गये हैं, अत कही-कही विचारो की पुनरावृत्ति परिलक्षित हो सकती है।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ और उसके मुखपत्र
'श्रमणोपासक' के रजत जयन्ती वर्ष में चुनी हुई जीवनमूल्यपरक सम्पादकीय
टिप्पणियों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया है, उसके लिए मैं सघ के प्रति
हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

आशा है, यह कृति सही जीवन-दिशा की ओर बढ़ने में पगडंडी सिद्ध
होगी।


सी-२३५ ए, तिलकनगर
जयपुर-३०२ ००४

—नरेन्द्र मानावत





प्रथम खण्ड



जीवन-तत्त्व

आज भारत की ही नहीं विश्व की जनमस्या तेजी में बढ़ती जा रही है। पर जिस अनुपात में जन होने का भाव अर्थात् मनुष्यता का विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। मनुष्य जन्म मिलना एक बात है और मनुष्य जन्म पाकर मनुष्यता का विकास होना दूसरी बात है। मनुष्य जन्म प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मनुष्य की ऐसी कुछ नैसर्गिक विशेषताएँ हैं जो अन्य जीवधारियों में नहीं मिलती। जैसे बुद्धि का प्राप्त होना, अतीत की बातों को याद रखना, भविष्य की कल्पनाएँ करना और मन के भीतर गहरे उतर कर आत्मलौनता की अनुभूति करना। ऐसा मनुष्य जन्म सहज प्राप्त नहीं होता। सस्कारगत सहज मरलता, विनम्रता, दयालुता और अमत्सरता जैसे सद्गुणों में ही इसकी प्राप्ति संभव हो सकती है।

पर कितने ऐसे लोग हैं जो हीरे के समान अनमोल मानव जीवन को प्राप्त कर उमकी रक्षा और बढ़ोतरी के लिये प्रयत्नशील रहते हैं? मनुष्य अपनी श्रेष्ठता को आन्तरिक रूप से ही प्रकट कर सकता है। यद्यपि यह अन्य जीवधारियों की तरह आहार करता है, नींद लेता है तथा अन्य दैहिक कार्य सम्पन्न करता है पर यह मग तो उसकी पण्डिता का ही प्रकटीकरण है। लार्ड वेकन ने बहुत ही सुन्दर ढग से कहा है—‘मनुष्य जो कुछ खाते हैं उससे नहीं, किन्तु जो कुछ पचा सकते हैं, उससे बलवान् बनते हैं। पढते हैं उसमें नहीं, जो कुछ याद रखते हैं, उससे विद्वान् होते हैं। उपदेश देते हैं, उससे नहीं, जो आचरण में लाते हैं, उसमें धर्मात्मा बनते हैं।’

वस्तुतः मनुष्य जन्म प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है वरन् उसे सार्थक बनाना भी महत्त्वपूर्ण है। “उत्तराध्ययन सूत्र” में भगवान् महावीर ने कहा है—इस ससार में प्राणियों के लिए चार अग परम दुर्लभ हैं—मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, धर्मश्रद्धा और समय में पुरुषार्थ अर्थात् धर्म प्रवृत्ति।^१ जो मनुष्य, मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी उसे


१ चत्वारि परमगाणि, दुल्लहाणीह जतुणो ।

सोने, खाने और ऐश-आराम में ही बिता देता है, उसके लिए हीरा जैसा अनमोल जीवन भी तुच्छ है। कहा भी है—

रात गँवाई सोय के, दिवस गँवाया खाय ।
हीरा जनम अमोल यह, कौड़ी बदले जाय ॥

मनुष्य जन्म पाकर धर्म श्रवण करना अर्थात् धार्मिक महापुरुषों के उपदेशों को सुनने का अवसर प्राप्त करना पुण्य का फल है। जिनके सस्कार अच्छे होते हैं वे ही धर्म की ओर प्रवृत्त हो पाते हैं। जो सस्कारहीन होते हैं उन्हें धर्म की बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता। धर्म की बात सुनकर उस पर श्रद्धा रखने वाले विरले ही होते हैं, अधिकांश लोग लोक-लिहाज से धर्मसभा में आ भी जाते हैं, व्याख्यान आदि सुन भी लेते हैं, पर उसे इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं अथवा शुष्क तर्कजाल में उलझ जाते हैं। धर्म पर श्रद्धा जमना भी पुण्य का फल है। धर्म श्रवण कर भी लिया, श्रद्धा जम भी गई पर यदि उसके अनुरूप प्रवृत्ति नहीं हुई, पुरुषार्थ नहीं जमा, धर्म आचरण में नहीं उतरा तो उसका पूरा लाभ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान की बातें करने वाले तो कई मिल जावेंगे, श्रद्धा रखने वाले भी मिल जावेंगे पर स्वयं समय में प्रवृत्ति करने वाले कम ही मिलेंगे। जिसने मनुष्य जन्म पाकर धर्म का श्रवण किया, उस पर श्रद्धा की और समय में पराक्रम दिखाया, उसी का मनुष्य जीवन सार्थक है। एक कवि ने ठीक ही कहा है—

मिले मोकळा मिनख पण, मिले न मिनखाचार ।



एक समय था, जब पश्चिमी देशों में धर्म का विरोध हुआ क्योंकि धर्म के भ्रामक निरूपण ने व्यक्ति को पराधीन बना दिया था। व्यक्ति के सुख-दुःख ईश्वराधीन कर दिये गये थे। सबका नियंत्रण ईश्वर के हाथ में सौंप दिया गया था। पर जब पश्चिमी देशों का सम्पर्क भारतीय दर्शनों विशेषकर जैन दर्शन में हुआ तब उन्हें अहसास हुआ कि ईश्वर के नियंत्रण और सुख-दुःख कर्ता रूप को अस्वीकार करके भी धर्मारोपण की जा सकती है। ईश्वर-निर्भरता से मुक्त कर, आत्म-निर्भरता की ओर प्रवृत्त करने की जैन दार्शनिक चिंतना ने पश्चिमी देशों में धर्म के प्रति नई जिज्ञासा और अन्त स्फुरण पैदा की। आज हम अन्त स्फुरणों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है।

व्यक्ति समाज की मूलभूत इकाई है। व्यक्ति की मजबूती और शुद्धता पर ही समाज की मजबूती और पवित्रता निर्भर है। मानव-सम्यक्ता के प्रारम्भिक चरण में जीवन सरल था। जीवनयापन के लिये मघर्षों के अवसर कम थे, पर ज्यो-ज्यो औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, मुद्रा का प्रसार हुआ, जीवन जटिल बन गया और जागतिक समस्याएँ बढ़ गईं। आज हर व्यक्ति इन समस्याओं को हल करने के लिये मघर्षरत है। पर विडम्बना यह है कि ये समस्याएँ हल होने के बजाय उत्तरोत्तर सुरसा के मुह की भाँति बढ़ती जा रही हैं, उलझती जा रही हैं।

क्या कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है ? दरअसल बात यह है कि आज व्यक्ति अपने को भूल कर, अपने को अलग कर, समाज और दूसरों के बारे में सोचता है। परिणाम यह होता है कि वह समस्याओं के चूने के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। समस्याओं से निपटने के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति परिधि में केन्द्र में आये और अपने आप को जाग्रत करे। यदि व्यक्ति स्वयं सुधर गया तो समस्याएँ स्वतः हल होती जाएँगी। भगवान् महावीर ने शायद इसीलिये कहा—जो एक को जानता है वह सबको जानता है—“जे एग जाणई, ते सब्ब जाणई।”

यह सच है कि व्यक्ति सब प्रकार की शक्तियों और क्षमताओं का पुज है। उसकी आत्मा ही सुख-दुःख की कर्ता और हर्ता है। उस पर निग्रह करना ही

सबसे बड़ी विजय है। जो पुरुष दुर्जय सग्राम में दस लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त करे, उसकी अपेक्षा यदि वह अपने आपको जीतता है तो यह उसकी परम विजय है।^१ इसलिये भगवान् महावीर ने कहा—आत्मा के साथ ही युद्ध कर, बाहरी दुश्मनों के साथ युद्ध करने से तुम्हें क्या लाभ—

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वज्झओ ।^२


आज दुनिया में जो हाहाकार, शोषण, हिंसा और अशान्ति है, उनका मूल कारण है क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आवेगों का आधिक्य और विषयासक्ति की लोलुपता। इससे निपटने के लिये आत्मानुशासन और मनोनिग्रह आवश्यक है। समाज में व्याप्त क्रोध को दूर करने के लिये आवश्यक है कि अपने में प्रेम पैदा करें, समाज में व्याप्त जमाखोरी और लोभवृत्ति को दूर करने के लिये आवश्यक है कि अपनी इच्छाओं का नियमन करें तथा प्राप्त सामग्री को जरूरतमद लोगों में बाँटें और समाज में व्याप्त द्वेषभाव को नष्ट करने के लिये आवश्यक है कि अपने में मैत्री वसायें। समाज में व्याप्त अन्धकार केवल बाहर ज्योति जलाने से मिटने वाला नहीं है, उसके लिये आवश्यक है कि ज्योति अपने भीतर उतारें।

१—जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्जेण जिणे ।

एण जिणेज्जे अप्पाण, एस से परमो जओ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ६/३४

२—उत्तराध्ययन सूत्र ६/३५



आज का युग विज्ञान का युग है, जगत् के रहस्यों को जानने और खोजने का युग है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक सम्यता का जो रथ आगे बढ़ा है वह इसी पथ पर। इस यात्रा को सुगन्ध और गुरधिन बनाने में मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर नये-नये आविष्कार किये हैं और द्रुतगामी उपकरण तथा माधन ढूँढ निकाले हैं जल, धन तथा नभ में विचरण करने के। वहिर्जगत की यात्रा में मनुष्य वेतहाशा भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। उसे क्षण भर भी विश्राम करने का समय नहीं।

इतनी दौड़-धूप करने के बाद भी मनुष्य शांत और सुखी नहीं है। क्योंकि उसने स्वभाव में स्थित न रहकर विभाव में विचरण करना शुरू कर दिया है। प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण कर अपने को विकृति के बाड़े में कैद कर लिया है। मनुष्य का वडप्पन इन्सान में भगवान् बनने में है, पर ज्ञान के अहम् ने उसे शरीर की पाँच-छह फीट की ऊँचाई में ही मिमटा कर रख दिया है। और इसी विन्दु पर वह अपने आपको सबसे बड़ा विवेकवान और खोजी समझ बैठा है। इसी भूल ने उसे व्याकुल और अशान्त बना दिया है।

कहा जाता है कि सृष्टि के आदिम युग में पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि, वादल, पहाड़, पेड़ आदि थे। प्रकृति का मनोहारी, निर्मल, प्रशान्त वातावरण था। फूल श्री-सौरभ लिये मुस्कराते थे, चिड़िया फुदक-फुदक कर मस्त तराने गाती थी। सब और शान्ति तैरती थी। पर ज्योंही मनुष्य पैदा हुआ स्थिति बदल गयी। वह बुद्धिमान् था। उसमें पुरुषार्थ और पराक्रम था। वह साहस व जीवट का धनी था। उसमें प्रेम, सहकार, मैत्री, करुणा, दया जैसी कोमल भावनाएँ थी पर धीरे-धीरे ये सब छूटती गईं और उनका स्थान प्रतिस्पर्धा, प्रतिशोध, कठोरता, कटुता, सघर्ष, ईर्ष्या, क्रोध जैसे भाव लेते गये। इन भावों के माध्यम से वह सस्कृति की छाया को विस्तार देना चाहता था पर इसके बदले विकृति का घेरा बढ़ता गया।

पर मनुष्य कब चुप रहने वाला था ? उसने पूजापाठ के नाम पर नये-नये व्यापार करने शुरू किये। मन्दिर बनाये व मिटायें जाने लगे। पक्षियों, पेड़ों व

जानवरो ने पूजा-पाठ का कोई विधान नहीं रचा, मन्दिर-मस्जिद नहीं बनाये पर मनुष्य ने पैदा होते ही सम्यता के नाम पर बड़े-बड़े प्रतिष्ठान खड़े कर दिये। आपसी मघर्ष से, स्वार्थ से उपद्रव होने लगे। मनुष्य को पद-पद पर मनुष्य से शिकायतें होने लगी। किसी को वर्षा की कमी, किसी को घूप की कमी, किसी को घन व जायदाद की कमी, किसी को पत्नी और पुत्र की कमी। सब अपनी-अपनी शिकायतें लेकर ईश्वर के पास पहुँचे। वे शिकायतें सुनने-सुनते तग आ गये। वे उसकी स्वार्थलिप्सा और अविवेकशीलता से परिचित थे। वे अब किसी तरह मनुष्य से वचना चाहते थे। ऐसे स्थान पर जाना चाहते थे जहाँ उन्हें मनुष्य खोज न सके।

पर ऐसा सुरक्षित स्थान कहाँ था ? हिमालय, पर नहीं वहाँ भी तो तेनसिंह और हिलेरी पहुँच सकते थे। चन्द्रमा, पर नहीं, वहाँ भी तो नील आर्मस्ट्रांग जैसे व्यक्ति पहुँच सकते थे। समुद्र, पर नहीं, वहाँ भी तो पनडुब्बियाँ पहुँच सकती थी। आखिर सोच-समझ कर ईश्वर मनुष्य के भीतर ही छिपकर बैठ गये। वहाँ वे सुरक्षित थे, अभय थे क्योंकि मनुष्य बाहर तो दौड़-घूप कर सकता था पर भीतर भाकने की उसे फुरसत नहीं थी। उसने बाहर तो अनेक नये-नये क्षेत्र खोज निकाले, समुद्र से तेल निकालने में वह सफल हो गया, धरती से नाना प्रकार के रत्न, जवाहरात प्राप्त करने में उसे सफलता मिल गयी। पर भीतर आत्मशक्ति का जो अनन्त प्रकाश है, तेज है, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं गया। बाहर उसने अनेक भव्य मन्दिर बनाये पर अपने मन-मन्दिर की ओर उसने भाका तक नहीं, बाहर उसने अनेक दीपक जलाकर प्रकाश किया पर भीतर ईश्वर ने जो अखण्ड दीप प्रज्वलित कर रखा है, उससे वह आलोक नहीं ग्रहण कर सका।

केवल बाहर के मन्दिर, दीपक और रत्न-जवाहरात मनुष्य को आनन्द और प्रकाश नहीं दे सकते। इसके लिए भीतर की खोज-यात्रा शुरू करनी आवश्यक है। यह यात्रा बाहर की तरह सरल नहीं है कठिन है। बाहर की यात्रा के लिए भी यात्री को काफी तैयारी करनी पडती है। सर्दी-गर्मी और वर्षा से वचने का प्रबन्ध करना पडता है। जीवन-निर्वाह के लिए सामग्री साथ लेनी पडती है और प्रकृति की अनुकूलता को ध्यान में रखना पडता है। जब कभी प्रकृति की प्रतिकूलता रहती है, तब खोज का कार्यक्रम स्थगित करना पडता है। उदाहरण के लिए वर्षाकाल में या जब समुद्र तूफान पर होता है, तब तेल की खुदाई आदि के कार्य रोक दिये जाते हैं। जब बाहरी खोज के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, तब फिर भीतर की खोज के लिए सयम, शान्ति आत्मविश्वास, जागरूकता, धैर्य आदि की कितनी आवश्यकता है, यह खोजी स्वयं सोचे।

आज बाहर की खोज-यात्रा जितनी सुरक्षित और भय रहित प्रतीत होती है, भीतर की खोज-यात्रा उतनी ही अमुरक्षित और भयप्रद। कारण कि मनुष्य अपने

भीतर से जुड़ा हुआ नहीं है। जब तक कोई अपने भीतर से जुड़ता नहीं, तब तक वह सुरक्षित और अभय नहीं बनता। अपने आपको सुरक्षित, अभय और प्रशान्त बनाने के लिए भीतर की खोज-यात्रा शुरू करनी होगी। यदि यह यात्रा एक बार शुरू हो गयी तो फिर वह बहुत सरल है, सीधी है। तो आइये, हम आज से ही अपने भीतर में जुड़ने का अभियान आरम्भ करें। वही हमें ईश्वर मिलेगा, ईश्वरानुभूति होगी।





मूल को सींचिए शाखायें स्वयं लहलहा उठेंगी

जब कभी आप अपने को असहाय और निराश महसूस करें तो घबरायें नहीं, आस्था और विश्वास की जड़ों से चिपके रहे। कोई व्यक्ति बाहरी रूप से कितना ही आकर्षक और लुभावना क्यों न लगे, यदि उसकी आन्तरिक मजबूती और पकड़ नहीं है तो उसका सारा सौंदर्य क्षणिक है, शीघ्र ही मुरझा कर नष्ट होने वाला है। इसके विपरीत पतझड़ में ठूठ रूप में खड़े वृक्ष को देखिये, वह कितना कुरूप और आकर्षण रहित है। फिर भी उसे अपने अस्तित्व पर गहरी आस्था है और विश्वास है भावी जीवन की हरियाली पर। इसी आस्था और विश्वास के बल पर पतझड़ से वमत् महकता है और रग-रग में नव जीवन का, नये रक्त का संचार हो उठता है।


लोग कहते हैं आज का व्यक्ति अधिक तार्किक बन गया है और इसी कारण वह शकालु तथा सशयी भी हो गया है। मन में किसी वस्तु या पदार्थ को जानने की जिज्ञासा या शका उठना बुरा नहीं है। ज्ञान को निश्चय बनाने के लिए यदि शका सहायक बनती है तो वह वरेण्य है, पर यदि उससे आस्था हिलती है विश्वास ढिगता है और जीवन-तन्तु टूटता है तो उसका सम्बल हितकर नहीं कहा जा सकता।

आस्था और विश्वास का निवास शरीर में न होकर मन में है, शाखाओं में न होकर जड़ में है, अतः शरीर के बाहरी बनाव-सिंघार से रम नहीं मिलता, रस मिलता है मन के रन्ध्रों से। मन निर्मल और स्वस्थ बना रहे, एकाग्र और स्थिर बना रहे, प्रकाशमान और जागरूक बना रहे। इसके लिए आवश्यक है गहरे उतरा जाय, तप, ध्यान और समाधि से मन की वृत्तियों को सींचा जाय।

एक छोटे से बीज में विशाल वट वृक्ष बनने की क्षमता निहित है। यही बात मन की है। बीज को यदि अभीष्ट मिट्टी, हवा, रोशनी और पानी का सहयोग मिल जाय तो वह अकुरित होकर वृक्ष के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मन को अनुकूल आधार मिल जाय तो वह महान् बन जाता है। वस्तुतः महानता का मन्वन्ध शरीर की लम्बाई-चौड़ाई से न होकर मन की मजबूती और शक्ति से है। शरीर का विकास तो एक स्थिति पर आकर रुक जाता है पर मन की चेतना का विकास उत्तरोत्तर होता रहता है और अन्ततोगत्वा वह मन से परे

परमात्म शक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। साधारण पुरुष और महापुरुष में जो अन्तर है, वह शरीर का न होकर मन का है। मन की गति बड़ी विचित्र है। वह विष भी है और अमृत भी, व्यष्टि भी है और समष्टि भी, अगार भी है और शृ गार भी। उसे किम और प्रवृत्त करना, यह स्वयं व्यक्ति की जागरूकता पर निर्भर है।

आज का व्यक्ति अधिक भयातुर और चंचल है। उसके जीवन में इतनी अधिक फिसलन है कि वह मूल धरातल को पकड़ ही नहीं पाता। नींव की मजबूती का अहसाम किये बिना ही वह शिखर की ऊँचाई को छूना चाहता है, मूल को सींचे बिना ही वह रस भरे फल चखना चाहता है और इसी आपाधापी में वह वेतहाशा दीडता रहता है। स्थिरता की बात करता है पर अस्थिरता की मुद्रा में, मूल्यों की चर्चा करता है पर मूल्यहीनता के माहौल में, प्रतिबद्धता की दुहाई देता है पर स्वयं अपने से असम्बद्ध होकर। यह स्थिति व्यक्तित्व को तोड़ने की स्थिति है, जोड़ने की नहीं। जब तक व्यक्ति अपने पास रही हुई अमृत-गगरी को छोड़कर दूरस्थ मागर के लिए भटकेगा, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। आवश्यकता है अपने भीतर छलकते रस को आत्मसात करने की।



वृद्धावस्था : वर्धमानता की प्रतीक

मानव जीवन की तीन मुख्य अवस्थाएँ हैं— बचपन, जवानी और बुढ़ापा । इन तीनों अवस्थाओं का अपना-अपना महत्त्व है । बदलते सामाजिक मूल्यों और तकनीकी विकास ने भारतीय परम्परा की सयुक्त परिवार प्रथा को काफी झकझोर दिया है । आर्थिक दबाव के कारण अब सयुक्त परिवार की प्रथा गाँवों में भी टूटने लगी है । महानगरीय सभ्यता के विकास ने ग्रामीणों को भी नगर की ओर भागने के लिए प्रेरित और विवश किया है । फलस्वरूप वृद्ध लोगों की समस्याएँ पहले की अपेक्षा अधिक जटिल बन गयी हैं ।

भारतीय जीवन पद्धति में वृद्ध सदैव आदर और श्रद्धा के पात्र रहे हैं । शारीरिक दृष्टि से यद्यपि वृद्धावस्था में व्यक्ति के सवेगो, बुद्धि, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, शारीरिक क्रिया आदि में कमी आ जाती है तथापि ज्ञान और अनुभव में बढ़ोतरी होती रहती है । वृद्ध का सबंध क्षति से न होकर वृद्धि से है । यह वृद्धि केवल वय की न होकर अनुभव, ज्ञान, तप, साधना, निरीक्षण, परीक्षण आदि सब की है । पर आज सामान्यतः ऐसा देखा और सुना जाता है कि कई परिवारों में वृद्धों की स्थिति आदरणीय और उपलब्धिमूलक न होकर उपेक्षणीय और भारभूत बनती जा रही है । वृद्ध स्त्री—पुरुष फालतू और अनुपयोगी समझे जाने लगे हैं । यह स्थिति अवश्य ही चिन्तनीय है ।

आज हमारे समाज में वृद्धावस्था के दो चरण हैं । जो लोग सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करते हैं, वे 55 अथवा 58 वर्ष की आयु में काम-काज से सेवा निवृत्त कर दिए जाते हैं यद्यपि उनमें कार्य करने की क्षमता व सक्रियता बनी रहती है । ऐसे लोग काम के अभाव में एकाकीपन महसूस करते हैं और उनके लिए अवकाश का समय चिताना कठिन हो जाता है । अतः यह आवश्यक है कि ऐसे लोगों का सर्वेक्षण कर उनकी क्षमता एवं अभिरुचियों का पता लगाया जाए और उनके समय का सदुपयोग समाज-सेवा में किया जाए । अच्छा तो यह हो कि ऐसे लोगों के लिए सेवा निवृत्त होने से पहले कम से कम तीन माह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाए ।

वृद्धावस्था का दूसरा चरण वह है जब वृद्ध व्यक्ति अपनी शारीरिक एवं यदाकदा मानसिक सक्रियता भी खो बैठता है । ऐसे वृद्ध स्त्री—पुरुषों का उपयोग

समाज-सेवा में नहीं किया जा सकता वरन् इसके विपरीत समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उनकी सेवा और देखभाल करे। पाश्चात्य देशों में तो वृद्ध स्त्री-पुरुषों के लिए काफी सख्या में वृद्ध-आश्रम हैं जहाँ आराम में वृद्धावस्था बिताई जा सकती है। पर हमारे देश में ऐसे आश्रमों की बड़ी कमी है। भारतीय आश्रम-व्यवस्था में गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने कामकाज और व्यापार से निवृत्त होकर समाज-सेवा में प्रवृत्त होता है। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी तो नियमानुसार अपने कामकाज से निवृत्त हो जाते हैं पर स्व-व्यवसाय में लगे हुए लोगों के लिए कामकाज से निवृत्त होने का कोई अनिवार्य नियम नहीं है। वानप्रस्थाश्रम का विधान इसके लिए स्वैच्छिक व्यवस्था देता है। पर इसकी प्रियान्विति नहीं के बराबर होती है अतः यह आवश्यक है कि स्व-व्यवसाय में लगे हुए लोग स्वयं निवृत्ति लेकर एक आयु के बाद सेवा-कार्यों में प्रवृत्त हो।

वृद्धावस्था जीवन के अनुभवों का निचोड़ है अतः वृद्ध स्त्री-पुरुषों को अपने में कभी भी हीन भावना नहीं लानी चाहिए। उन्हें अपना दृष्टिकोण रचनात्मक रखना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि अधिकांश वृद्ध स्त्री-पुरुष या तो अतीत में जीते हैं या भावी चिन्ता से ग्रस्त रहते हैं। उन्हें वर्तमान में जीते रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। जो समय के साथ अपना मयायोजन कर लेता है, काल उसके लिए कला बन जाना है। जीवन में विवेकपूर्ण सतुलित दृष्टि का विकास कर वृद्ध व्यक्ति को अपनी जीवन-पद्धति तथा दिनचर्या इस प्रकार नियोजित करनी चाहिए कि वह दूसरों के लिए भारभूत व बाधा न बने। जहाँ तक बन सके छोटा-मोटा काम तो स्वयं करना चाहिए। जैसी अपनी क्षमता व योग्यता हो, उसका लाभ परिवार और समाज को बराबर देते रहना चाहिए। वह परिवार में रहते हुए भी अपने बड़प्पन का भार पारिवारिक सदस्यों पर न लादे। अपने को वह कमलवत् रखे।

सामान्यतः देखा जाता है कि वृद्ध व्यक्ति प्रायः मृत्यु से भयभीत बना रहता है। यह स्थिति आत्म-विश्वाम और आध्यात्मिक भावना की कमी के कारण बनती है। मृत्यु तो एक न एक दिन निश्चित है, फिर उससे डरना क्या? मृत्यु को यातना और यत्रणा न मानकर साधना और मंत्रणा माना जाए। मृत्यु तो वस्तुतः नये जीवन की शुरुआत है। पुराने वस्त्र को बदलकर नये वस्त्र को धारण करने की प्रक्रिया का नाम है—मृत्यु। अतः इसकी तैयारी के लिए सदैव कषायों को मद्द करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसीलिए सथारा अथवा समाधि मरण का विशेष विधान है।

वृद्धावस्था जीवन की पूर्णता की ओर बढ़ने का उपक्रम है। जार्ज बर्नार्डिंश ने इस मवय में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि जीवन के असली आनन्द

की यात्रा तो साठ वर्ष के बाद शुरू होती है। इसके पूर्व तो व्यक्ति भाग दौड़ कर केवल सीढियाँ बनाने में लगा रहता है। इन सीढियों को पार कर जीवन की सफलता का सच्चा आनंद तो वृद्धावस्था में ही अनुभूत किया जा सकता है। आश्रम व्यवस्था में सन्यास की अवस्था इसी कोटि की है जब व्यक्ति सासारिक माया-मोह से अलग हटकर अपने को स्वामी नहीं वरन् सम्यक् न्यासी मानता है। इस अवस्था में सब प्रकार की विकृतियों से हटकर उसे प्रकृति के निकट आना चाहिए। प्रकृति यानि स्वभाव-स्वभाव यानि धर्म। अपने को पहचानने की सही खोज का अवसर प्राप्त होता है इस अवस्था में। अतः उसे प्रकृति के कण-कण में सौन्दर्य की अनुभूति करना चाहिए। इस अवस्था में उसकी बाह्य इन्द्रियों का भले ही क्षरण होता हो पर उसकी आन्तरिक सवेदनाएँ अधिक सजग और प्रज्ञावान हो उठती हैं। यदि वह अपने में विवेक जागृत कर पाता है तो वह जरा का अनुभव नहीं करता।

हमारे यहाँ पुराने कर्मों को नष्ट करने की प्रक्रिया को निर्जरा कहा गया है। निर्जरा का अर्थ है देवता। देवता के लिए कहा जाता है कि वह बूढ़ा नहीं होता। इसका प्रतीकार्थ यही है कि जो निर्जरा की बाह्य और आभ्यन्तरिक प्रक्रियाओं से गुजरता है अर्थात् तप करता है वह कभी जरावस्था को प्राप्त नहीं होता। वह सतत जागरूक और सवेदनशील बना रहता है। इसी अर्थ में वृद्धावस्था क्षयमानता की नहीं, वर्धमानता की प्रतीक है।



जीना जैसे एक कला है, वैसे मरना भी एक कला है। जो लोग यह कला नहीं जानते वे जीते हुए भी मृत हैं और जो यह कला जानते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हुए भी जीवित हैं। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है ही, फिर हाय-हाय करते हुए क्यों मरा जाय ? मृत्यु दार्शनिकों की दृष्टि में, जीवन का विनाश नहीं बरन् नये जीवन का प्रारम्भ है। आपने बीज देखा होगा। जब वह खेत में बोया जाता है, क्या अपने को मिट्टी से अलगगाये रखता है ? जब तक उसमें और मिट्टी में अलगगाव है, तब तक वह अकेला है, शक्तिहीन है, रसहीन है। उसे शक्ति और रस मिट्टी में घुलने, सड़ने और मिटने पर ही मिलते हैं, इसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वह अकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित होता है। अकेला होकर भी अनेक बीजों का जनक बन जाता है। उसमें यह क्षमता और नया जीवन कहां से आया ? घुलकर ही, मिटकर ही। यदि बीज अपने को मिट्टी में नहीं मिलाता तो क्या वह वृक्ष बन जाता ? अनेक बीज पैदा करने की क्षमता प्राप्त कर पाता ?

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसका मुस्कराते हुए स्वागत करने में ही जीवन का विकास है, मन की प्रसन्नता है। क्या आप परिवर्तन को नकार कर सुख अनुभव कर सकते हैं ? आगन में खेलता हुआ बालक हमें प्रिय लगता है पर क्या हम वर्षों तक उसे उसी स्थिति में देखना पसन्द करते हैं ? बच्चे की तुतलाहट हमारे मन को गुदगुदाती है, पर क्या हम उसे निरन्तर तुतलाते रहना ही देखना चाहते हैं ? नहीं, कदापि नहीं। हम बच्चे में निरन्तर विकास की ही कामना करते हैं। यदि किसी कारण यथामय उसका अनुकूल विकास नहीं होता तो हम चिन्तित हो उठते हैं और कुशल चिकित्सक से उसका उपचार कराते हैं।


जब हम एक बच्चे के बाह्य विकास के लिये इतने सचेत रहते हैं तब फिर अपने भीतरी विकास के लिये सचेतन क्यों नहीं होते ? हमारा भीतरी अंश बड़ा जटिल है। उसमें नाना सकल्प, विकल्प और उद्वेग हैं। बाहरी विकास की तो अपनी एक सीमा है, उससे आगे वह बढ़ता नहीं पर भीतरी विकास की अनन्त सभावनायें हैं। भीतरी खजाना भरा पडा है। उसे खोलने की कुंजी हाथ लग जाय तो जीवन सार्थक बन जाय। इसके लिये प्रयत्न करके देखें। ऋषि-महर्षियों,

सन्त-महात्माओं और गुरुजनों का मार्गदर्शन बड़ा सहायक बनता है इस दिशा में । उनका सान्निध्य मृत्यु की कला सिखा सकता है, मृत्यु को मगल में बदलने का मंत्र दे सकता है ।

कहा जाता है कि भगवान् बुद्ध के पास एक दुखियारी स्त्री गौतमी, अपने मृत बेटे को लेकर आयी और निवेदन करने लगी-भगवन् । मेरा यह लाडला सो गया है । लोग कहते हैं—यह मर गया है पर मैं कहती हूँ यह गहरी नीद में सोया है । किसी को जगाने की कला आती हो तो यह जाग जाये । भगवन् । आप इसे जगाइये । भगवान् बुद्ध उसके अज्ञान पर मुस्कराये और बोले—तुम जाकर कहीं से एक मुट्ठी सरसो ले आओ । गौतमी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई । वह बोली मैं अभी लेकर आती हूँ । गौतम बुद्ध ने धीरे से कहा—पर एक शर्त है, सरसो के दाने उस घर से ही लाना, जहाँ कोई मरा न हो । गौतमी ने विनम्र होकर कहा—ऐसा ही होगा भगवन् ।

गौतमी दिन भर घूमती रही । सरसो के दानों की कमी नहीं थी । मुट्ठी भर क्या, गाडियाँ भर मिल गये थे दाने, पर ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ कोई मरा न हो । किसी के घर में बाप मरा था तो किसी की माँ, किसी का भाई मरा था, तो किसी की बहिन । एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ कोई मरा न हो । गौतमी हिम्मत हार कर भगवान् के चरणों में लौट आई और आप वीती कह सुनाई । बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा—जिसने जन्म लिया है, वह तो मरेगा ही । मृत्यु अनिवार्य है, उससे डरो मत । उससे मैत्री करो, उसे मगलमय बनाओ ।

मृत्यु मगल कब बन सकती है ? जब जीवन में समता आये, जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश फूटे, जब किसी के प्रति न राग रहे और न द्वेष । समाधि और समभाव की स्थिति में जो मृत्यु आती है, वह ऐसी स्थिति दे जाती है कि फिर जन्म लेना ही नहीं पड़ता । जब तक यह स्थिति नहीं आती, तब तक अज्ञानी जीव मृत्यु से भय खाता रहता है और जन्म-मरण के भव-चक्र में घूमता रहता है । मृत्यु प्रमरता का प्रवेश द्वार है, परमानन्द की सीढ़ी है । ऐसा समझ कर किसी की मृत्यु पर शोक न करो और न अकाल मृत्यु की इच्छा करो ।



आधुनिकता काल में नहीं, दृष्टि में

आज चारों ओर आधुनिक बनने की होड़ मी लगी हुई है । खानपान, रहन-सहन, रीति-रिवाज, चाल-ढाल, पहनावा सब में परम्परा को नकारने और आधुनिक बनने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की हवम तीव्र होती जा रही है । फल-स्वरूप आधुनिकता के नाम पर कृत्रिमता, यात्रिकता, कामुकता और दिखावे को जीवन-स्तर के मानदण्ड के रूप में स्वीकारा जाने लगा है । निश्चय ही यह स्थिति भ्रामक और अनिष्टकर है । हमें आधुनिकता में निहित दृष्टि को समझने की जरूरत है ।


कोई भी क्षण नितान्त निरपेक्ष नहीं होता । वह अतीत से जन्म लेता है और भविष्य को जन्म देने की क्षमता अपने में समेटे रहता है । उस क्षण की विशेषता स्थिति में न होकर गति में निहित रहती है । पुनः पुनः नवीन बनने की विकामात्मक क्षमता ही उसका अपना वैशिष्ट्य है । वह अतीत के ग्राह्य अंश से पुष्ट और भविष्य की आशा-भूमि से तरोताजा बना रहता है । इस नाते आधुनिकता का न तो अतीत से और न भविष्य से विरोध है । हाँ, उससे विद्रोह और क्रान्ति-धर्मिता के तत्त्व अवश्य सक्रिय बने रहते हैं । इस दृष्टि से प्रत्येक क्षण आधुनिक होता है । पर जब चिन्तन-क्षण में कोई नई दृष्टि नहीं होती तो वह नवजात होकर भी पुराना और वासी हो जाता है । संक्षेप में आधुनिकता का निवास किसी काल में न होकर नवनवोन्मेषशालिनी दृष्टि में होता है ।

आधुनिकता की यह दृष्टि बाहरी पर्यावरण को प्रभावित करने की अपेक्षा मनुष्य के अन्तर्जगत को अधिक प्रभावित करती है । दुर्भाग्य से औद्योगिक क्रान्ति और तकनीकी विकास ने भौतिक सुख-साधनों को विशेष महत्त्व देकर मनुष्य की अन्तश्चेतना को उपेक्षणीय बना दिया है और जीवन में भौतिक सुख-साधनों के माध्यम से इन्द्रिय-विषयो के सेवन की होड़ और उससे उत्पन्न अतृप्ति, सत्रास, घुटन, कुण्ठा, एकाकीपन को आधुनिकता का जामा पहना दिया है । मनुष्य की पाशविकता और पशुता को सतुष्ट करने वाले साधनों के उत्पादन और संग्रह में अग्रणी देशों को आधुनिक और सभ्य मानने की प्रवृत्ति ने मनुष्यता को अवमानित और उपेक्षणीय बना दिया है ।

हमें स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्य का जीवन केवल उसका शरीर नहीं है, वह केवल अपने लिये नहीं जीता। ज्यो-ज्यो दूसरो को जिलाने के लिये स्वयं के जीवित रहने की भावना का विकास होता जाता है, त्यो-त्यो पशुता के ऊपर मनुष्यता की विजय होती चलती है। समय, पुरुषार्थ और साधुता की यह शक्ति ही मनुष्य में इन्द्रियपरायणता के स्थान पर जितेन्द्रियता, पर-नियन्त्रण के स्थान पर स्व-नियन्त्रण और विरोधी परिस्थितियों में सामंजस्य और सतुलन कायम करने की सामर्थ्य पैदा करती है। इस सामर्थ्य और दृष्टि को ही आधुनिकता माना जाना चाहिये।

इस दृष्टि से आधुनिकता किसी काल खड की उपज नहीं, आन्तरिक शुचिता और कठोर साधना का फल है। आधुनिक युग में जो विभिन्नवाद सामने आये हैं, उनके प्रवक्ता भौतिक और वाहरी पर्यावरण को देखने-परखने के ही आदी रहे हैं। उनकी पहुँच मनुष्य की वाहरी जरूरतों को पूरा करने तक ही रही है। उसकी आन्तरिकता को, मनुष्यता को न वे छु पाये हैं, न समझ पाये हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा व्यक्त किए गये विचार आज पचास-साठ वर्षों में ही चूक गए हैं। वे अपनी प्रासंगिकता खो बैठे हैं जबकि महावीर, बुद्ध जैसी मनीषा के विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरक हैं।

आधुनिकता के नाम पर प्रचलित नारो एव वादों में न उलझ कर हमें मनुष्य में जो सर्वोच्च है, उसे उपलब्ध करने के प्रयत्नों के लिये समर्पित होना चाहिये। यही वास्तविक आधुनिक भावबोध है।




आज हर व्यक्ति आधुनिक बनने में गौरव अनुभव करता है। आधुनिक बनने का अर्थ है, विचारों में क्रान्ति, समसामयिक परिस्थितियों के प्रति जागरूकता और अपने राष्ट्रीय परिवेश और सांस्कृतिक दाय के प्रति मजबूत आस्था। पर तथाकथित आधुनिक बनने वाले लोग आधुनिकता के इन तत्त्वों को आत्मसात् किये बिना ही आधुनिकता का आवरण ओढ़े रहते हैं। वे आधुनिकता को मन से सम्बद्ध न मानकर तन से सम्बद्ध मानते हैं। फलस्वरूप आधुनिकता उनके लिये फंशन की तरह विविध रूप बदलकर आती है। विचार क्रान्ति की तरह शक्ति और स्फूर्ति लेकर प्रकट नहीं होती। ऐसे लोग भौतिक समृद्धि, इन्द्रिय-सुख और जीवन को वैज्ञानिक आविष्कारों से प्राप्त विलासपूर्ण सुविधाओं में सम्पन्न बनाने में ही आधुनिकता को साक्षात् करना मानते हैं। जो लोग विचार-जगत् में अन्धविश्वासों, प्रगति-बाधक रूढ़ियों और प्रतिगामी शक्तियों का विरोध करके भी आचार-व्यवहार में, रहन-सहन में विशुद्ध भारतीय परिवेश और लोक परम्परा से जुड़े हुए हैं, वे उन्हें आधुनिक नहीं लगते। पर जो आधुनिक साज-सामान और आरामदायक विलासपूर्ण सामग्री से अपनी जिन्दगी को नया रंग-रूप देते हैं और विचारों में दकियानूसी, रूढ़ि-पालक, जातिवाद, सम्प्रदायवाद और सकीर्णताओं में ग्रस्त हैं, वे उन्हें आधुनिक लगते हैं।

आधुनिक और आधुनिकता को लेकर यह विरोध और द्वन्द्व केवल गृहस्थों तक ही नहीं, सन्त-महात्माओं तक व्याप्त हो गया है। जिन्होंने दैहिक सुख-सुविधाओं और सांसारिक भोग-लिप्सा की प्रवृत्ति को छोड़कर आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण की निष्काम भावना से सन्यास ग्रहण किया है, निवृत्ति-पथ अपनाया है, वे भी आज भौतिक सुख-सुविधाओं और वैज्ञानिक उपकरणों से प्राप्त आरामतलव जिन्दगी का मपना लेने लगे हैं, उसे प्रत्यक्ष करने के लिये बौद्धिक तर्क देने लगे हैं। यह स्थिति निश्चय ही चिन्तनीय है।

जैसा कि कहा जा चुका है, आधुनिकता कोई शारीरिक बनाव-शृंगार या दैहिक प्रसाधन नहीं है। यह एक मानसिक वृत्ति और साहसपूर्ण विचार-क्रान्ति है। भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध, सन्त कबीर, गुरु नानक, महात्मा गाँधी आदि महान

पुरुष जीवन-व्यवहार और रहन-सहन के तौर-तरीको मे अत्यन्त सादगी बरतते हुए भी तथाकथित आधुनिक कहे जाने वाले विचारको से कोसो आगे थे । कहना चाहिये कि आधुनिकता तभी प्रकट होती है, जब समाज मे व्याप्त जड परम्पराओ को भकभोरा जाता है । धर्म, त्याग, तप और पूजा के नाम पर व्याप्त आडम्बर और प्रदर्शन के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है । समाज के पद-दलित, अस्पृश्य, आर्थिक विपन्नता और पिछड़ेपन से ग्रस्त लोगो को मानवीय सहानुभूति का स्पर्श देकर गले लगाया जाता है । आत्मा के चरम-विकास के लिये उन्हे हर सभव साधन और सुविधा तथा पुरुषार्थ करने का अवसर प्रदान किया जाता है ।

यह दु ख की बात है कि आज आधुनिकता के नाम पर घर बाजार बनते जा रहे हैं, धर्म-म्यान अलकार कक्ष बनते जा रहे हैं और तथाकथित धार्मिक कहे जाने वाले अपने जीवन-स्तर और रहन-सहन के तरीको को विज्ञान के उपकरणो के आश्रित करते जा रहे हैं । हमारी दृष्टि से वास्तविक आधुनिकता का स्थान विचार-जगत् है । विचारो की गति प्रतिगामी और अधोमुखी नहीं होनी चाहिये । आधुनिकता से सम्बन्धित विचारो मे पारम्परिक मूल्यो, सास्कृतिक दाय और परिवेश के प्रति घृणा और उपेक्षा का भाव नहीं बरन् सवेदना और सहानुभूति का साहचर्य होना चाहिये । यह तभी सभव है जब आधुनिकता आचार तक सीमित न रहे, वह विचारो मे आये ।



भारतीय मनीषियों और विचारकों ने स्वतन्त्रता को जीवन के चरम मूल्य के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने आत्म चैतन्य को सभी प्रकार की विकृतियों और आवरणों से मुक्त करने में परम स्वातन्त्र्य भाव की अनुभूति की है। इस अनुभूति में मानवीय आत्म-कर्तृत्व को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है।

स्वतन्त्रता की अवधारणा पूर्ण मनुष्यता की प्राप्ति की अवधारणा है। पूर्ण मनुष्यता ऐन्द्रिय इच्छापूर्ति और देश-कालगत सीमाओं में बन्धक नहीं रहती। अतः उसका स्वातन्त्र्य भाव केवल राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने तक सीमित नहीं है।

स्वतन्त्रता स्वतन्त्र होने का भाव है। 'स्वतन्त्र' शब्द 'स्व' और 'तन्त्र' इन दो शब्दों में मिलकर बना है। 'स्व' का अर्थ है अपना और 'तन्त्र' का अर्थ है शासन, नियम अथवा व्यवस्था। जहाँ अपना शासन अथवा नियम चलता हो, उसे स्वतन्त्र कहा जाता है। हमारे देश में 15 अगस्त, 1947 के पूर्व जो शासन व्यवस्था थी, उसका तन्त्र हमारे हाथों में नहीं था। उसका शासन और नियमन ब्रिटिश पार्लियामेंट तथा उसकी प्रतिनिधि सरकार द्वारा होता था। देश के स्वतन्त्र होने पर यह व्यवस्था बदल गई और भारतीय संविधान के अन्तर्गत हमारे अपने नियम और कानून बने। राजनैतिक दृष्टि से हम पूर्ण स्वतन्त्र हो गये। इस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिये विभिन्न स्तरों पर जो संघर्ष छिड़ा उसमें हमने स्वतन्त्रता को एक मानवीय मूल्य के रूप में स्वीकार किया। इस मूल्य के साथ त्याग, बलिदान, निर्भीकता, समर्पण, सेवा, श्रम, भ्रातृभाव जैसे विविध मानवीय मूल्य स्वतन्त्रता के जुटते चले गये।

पर विडम्बना यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 'स्वतन्त्रता' हमारे वैयक्तिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में मूल्य (Value) बनकर न रह सकी। हमारी दृष्टि स्वतन्त्रता के उपयोग पर केन्द्रित न रह कर स्वतन्त्रता के उपभोग पर अधिक केन्द्रित रही। फलस्वरूप हम उसे 'मूल्य' के स्थान पर कीमत (Price) समझते रहे। किसी वस्तु या विचार को मूल्यवत्ता प्रदान करने में त्याग, बलिदान और निस्वार्थ सेवा की भावना प्रधान रहती है, किन्तु जब परमार्थ के स्थान पर स्वार्थ, त्याग के स्थान पर भोग, सेवा के स्थान पर सत्ता, कर्तव्य के स्थान पर अधिकार

की भावना धर करने लगती है, तब समझा जाना चाहिए कि हम उस वस्तु या विचार की 'कीमत' वसूल करना चाहते हैं।


आज ऐसा लगता है कि हमने स्वतन्त्रता का 'उपयोग' करने की बजाय उसका 'उपभोग' करना अधिक सीखा है। इसीलिये स्वतन्त्रता के नाम पर जीवन, समाज और प्रशासन के हर क्षेत्र में अनियंत्रित उच्छृंखला और असन्तुलन है। जुड़ाव की जगह विखराव, सवेदना की जगह उत्तेजना और अनुराग की जगह आग है। जीवन-यात्रा को सरल, सुगम और निरापद बनाने के नये-नये साधन जुटाने पर भी यात्रा अधिकाधिक वक्र, दुर्गम और भयावह बनती जा रही है। आज का जीवन वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में विविध प्रकार की दुर्घटनाओं से ग्रस्त है। क्षण-प्रतिक्षण वाहरी व भीतरी घरातलो पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। शक्ति का अपरिमित सचय करके भी आज का मानव सुखी और शान्त नहीं है। वह तनाव, विग्रह, अविश्वास, असुरक्षा, असन्तोष, कुठा सन्ताप, भय, व्याकुलता जैसे मनोरोगों से घिरा हुआ है। 'आचाराग सूत्र' में ऐसे व्यक्ति की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अनेक चित्त वाला होता है। वह अपनी अपरिमित इच्छाओं को पूरा करने के लिये दूसरे प्राणियों का वध करता है, उसको शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुँचाता है, पदार्थों का सचय करता है और जनपद के वध के लिए सक्रिय बनता है। व्यक्ति के लिये कही गयी यह बात आज अनेक सत्तालिप्सु राष्ट्रों पर भी लागू होती है जो स्वतन्त्रता के नाम पर हथियारों की अन्धी दौड़ में व्यस्त हैं, सत्ता और सम्पत्ति के केन्द्रीकरण में निमग्न हैं।

स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता को केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता तक सीमित रखकर मानवीय मूल्य के रूप में उसकी प्रतिस्थापना नहीं की जा सकती। उसका उपयोग सामाजिक सद्भाव और आर्थिक समानता की प्राप्ति में किया जाना आवश्यक है। इसके लिये स्वतन्त्रता की आन्तरिक शक्ति विकसित करनी होगी। इसका विकास 'स्व' अर्थात् अपने पर 'तन्त्र' अर्थात् शासन से सभव है। अपने शासन का अर्थ है—आत्मानुशासन, स्वतन्त्रता के उपयोग का विवेक जागृत करने का भाव, आत्म-निरीक्षण और आत्म-नियन्त्रण। जब आत्मानुशासन का यह भाव जागृत होता है, तब व्यक्ति को अपनी आत्मा जैसी प्रिय लगती है वैसे ही दूसरे की आत्मा भी प्रिय लगने लगती है। इसी विन्दु से अहिंसा, विश्ववन्द्यत्व और विश्वप्रेम की भावना विकसित होती है। इस भावना का विकास होने पर हम अनावश्यक सग्रह से वचने, हक की कमाई को धर्म मानने और उन सब कार्यों का निषेध करने लगते हैं जिनसे किसी को मनसा, वाचा, कर्मणा पीडा पहुँचती हो। विचारों की हठवादिता और दुराग्रह से भी वचने का प्रयत्न रहता है। कर्म और त्याग के बीच समन्वय स्थापित

करने का मार्ग प्रशस्त होता है। विभिन्न सम्प्रदायो और कर्मकाण्डो मे विभक्त धर्म को सम्प्रदायो से ऊपर उठकर वास्तविक मानव धर्म के रूप मे पहचानने का बोध जागृत होता है।

यह नियन्त्रण और आत्मानुशासन सयम और तप के द्वारा सम्भव है। सयम का अर्थ है अपने मनोवेगो पर नियन्त्रण कर मन को अशुभ प्रवृत्तियो से हटाकर शुभ प्रवृत्तियो मे लगाना। अर्थात् रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और तप का अर्थ है—सहनशीलता, निष्काम कर्मयोग और अनासक्त भावना का विकास करना।

सक्षेप मे कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता मानवीय मूल्यो का आधार तभी बन सकती है जब हम उसे अधिकार प्राप्ति तक ही सीमित न रखकर कर्तव्याश्रित बनायें। आज की हमारी मारी कार्यप्रणाली का केन्द्र कर्तव्य न होकर अधिकार बना हुआ है। शक्ति का स्रोत सेवा न होकर सत्ता है। प्रतिष्ठा का आधार गुण न होकर पैसा है। जय तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक हम स्वतन्त्रता का सही आस्वादन नहीं कर सकते। हमे इस व्यवस्था को बदलना होगा और इसके लिये चाहिये तप, त्याग, दलदान, कर्तव्य के प्रति अगाध निष्ठा, मेवा कार्यों के प्रति निम्सग लगाव और आत्मोन्मुखी दृष्टि।



वीर भावना का प्रत्येक युग और समाज में आदर रहा है। मानव इतिहास के प्रारम्भिक चरण में शारीरिक वीरता का विशेष महत्त्व था। यहाँ जीवन की रक्षा तक वीरता सीमित थी। शरीर के विभिन्न अंगों—दात, नाखून आदि के द्वारा मनुष्य दूसरों के आक्रमण से अपने को बचाता था, पर सम्यता और सस्कृति के विकास के साथ-साथ वीरता का क्षेत्र व्यापक बनता गया। अब रक्षा के साधन शरीर के अंगों तक सीमित न रहे। मनुष्य ने अपने बुद्धि-बल से हड्डियों, पत्थरों और धातुओं के नानाविध हथियारों का निर्माण किया और जीवन-सघर्ष में उनके माध्यम से वह अपनी रक्षा करता रहा। कालान्तर में वारुद के आविष्कार तथा विज्ञान की तकनीकी प्रगति के कारण वीरता प्रदर्शक अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र आविष्कृत हुए और अब तो अणुबम, उद्जन बम जैसे विनाशकारी अस्त्र-शस्त्र जीवन-रक्षा के साधन न रहकर मृत्यु और विनाश के कारक बन गये हैं।

बढ़ते हुए विज्ञान और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ वीरता का स्वरूप भी बदल गया है। अब वीरता शरीरगत या सेनागत न रहकर तकनीकी विकास और अस्त्र-शस्त्रों की होड़ के साथ जुड़ गई है। अब वीर वह नहीं है, जो कूटनीति और दाव पेच लड़ाने में माहिर है। अब युद्ध क्षेत्र में लड़कर वीरता का प्रदर्शन नहीं होता। अब वीर वह माना जाता है जो दूसरों की विवशता का लाभ उठाने की क्षमता रखता हो, जो दूसरों का शोषण कर अपने लाभ-लोभ को बढ़ाता जाता हो, जो दूसरों को पददलित एवं आतंकित कर अपना रोब गाठ सकता हो, जिमकी मुट्ठी में पूँजी और पैसों में धरती बधी हो। वीरता का यह स्वरूप सुरक्षा और शान्ति का नियामक न रहकर अशान्ति, विनाश और मृत्यु का सहचर बन गया है। वीरता की आड़ में यह क्रूरता और निर्दयता का खेल है, प्रपञ्च है। इस तथ्य को जितनी जल्दी समझा जाए, आत्मसात् किया जाए उतना ही मानवता का हित और कल्याण है।

पर आज दुःख इस बात का है कि इस तथाकथित वीरता/क्रूरता की दीड़ में विकसित और विकासशील राष्ट्र पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। जिन राष्ट्रों के पाम जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन भी उपलब्ध नहीं

हे वे भी दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते। वडप्पन का मापदण्ड और पैमाना यह "वीरता" जो बन गई है।

पर सोचने की बात यह है कि वीरता की छाड़ में पनपती इस क्रूरता, रक्त पिपासा और हिंसा का कही अन्त भी है? जब-जब युद्ध हुए हैं, उनसे वजाय शान्ति कायम होने के, वैमनस्य और शयुता का भाव ही अधिक बढ़ा है। हिंसा ने प्रतिहिंसा को जन्म दिया है और युद्ध के रक्त-बीज ने अनेक गकटो, व्याधियों और विपत्तियों को।

इस प्रकार की वीरता ने हममें भय, आतंक, सशय और अविश्वास जैसे निपेधात्मक मूल्यों को ही जन्म दिया है। फलस्वरूप जीवन और समाज में अलगाव और विखराव की भावना बराबर बनी रही है, बनी हुई है। जब तक वीरता की धारणा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाता और उस परिवर्तन को व्यवहार में ढाला नहीं जाता, तब तक गुणात्मक मूल्यों का प्रचार और प्रसार नहीं हो सकता। गुणात्मक मूल्य हैं प्रेम, विश्वास, अपनत्व। जब तक हम अपनी सुरक्षा को बाहरी साधनों से नापते-तोलते रहेगे, तब तक मूल्य बोध का यह मकट बना रहेगा। सुरक्षा का सम्बन्ध भीतरी ताकत में है। आन्तरिक वीरता से है। आन्तरिक वीरता का यह भाव कैसे जगे, यही आज का सकट है। भगवान् महावीर ने इस वीरत्व भाव को जगाने का सूत्र देते हुए कहा—जैसे तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही दूसरे जीवों को भी अपने प्राण प्यारे हैं। जैसे तुम सुख से जीना चाहते हो, वैसे ही दूसरे प्राणी भी सुख से जीना चाहते हैं, जैसे तुम्हें सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है, वैसे ही दूसरे जीवों को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है, ऐसा समझ कर तुम ससार के सभी प्राणियों को अपना मित्र समझो। किसी को भी किसी प्रकार का दुःख न दो, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी।^१

जब मन में इस प्रकार का भाव जागृत होगा तब व्यक्ति और वस्तु के प्रति रहा हुआ आसक्ति का भाव मिटता चला जावेगा। शरीर और आत्मा का यह भेद-विज्ञान वीरता को महावीरता में परिणत करता है। यह महावीरता ही सच्ची वीरता है। भगवान् महावीर ने इसी वीरता का साक्षात्कार किया था।

यह वीरता-महावीरता न स्वयं को किसी बन्धन में बाधती है, न दूसरों को अपने अधीन बनाती है। जो किसी कारण बन्धन में पड़े हुए हैं, उन्हें भी मुक्त करने का पथ प्रशस्त करती है यह वीरता। काश, हम इस महावीरता की अवधारणा को आत्मसात करने का प्रयत्न करें। □

१ — सव्वे पाणा पियाउया, सुहसाया दुक्खपडिक्कुला अप्पियवहा ।

पियजीविणो, जीविउकामा, सव्वेसि जीविय पिय ॥

साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा श्रम, हमारा पुरुषार्थ लगता है। सामान्य स्थिति में हमारी वृत्तियाँ विकृत और शक्तियाँ सुपुष्ट रहती हैं। साधना के द्वारा हम वृत्तियों को सस्कारित और शक्तियों को प्रस्फुटित करते हैं। इस माने में साधना एक कला है और साधक एक कलाकार।

जिस प्रकार एक कलाकार अनगढ़ पत्थर में अपनी कला के बल पर छँनी के द्वारा उसे तराश कर, सौन्दर्यमयी मूर्ति का रूप दे देता है, कुरूप को सुरूप बना देता है, कोयले को हीरे में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार साधक अपने यम-नियम और सयम द्वारा अपनी छिपी हुई शक्तियों को प्रकट कर अपनी आत्मा को निर्मल और शक्तिमान बना देता है। सक्षेप में कहा जा सकता है कि साधना विन्दु को सिन्धु और अणु को विराट् बनाने की प्रक्रिया है। साधना मनुष्य को विकृति से प्रकृति और प्रकृति से सस्कृति की ओर अभिमुख करती है।

प्रत्येक धर्म, दर्शन और सम्प्रदाय में साधना का विशिष्ट महत्त्व है। जहाँ साधना के केन्द्र में देवता प्रतिष्ठित होता है वहाँ साधक को अपनी शक्तियों को उभारने का विशेष अवसर नहीं मिलता। वह देवता के समक्ष याचक बन जाता है और उसकी कृपा के बल पर ऊँचा उठना चाहता है। पर जिस साधना में आत्मा को ही सुख-दुःख का कर्ता और भोक्ता माना गया है वहाँ साधक अपने ही सत्कर्मों से सुखी बनता है और दुष्कर्मों से दुःखी। वह किसी परोक्ष सत्ता के हाथ की कठ-पुतली नहीं बनने स्वयं अपने भाग्य का निर्माता और नियता है।

जब साधक का पुरुषार्थ फलीभूत होता है तब उसका केन्द्र मजबूत होता चलता है। केन्द्र मजबूत होने पर सासारिकता की रेखाएँ परस्पर टकराती नहीं। साधक अलिप्त बना रहता है। राजनीतिवेत्ता जानते हैं कि जब केन्द्र मजबूत होता है तभी प्रान्तीय शासन ठीक चलता है और प्रशासन में व्यवस्था तथा नियन्त्रण बना रहता है। साधक का केन्द्र मजबूत होने पर उसका पुरुषार्थ-पराक्रम कही सकता नहीं। आत्मा के परमात्मा बनने की प्रक्रिया इसी विन्दु से शुरु होती है।

सयम मे पराक्रम द्वारा माघक अपने कर्म पुद्गलो को जिन्होने उसकी आत्मा को ज्ञान, दर्शन, मुख, चारित्र्य आदि शक्तियों को आन्ध्यादित कर रक्खा है—नष्ट करने लगता है। जब समस्त कर्म पुद्गल नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाती है। आत्मा परमात्मा मे इस प्रकार नहीं मिल जाती कि उमका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता। आत्मा के परमात्मा बन जाने पर भी उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकारा गया है। इस दृष्टि से परमात्मा सख्या की दृष्टि से एक नहीं अनेक हो सकते हैं, पर गुणों की दृष्टि मे सबके गुण और शक्तियों मे कोई अन्तर नहीं है।

साधना-पद्धति मे जीवन-मुक्ति का विशेष स्थान है। जिस प्रकार नाटक मे नायक सघर्षों से मुकाबला करता हुआ एक ऐसी स्थिति पर पहुँच जाता है जहाँ उसे फल की प्राप्ति होना निश्चित हो जाता है। यह 'नियताप्ति' की स्थिति कही जाती है। ठीक इसी प्रकार जब माघक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अतराय इन चार घाती कर्मों को नष्ट कर देता है, तब उसे केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति मे आत्मा के स्वाभाविक गुणों को नष्ट करने वाले कर्म पुद्गल शेष नहीं रहते। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र अघाती कर्म हैं जो शरीर से सम्बन्धित होते हैं। ये आत्म गुणों को प्रभावित नहीं करते।

जिसे केवलज्ञान प्राप्त हो गया है, उसकी मुक्ति होना निश्चित हो गया है। इस स्थिति मे वह धर्म-नायक अथवा तीर्थंकर के रूप मे लोक-कल्याण के लिये धर्म देशना देता है। इस विन्दु पर आकर धर्म का लोक मग्राहक रूप प्रकट होता है। ऐसे जीवन-मुक्त पुरुष को 'लोगहियाण', 'लोगपइवाण', 'लोग पज्जोयगराण', 'अभयदयाण', 'चक्खुदयाण', 'बोहीदयाण', 'धम्मदेसयाण', 'धम्मसारहीण' आदि कहा गया है। सक्षेप मे इनका अर्थ है—ऐसे पुरुष लोक के हितकारी हैं, लोक मे प्रकाशमान दीपक के समान उद्योत करने वाले हैं, अभय देने वाले हैं, ज्ञान रूप नेत्र देने वाले हैं, बोधि याने सम्यक्त्व के दाता हैं, धर्म के उपदेशक हैं और धर्म-रथ के सारथी हैं। जब इनके शरीर से सम्बद्ध अघाति कर्म नष्ट हो जाते हैं तब वे सिद्ध बन जाते हैं। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसे ही मुक्ति कहा गया है। यहाँ न शरीर है न रूप, न भूख है न प्यास, न मोह है न माया। है अखड अव्यावाच अनन्त आनन्द। मुक्ति की यह अवस्था अभाव या रिक्तता की अवस्था नहीं है। यह जीवन की पूर्णता और समग्रता है।

साधना मे ज्ञान, भक्ति और कर्म पर समान बल दिया गया है। भक्तिवादी परम्परा मे ईश्वर को सब कुछ समर्पित करके उसी की कृपा पर जीना, साधना का मुख्य लक्ष्य है। इसमे व्यक्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता और उसके पुरुषार्थ

को प्रकट होने का अवसर नहीं मिलता अतः साधना में एकान्त भक्ति योग का निषेध रहता है ।

ज्ञानवादी परम्परा में ज्ञान को ही प्रधानता दी जाकर क्रिया को महत्त्वहीन बना दिया जाता है । पर ज्ञान के साथ क्रिया अथवा चारित्र्य का भी विशेष महत्त्व है । 'पढम नारा तवो दया' में ज्ञान को प्रधानता देते हुए भी दया अर्थात् आचरण का महत्त्व स्वीकार किया गया है ।

ज्ञान के अभाव में जो क्रिया होगी वह फलदायी नहीं हो सकती । क्रिया से रहित जो ज्ञान होगा वह पगु होगा । इसीलिये साधना का प्रमुख सूत्र है—'सम्यक्दर्शन, ज्ञानचारित्राणी मोक्ष मार्ग' अर्थात् मुक्ति का मार्ग है—सही श्रद्धापूर्वक तत्त्वज्ञान के साथ धर्म क्रिया करना ।


ज्यो-ज्यो विज्ञान की प्रगति हो रही है बाह्य भौतिक ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है परन्तु उसके साथ-साथ आत्मा के तत्त्वज्ञान की जानकारी कम होती जा रही है, फलस्वरूप सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान लुप्त होता जा रहा है । इसके अभाव में सम्यक्क्रिया अर्थात् चारित्र्य की आराधना कैसे सम्भव है ? यही कारण है कि वर्तमान में हमारे यहाँ धार्मिक क्रियाएँ रूढ़िपालनवत रह गई हैं । सामायिक और प्रतिक्रमण 'रूटिन' बन गये हैं । इन्हे ठीक अर्थों में समझना बहुत आवश्यक है ।

सामायिक का अर्थ है—सम भाव की आय अर्थात् प्राप्ति । सामायिक में हम अपने आत्म स्वभाव के निकट रहते हैं । सुख-दुःख, लाभ-हानि, निन्दा-प्रशंसा आदि स्थितियों में विचलित न हो और समभाव में रहण करते रहे, यह सामायिक साधना का लक्ष्य है । सामायिक वर्तमान की साधना है । हम आत्मसाक्षी भाव से अपनी प्रत्येक क्रिया को देखते जायें, एकाग्र होते जायें और जागरूक बने रहे । प्रतिक्रमण का अर्थ है—वापस लौटना । हम अपने स्व स्थान से पर स्थान चले गये हैं अर्थात् क्षमा से क्रोध की ओर, विनय से मान की ओर, सरलता से कुटिलता की ओर, मतोप से प्रलोभन की ओर, तो वापस आये अपने घर की ओर, आत्मा की ओर । अतिक्रमण से प्रतिक्रमण की यह क्रिया हमें अतीत की स्मृतियों में ले जाकर प्रायश्चित्त द्वारा आत्मशुद्धि का अवसर देती है और हम अपने में ऐसी शक्ति निहित कर पाते हैं कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचें ।

सामायिक, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान द्वारा हम अपने वर्तमान, अतीत और भविष्य के प्रति जागरूक बनते हैं, मचेन बनते हैं । इस प्रकार साधना न केवल धरणजीवी है, न केवल अतीतजीवी है और न केवल भविष्यदर्शी ।

उममे तीनो कालो का युगपद चिन्तन होने मे वह मननप्रवाही और मनन-प्रकाशी है ।

साधना का लक्ष्य अपने आवेग को कम करना, अपने ताप को मिटाना और जागृत अवस्था बनाये रखना है । जब कार या मोटर की बैटरी कमजोर पड जाती है तब उसे चार्ज कराना आवश्यक हो जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारी धार्मिक क्रियाएँ आत्मा की बैटरी को चार्ज करनी रहती है । हम साधना की क्रियाओं को 'रस्म और रुढि' के रूप में न ले बरन् 'रूपान्तरण' के रूप में ले । सच्चे अर्थों में साधना ताप को प्रकाश में और राग को अनुराग में रूपान्तरित करती है । हम साधना पथ पर निरन्तर बढ़ते रहे, यही अस्यैर्यना है ।



सामान्यतः लोग धर्म को पारलौकिक तत्त्व मानकर उसकी दिव्यता से अभिभूत होते हैं और जीवन में उसका आचरण न कर वर्तमान से परे भावी जीवन और अगले जन्म के लिए उसकी उपयोगिता समझते हैं। पर यह दृष्टि एकांगी है। वस्तुतः धर्म का सबंध वर्तमान जीवन और मनुष्य से है। मनुष्य ने अपने चिन्तन, अनुभव और विवेक से मनुष्य के लिए धर्म का आविष्कार किया इसलिए धर्म मनुष्यता का सहचर है। मनुष्यता का विकास धर्म के द्वारा ही संभव है। सहचर का अर्थ है—साथ रहने वाला, साथ चलने वाला। धर्म मनुष्य से अलग नहीं है। वह उसके विचारों के साथ अनुस्यूत है। इसीलिए शास्त्रकारों ने धर्म को स्वभाव कहा है।

प्रश्न किया जा सकता है कि मानव जीवन का स्वभाव क्या है? क्या अपने से परे जो अनन्त पदार्थ हैं, उनका सचय करना, अपनी इन्द्रियों के माध्यम से उनका आस्वादन करना मनुष्य का स्वभाव है? अनुभव के आधार पर साधकों ने बताया कि मनुष्य का स्वभाव आनन्द है, ऐसा आनन्द जो स्थायी है, चिरन्तन है, जो पर पदार्थों पर निर्भर नहीं है। स्पष्ट है कि ऐसा आनन्द इन्द्रिय सुख में नहीं है। वह इन्द्रियों से परे आत्मा का स्वभाव ही है। इस अतीन्द्रिय आनन्द को प्राप्त करने के लिए जो विशेष अनुष्ठान किये जाते हैं, उन्हें हम धर्म कह सकते हैं।

स्थायी आनन्द की प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान किये जाते हैं उनके आधार पर धर्म के दो रूप सामने आते हैं। एक बाह्य धर्म जो व्यवहार पर निर्भर है और दूसरा आन्तरिक धर्म जो आत्मगत है। वीतरागता का भाव इसीसे जुड़ा हुआ है। इस भाव को प्रगट करने के लिए जो साधना की जाती है, वह धर्म-साधना है। यह मनुष्यता के रक्षण और सर्वार्थ में सहायक बनती है।

यह साधना अहिंसा, समय और तप रूप है। अहिंसा भाव की पालना तभी हो सकती है जब हम यह समझ विकसित करें कि मेरे अलावा ससार में जितने भी प्राणी हैं उनका भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, वे भी अपने सुख-दुःख भोगते हैं और जीवित रहना चाहते हैं। अतः मेरा कर्तव्य और धर्म है कि मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न दूँ और जितना संभव हो सके उनके रक्षण, सर्वार्थ और विकास

सहायक बनू । इसी परिप्रेक्ष्य में धर्म की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि 'जीवाण रक्खण घम्मो ।' अर्थात् जीवों की रक्षा करना ही धर्म है । जीवों की रक्षा मी ममत्व है, जब हम अपने मन और इन्द्रियों पर नियंत्रण रखें, सयम रखें, अपनी आवश्यकताओं को अधिक न बढ़ायें और दूसरों का जो प्राप्य है, उस पर अपनी अधिकार न करें, पर पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है उसे छोड़ें और अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर अपना जो प्राप्य है, उसे भी दूसरों को समर्पित करें । यह त्याग, प्रेम, करुणा, परोपकार और मैत्रीभाव धर्म हैं । इसमें सामाजिकता का विकास होता है । माथ-माय रहने और चलने की भावना जागृत होती है ।

अपने और अपने इर्द-गिर्द जो प्राणी जगत है उसकी रक्षा और सेवा के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं और इसमें बाधक बनने वाली परिस्थितियों में समभाव पूर्वक मुकाबला करने में जो पुरुषार्थ प्रकट किया जाता है, वह तप है । तप के माध्यम से आन्तरिक वीरता को जगाया जाता है, अपने मामर्थ्य को विकसित किया जाता है और अन्याय, अश्याचार के खिलाफ लोक शक्ति जागृत की जाती है । इस प्रकार अहिंसा, मयम और तप रूप धर्म के आचरण में प्राणिमात्र को मासार्थिक दुखों से ऊपर उठाकर आत्मिक सुख में स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है । इसी अर्थ में धर्म धारण किया जाता है । जो सच्चे अर्थों में धर्म को धारण करता है उसकी चेतना सद्भावों में रमण करती हुई उध्वंमुखी बन जाती है । उसे फिर कोई अभाव नहीं रहता है और न वह विभावों में भटकती है ।

आज का व्यक्ति स्वभाव के वजाय विभाव में अधिक जाने लगा है । इसलिए धर्म के नाम पर डोग, पाखंड, प्रदर्शन और साम्प्रदायिक उन्माद का जोर है । जब समाज की यह स्थिति बनती है, तब धर्म मनुष्यता का सच्चा माथी नहीं रहता । वह माथ चलने की वजाय मूल तत्त्व को ही चरने लगता है, निगलने लगता है । तब धर्म, अहिंसा, सयम और तप न रहकर हिंसा, परिग्रह और सघर्ष का कारण बन जाता है, ऐसा सघर्ष जो मानवता के लिए अभिशाप बनता है । प्रत्येक युग में ऐसे तथा-कथित धर्म का महापुरुषों में विरोध किया है । प्रत्येक तीर्थंकर और अवतार का आविर्भाव इसी पृष्ठभूमि में होता है । भगवान महावीर ने 'भगवती सूत्र' में स्पष्ट कहा है कि ऐसे अधार्मिक आत्माओं का सोते रहना अच्छा है, उनका दुर्बल रहना अच्छा है और जो आत्म-स्वभाव में रमण करने वाले हैं ऐसे धार्मिकों का जागृत रहना और बलवान होना अच्छा है —

अत्येगइयाण जीवाण सुत्तत साहू ।

अत्येगइयाण जीवाण जागरियत्त साहू ॥

अत्येगइयाण जीवाण वलियत्त साहू ।

अत्येगइयाण जीवाण दुब्बलियत्त माहू ॥

पर आज की विडम्बना यह है कि धर्म के नाम पर अधार्मिक आचरण करने वाले जागृत हैं और वनिष्ठ हैं तथा धर्माभिमुख व्यक्ति उदासीन हैं, निष्क्रिय हैं। यही कारण है कि मगठित रूप से अधार्मिक और हिंसक शक्तियों का मुकाबला नहीं हो पाता, धार्मिक और अहिंसक प्रयत्नों की सम्मिलित शक्ति प्रगट नहीं हो पाती और मानव-विरोधी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उनके प्रभाव का जैसा उपयोग होना चाहिए वैसा उपयोग नहीं हो पाता। अब समय आ गया है कि धार्मिक व्यक्ति और अहिंसक शक्तियाँ जागें और धर्म पर फँसे हुए उन्माद और विष को दूर करें।

धर्म के सम्यक् आचरण के लिए इन्द्रियों की सजगता और पुष्टता आवश्यक मानी गई है। इसी सदर्म में शास्त्रकार कहते हैं जब तक वृद्धावस्था नहीं आती, जब तक व्याधियों का जोर नहीं बढ़ता, जब तक इन्द्रियाँ क्षीण नहीं होती तब तक विवेकी आत्मा को जो भी धर्म का आचरण करना हो, वह कर लेना चाहिये—

जरा जाव न पीडेड, वाही जाव न बड्डइ ।

जाविदिया न हायति, ताव धम्म समायरे ॥

—दशवैकालिक ८/३६

आज विज्ञान के विविध आविष्कारों के फलस्वरूप इन्द्रियों की शक्ति बढ़ गई है। यदि इस शक्ति का उपयोग अन्तर्मुखी होने में किया जाय तो धर्म का तेज प्रकट हो सकता है और यदि इनके माध्यम से बाह्य पदार्थों के विषय-सेवन को ही प्रमुखता दी जाती है और वहिर्मुखी वृत्ति ही प्रधान बनी रहती है तो फिर धर्म मनुष्यता का सहचर बनकर नहीं रह सकता है। भगवान् महावीर ने 'उत्तराध्ययन' सूत्र में इस सदर्म में चुनौती देते हुए कहा है—जैसे पिया हुआ कालकूट विष और अविधि से पकड़ा हुआ शस्त्र अपना ही घातक होता है उसी प्रकार शब्दादि विषयों की पूर्ति के लिए किया हुआ धर्म भी अनियन्त्रित वेताल के समान साधक का विनाश कर डालता है।

विम तु पीय जह कालकूड,

हणाडमत्थ जह कुग्गहीय ।

ऐसो वि धम्मो विसओववन्नो,

हाणाड वेयाल डवाविवन्नो ॥

—उत्तराध्ययन २०/४४

यह अनुभूत सत्य है कि सदा विषय वामना में रचा-पचा रहने वाला मनुष्य धर्म के तत्त्व को नहीं पहचान पाता—

मयय मूटे धम्म नाभिजाणई ।

—आचाराग ३/१

जीवन-तत्त्व

जो सदा अप्रमत्त भाव में रहता है वही धर्म का आचरण कर सकता है। धर्म साधना में प्रवेश के लिए क्षमा, मतोप, सरलता और नम्रता का भाव आवश्यक है। 'स्थानाग' मूत्र में स्पष्ट कहा है—

चत्वारि धम्मदारा—

सती, मुत्ती, अज्जवे, मद्दे ।

—स्थानाग ४/४

इन भावनाओं के माध्यम से ही धर्म मनुष्यता का सहचर बन सकता है। आज हम रात की सर्वाधिक आवश्यकता है कि धर्म मनुष्यता के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, न कि उमे चरे।



धर्म को विभिन्न दार्शनिकों और चिन्तकों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। पर इस बात में सभी सहमत हैं कि वह विचार और अनुष्ठान जो ससार में हमारी रक्षा करे और स्वभाव को धारण करे, वह धर्म है। दूसरे शब्दों में वस्तु का स्वभाव धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, पानी का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही मानव जीवन का स्वभाव आनन्द प्राप्त करना है, ऐसा आनन्द जो अतीन्द्रिय है, आत्मिक है, सुख-दुःख से परे है। अतः कहा जा सकता है कि वह अनुष्ठान जो इस आनन्द की प्राप्ति में सहायक है, वह धर्म है। व्यक्ति और समाज को ध्यान में रखकर भी धर्म को समझने-समझाने का प्रयत्न किया गया है। जो व्यक्ति को क्षमा, मार्दव, आज्ञा, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आर्किचन्य, ब्रह्मचर्य आदि में स्थित करे, वह प्रक्रिया और गुण धर्म है। इन सबकी सम्यक् परिपालना और धारण के लिए समाज की स्थिति का सन्तुलन बने रहना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से अपने गाँव, नगर, राष्ट्र, कुल, सभ आदि के प्रति जो हमारे पुनीत और मंगल कर्तव्य हैं, उन्हें भी धर्म कहा गया है। व्यक्ति और समाज के घरातल पर प्रतिष्ठित ये धर्म परस्पर पूरक और सहयोगी हैं। संक्षेप में दूसरों को मन, वचन और काया से ऐसा अनिष्ट न पहुँचाना जिसे हम स्वयं अपने लिये न चाहते हों, धर्म है।


भर्तृहरि ने धर्म-रहित मनुष्य को पशु कहा है। अर्थात् धर्म ही वह तत्त्व है, जो मनुष्य और पशु को भिन्न सिद्ध करता है। इस दृष्टि से धर्म शरीर की आवश्यकताओं से परे, मन और आत्मा के चैतन्य से सम्बद्ध है। विभिन्न नैतिक सदगुणों को आत्मसात् करने पर जब चेतन का ऊर्ध्वारोहण होता है, तब धर्मारोहण प्रारम्भ होता है। अर्थात् जब भय, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ आदि पाशविक वृत्तियाँ शमित होकर उदात्त भावों और सदाचरणों में डलती हैं, तब चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए चारित्र्य को धर्म कहा है।

मन्यता के विकार के साथ-साथ समाज में भोगवृत्ति और स्वार्थलिप्सा बढ़ने के कारण धर्म के नाम पर वाह्य क्रियाकाण्डों की बढ़ती हुई और 'वैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति' जैसे आदेशों की परिपालना में ही धर्म सीमित कर दिया गया।

जीवन-तत्व

आगे चलकर धर्म के नाम पर वलि, ग्राडम्बर, प्रदर्शन और दिवावे मुख्यता ग्रहण करते गये। धर्म आत्मा का स्वभाव न रहकर पर-पदार्थों और बाहरी अनुष्ठानों से जुड़ गया। जब-जब इन क्रियाकाण्डों और बाह्य ग्राडम्बरों को ही धर्म मानने की प्रवृत्ति मुरय हुई तब-तब धर्मनायकों ने इसके विरुद्ध आवाज बुलन्द की और धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ। आधुनिक युग में जब धर्म के नाम पर ऐसा धर्माभास कार्ल मार्क्स ने देखा तो उन्होंने उसे अफीम कहा।

परन्तु आज मुब के नाम पर इन्द्रिय-विषयों के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इन्द्रिय-सुख को ही लोग वास्तविक मुब मानने लग गये हैं, जबकि वह सुख नहीं सुखाभास है। ठीक इसी प्रकार, आज बाह्य अनुष्ठानों, पूजा-पद्धतियों, जुलूसों-प्रदर्शनों में ही लोग वर्म समझने लग गये हैं, जबकि इन्हे धर्म नहीं धर्माभास कहा जाना चाहिये। अनुष्ठानों की स्थिति खेत की बाड़ की तरह समझी जानी चाहिये। किमान खेत के चारों ओर बाड़ डमलिये लगाता है कि उसमें जो फसल पैदा हुई है, उसे कोई क्षति न पहुँचा सके और बाहरी उपद्रवों से उसकी रक्षा हो सके। पर यदि खेत में कोई फसल ही नहीं है और किसान बाड़ की सार-सम्भाल में ही अपना खून-पसीना एक करता रहे तो उसे क्या कहा जाएगा ? ठीक इसी प्रकार यदि हम अपनी आत्मा के खेत में रहे हुए उसकी गुण रूपी फसल के लिये विभिन्न अनुष्ठानों रूपी बाड़ की मार-सम्भाल करें तो युक्तिसंगत है, पर आत्मगुणों को तो तिलाजलि देते जाएँ और बाहरी क्रियाकाण्डों में ही उलझते रहे तथा अपने को धार्मिक समझते-समझाते रहे तो यह आत्म-छलना और प्रवचना ही होगी। हमें खेत की फसल एवं बाड़ में उचित सामजस्य और सन्तुलन बैठाना होगा। आज की विडम्बना यह है कि फसल गौण हो गई है और बाड़ प्रधान हो गई है। हमें इस क्रम को उलटना होगा, तभी धर्म का तेज, जीवन और समाज में निखरेगा।



मनुष्य विचारशील प्राणी है। इस विचारशक्ति के कारण ही वह प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। विचारों की शक्ति न केवल मनुष्य को महान् बनाती है वरन् अन्य शक्तियों को भी नियन्त्रित और संचालित करती है। तकनीकी विकास के कारण आज यान्त्रिक शक्ति प्रधान बन गई है, उससे जीवन का मुविधा-क्षेत्र विस्तृत हुआ है पर चिन्तन का क्षितिज नानाविध दुविधाओं से आक्रान्त हो गया है। संचार के द्रुतगामी साधनों से जिन्दगी की बढकन तेज और वेगवती हुई है पर इसकी आत्मलय खडित होकर निम्तेज और कुण्ठित हो गयी है। फलस्वरूप हादिकता का स्थान यात्रिकता लेती जा रही है। इससे 'परिधि' का विस्तार हो तो रहा है पर 'केन्द्र' उसी अनुपात में कमजोर बनता जा रहा है। केन्द्र के कमजोर और अस्थिर होने से जो विकास की रेखाएँ उससे प्रस्फुटित हो रही हैं वे परस्पर टकराने लग गई हैं। इससे एक प्रकार का द्वन्द्व और तनाव पैदा हो गया है जिसने जीवन को सशयग्रस्त, अमुरक्षित, भयप्रद, नैराश्यपूर्ण और भावनाशून्य बना दिया है।

जगत् के रहस्यों को जानने और खोजने के नित नवीन आविष्कार करते हुए आज का बौद्धिक मानस जल, थल, नभ की अतल गहराइयों को नापने और निस्सीम ऊँचाइयों को छूने के लिए वेतहाशा भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। उसे क्षण भर भी रुककर अपने 'केन्द्र' की ओर देखने का समय नहीं है। बहिर्जगत की यात्रा ने उसके अन्तर्जगत के वैभव को नकार दिया है, हादिकता के रम-त्नोत को अवरुद्ध कर दिया है। यही कारण है कि इतनी दौड़-धूप और वैचारिक यात्रा करने के बाद भी मनुष्य स्वभाव में स्थित न रहकर विभाव में विचरण करने लगता है, और तब उमकी यही परिणति होती है। मनुष्य का बडप्पन बहिरात्मा से अन्तरात्मा में प्रवेश करने में है। पर तथाकथित ज्ञान के ग्रहम् ने उसे शरीर की पाच-छ्म फीट की ऊँचाई में ही सिमटा कर रख दिया है और इमी विन्दु पर वह अपने आपको सबसे बडा विचारक और खोजी समझ बैठा है। इमी भूल के कारण आज वह सत्रस्त और दिग्विमूढ है।

इम विमूढता और व्यामोह को तोडने के लिए 'परिधि में केन्द्र' की ओर मुडना होगा, अन्तर्जगत की यात्रा प्रारम्भ करनी होगी, यात्रिक शक्ति को हादिक

व्यवस्था प्रदान) शक्ति के अधीन रखना होगा। पर यह सब कैसे हो ? इसकी कृपा क्या है ? यह सब जानना आवश्यक है। आचार्यों ने कहा है—डमका आधार मनोभूमि है, मन में उठने वाली पवित्र भावना है। 'योग वाशिष्ठ' में कहा—“सदा अमृतरूप में चिन्तन करने में विष भी अमृत बन जाता है। तथा मंत्रदृष्टि में देखने पर शत्रु भी मित्र रूप में परिणत हो जाता है।” भगवान महावीर ने 'आचाराग सूत्र' में कहा है—'जे आस्रव्वा ते परिमव्वा, जे परिमव्वा ते आस्रव्वा' अर्थात् जो आस्रव—कर्म प्रवेश के हेतु हैं, वे भावना की पवित्रता से परिम्व—कर्म रोकने वाले हो जाते हैं और जो परिम्व हैं वे भावना की अपवित्रता से आस्रव हो जाते हैं।

भावनाओं का, मानसिक क्रियाओं का हमारे जीवन-व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मन में पवित्र भाव आये इसके लिए सम्यक् आहार-विहार और मस्कार महत्त्वपूर्ण घटक का कार्य करने हैं। पर दुःख इस बात का है कि जिस अनुपात में ज्ञान-विज्ञान का विकाम हुआ है, उम अनुपात में मानवीय सद्गुण विकसित नहीं हुए हैं। ज्ञान की दो दिशाएँ हैं। एक दिशा है—आत्मा या द्रष्टा का ज्ञान और दूसरी दिशा है—दृश्य जगत् या देह का ज्ञान। आज की शिक्षा पद्धति में सारा बल और अभ्यास दृश्य जगत् के ज्ञानार्जन पर दिया जाता है फलस्वरूप मभित्क तार्किक तो बनता है पर अनुभूतिप्रवण नहीं, प्रज्ञावान नहीं। इस कारण शिक्षा द्वारा जो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त किया जाता है उसका स्व-पर कल्याण में अभीष्ट उपयोग नहीं हो पाता। इसके लिए वैयक्तिक जागरूकता और अभिक्रम के साथ-साथ सामाजिक के प्रति महानुभूति, द्रवणशीलता और दायित्व-बोध की भावना का विकाम होना आवश्यक है।

भावना प्रत्येक कार्य में प्रेरक शक्ति का काम करती है। धार्मिक क्रिया का आधार भी भावना होती है। भावना के मुख्य दो प्रकार होने से धर्म के भी दो स्तर हैं—वैयक्तिक और सामाजिक। वैयक्तिक स्तर पर धर्म व्यक्ति के सद्गुरुओं को जाग्रत और विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। क्रोध को क्षमा से, अहंकार को विनय से, माया-कपट को सरलता से और लोभ को सतोष से जीतने की भूमिका प्रस्तुत करता है। सामाजिक स्तर पर ग्राम धर्म, नगर धर्म और राष्ट्र धर्म की परिपालना करते हुए लोक कल्याण के लिए जीवन समर्पित करने की प्रेरणा जगाता है।

भावना को कई रूपों में रखकर समझा जा सकता है। जीवन-संग्राम में सुख-दुःख रूप भावना क्रियाशील रहती है। सुखात्मक भावना के ही रूप हैं—प्रेम, लोभ, उत्साह, श्रद्धा आदि और दुःखात्मक भावना के रूप हैं—क्रोध, भय, कदरणा, ईर्ष्या, ग्लानि आदि। राग और द्वेष इनके मूल कहे जा सकते हैं। सच्चा भावुक

इन भावनाओं में उलझता नहीं। वह इनसे ऊपर उठकर 'आनन्द' की अनुभूति में लीन होता है, ऐसी अनुभूति जहाँ न सुख है न दुःख। उसे समता या समरसता की स्थिति भी कह सकते हैं।

इस स्थिति को पाने के लिए जो साधना का क्रम है, उसमें भावना भाने का विशेष महत्त्व है। आचार्यों ने इस दृष्टि से बारह भावनाओं—अनित्य भावना, अशरण भावना, ससार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशौच भावना, आस्रव भावना, सवर भावना, निर्जरा भावना, धर्म भावना, लोक भावना और बोधि दुर्लभ भावना तथा अन्य प्रकार से चार भावनाओं—मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना तथा माध्यस्थ भावना का विधान किया है। १२ भावनाओं में प्रारम्भ की ६ भावनाएँ मुख्यतः आत्मगत हैं जो व्यक्ति के आत्म को, स्व को जागृत करने में प्रधान रूप से प्रेरक और सहायक बनती हैं। इन भावनाओं के चिन्तन से व्यक्ति का अहं दूटता है, मोह हटता है, आत्म-रक्षण का भाव प्रगाढ़ बनता है, आत्म-निर्मरता और पुरुषार्थ-पराक्रम जागृत होता है, देहासक्ति छूटती है और आत्मतत्त्व के प्रति दृढ़ श्रद्धा होता है। शेष भावनाएँ व्यक्ति के 'स्व' को 'सर्व' की ओर अभिमुख करती हैं। उसे ऐसे कर्म करने से रोकती हैं जिनमें स्व व पर का अहित होता है तथा ऐसे कर्म करने को प्रेरित करती हैं जिनसे स्व व पर का कल्याण होता है, सबके प्रति मैत्रीभाव बढ़ाती हैं, गुणों के प्रति अनुराग जगाती हैं, दूसरों के लिए वहने, पिघलने का अवसर देती हैं और फिर भी सबके प्रति अनासक्त बनाये रखती हैं। भावनाओं का यह चिन्तन, मनन और अभ्यास व्यक्ति को अनित्यता से नित्यता, विन्दु से सिन्धु और अधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।



मनुष्य मननशील प्राणी है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा उसमें मनस तत्त्व की प्रधानता है। मन की शक्ति के द्वारा वह व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति को जानता है। जो कुछ जानता है, उसका अपने परिवेश और परिस्थिति के अनुसार मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के अनुसार ही वह संवेदन अथवा अनुभवन करता है। जो अनुभव उसे सुखद लगता है उसे वह बनाये रखना चाहता है और जो अनुभव दुःखद लगता है उसे दूर करना या हटाना चाहता है। इस प्रतिक्रियात्मक संस्कार को ही राग और द्वेष कहा गया है। दूसरे शब्दों में इष्ट पदार्थों के प्रति प्रीति और अनिष्ट पदार्थों के प्रति अप्रीति क्रमशः राग और द्वेष है। राग सुखात्मक भाव है और द्वेष दुःखात्मक भाव है। सुख के ही अन्य अनुभाव हैं—लोभ, मोह, भोगवृत्ति आदि। दुःख के ही विस्तारक अनुभाव हैं—घृणा, ग्लानि, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वैर आदि। मनुष्य मन, वचन और शरीर द्वारा जो कुछ क्रिया या व्यापार करता है साधारणतः राग-द्वेष के वशीभूत होकर ही। इसीलिए राग-द्वेष को कर्म का बीज कहा गया है।

प्राकृतिक विधान की ओर देखें तो पता चलता है कि जब बीज को अनुकूल परिस्थितियाँ खाद, पानी, हवा, रोशनी आदि मिलते हैं तो वह अकुरित होकर पल्लवित, पुष्पित होता हुआ एक से अनेक रूपों में फलित होता है। उन फलों में जो बीज होते हैं उनमें एकाध बीज ऐसा अवश्य होता है जिसमें अपने जैसे अनेक बीजों को पैदा करने की शक्ति होती है। कर्मबीज का यह सिलसिला ही शरीर का कारण है, जन्ममरण का चक्र है। जो इस चक्र में सक्रमण करता है वह संस्कारों के वशीभूत होकर कोई न कोई सुख अथवा दुःख की प्रतिक्रिया किये बिना नहीं रहता। यह प्रतिक्रिया ही अशान्ति और वैचैनी का कारण है।

दार्शनिकों ने इस जगत् को नाम—रूपात्मक कहा है। नाम ही चित्त है और रूप शरीर है। जब चित्त का मन और इन्द्रियों द्वारा विषयों से सम्पर्क-स्पर्श होता है तब संवेदन के फलस्वरूप अच्छी-बुरी प्रतिक्रिया होती है, जो राग और द्वेष के कारण सुख-दुःख का कारण बनती है। यह प्रतिक्रिया विस्तार पाती रहती है और भव-प्रपञ्च बढ़ता जाता है। जब मनुष्य की

आवश्यकताएँ कम रहती हैं तब उसमें सम्स्कारगत प्रतिक्रियाएँ कम होती हैं लेकिन भोगवृत्ति बढ़ने के साथ-साथ डच्छाएँ आवश्यकताओं का रूप लेने लगती हैं। तब राग-द्वेष का क्षेत्र विस्तृत बनता जाता है। पदार्थ में अच्छा या बुरापन रागवृत्ति के कारण होता है। जिनके प्रति राग होता है उन्हें हम अधिक परिमाण में प्राप्त करना चाहते हैं और वे हमारे पास अधिक समय तक बने रहे, कभी नष्ट न हो, यह नृपणा भाव सतत बना रहता है। जो पदार्थ हमें डष्ट नहीं हैं उनके प्रति द्वेष वृत्ति बनी रहती है। हम उन्हें नहीं चाहते, उन्हें नष्ट हुआ देखना चाहते हैं।

राग और द्वेष का मुख्य कारण भोग-बुद्धि है। हम इन्द्रिय और मन की सहायता के डष्ट के प्रति राग और अनिष्ट के प्रति द्वेषभाव जागृत करते हुए भोग में इतने आवद्ध हो जाते हैं कि हमारी सम्पूर्ण चेतना मूर्च्छित और जड हो जाती है। चेतन मन और अचेतन मन का फामला भोग-बुद्धि के कारण निरन्तर बढ़ता जाता है। 'मैं' और 'मैरापन' इतना हावी हो जाता है कि 'पर' या तो दिखाई ही नहीं देता या बहुत छोटे रूप में दिखाई देता है। इससे अह प्रबल हो उठता है और व्यक्ति यथार्थ से हटकर भ्रम में जीने लगता है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख समझने लगता है। यह मिथ्या दृष्टि राग-द्वेष का ही परिणाम है।

एक समय था जब व्यक्ति जीवन और व्यवहार में मरल और सादगी पसंद था पर आज तकनीकी विकास ने जीवन-व्यवहार को अधिकाधिक जटिल और वक्र बना दिया है। इस कारण व्यक्ति अपने तक ही सीमित रह गया है। दूसरे की मवेदनाओं को वह अनुभव ही नहीं कर पाता। जब व्यक्ति भोग-भूमि से ऊपर उठकर योग-भूमि में अर्थात् चित्त और शरीर के भेदविज्ञान को समझकर चेतन और अचेतन मन के फासले को दूर करने में पराक्रमशील होता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर और सम होती है। इस अवस्था को ही स्थिति प्रज्ञा या जीवन मुक्त अवस्था कहा गया है।

मनुष्य के साथ दो तरह के विकार लगे हुए हैं। एक पुरातन सम्स्कारगत और दूसरा वर्तमान व्यवहारगत। अपने वर्तमान को सजग होकर देखने-परखने से व्यक्ति चरित्रवान बनकर प्रज्ञा में पहुँच सकता है। अपने प्रत्येक क्षण के प्रति जागरूक रहने वाला नये कर्म नहीं बाधता है। उसका चिन्तन और व्यवहार सम्यक् हो जाता है। जब वह प्रज्ञा को जागृत कर लेता है तब पुरातन सम्स्कारों को उदय में लाये बिना ही उन्हें जर्जरित और दग्ध कर देता है और फिर उनमें फल देने की ताकत नहीं रहती।

इस प्रकार कर्म में अकर्म, अनित्य में नित्य और विभाव में स्वभाव की ओर बढ़कर, चेतन-अचेतन मन की खाई को पाटकर, राग-द्वेष को जीता जा सकता है।

ऋतु चक्र में बसन्त ऋतु का अपना विशेष महत्त्व है। यह ऋतु न अधिक उष्ण होती है—न अधिक शीत। इसमें जलवायु ममशीतोष्ण रहता है। अत्यधिक शीत से दग्ध वनस्पतियाँ इस ऋतु में अकुरित, पल्लवित और पुष्पित हो उठती हैं। प्रकृति में जो प्रभाव बसन्त ऋतु दिखाती है, मानव जीवन व संस्कृति में, वही प्रभाव प्रकट करने में क्षमा-भाव सक्षम है। क्षमा भाव तभी प्रकट होता है जब जीवन में अतिरेक में वचकर समता प्रतिष्ठापित की जाती है। क्षमा के अभाव में व्यक्ति अतियोग और उत्तेजनाओं में जीता है। शास्त्रों में इन अतियों और उत्तेजनाओं को कषाय और नोकषाय कहा गया है।

‘कषाय’ शब्द ‘कप्’ और ‘आय’ से बना है। ‘कप्’ का अर्थ है ससार और ‘आय’ का अर्थ है आमदनी। जब-जब मन में कषाय के भाव उठते रहते हैं, तब-तब व्यक्ति सासारिक प्रपञ्च में उलझता रहता है। उमका क्षमा भाव, समता भाव क्षीण होता रहता है। कषाय के कई रूप हो सकते हैं। मोटे तौर से क्रोध, मान, माया और लोभ को कषाय कहा है। क्रोध जागृत होने पर व्यक्ति की सहन शक्ति नष्ट हो जाती है। ज्यो-ज्यो क्रोध बढ़ता जाता है त्यों-त्यों उमके शरीर व मन पर विकृति की छाया पड़ती जाती है। कहा जाता है कि क्रोध अन्धा होता है, उममें विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति हमेशा दूसरों में गलती ढूँढता है। पर-दोष-दर्शन की वृत्ति का विस्तार होता जाता है। क्रोध की चरम अवस्था उसमें ग्लानि पैदा करती है। यदि वह दूसरों का अहित कर पाने में असफल होता है, तो निराश होकर, हताश होकर स्वतः अपना अहित करने लगता है। क्रोध के चरम क्षणों में ही आत्म-हत्या जैसी घटनाएँ घटित होती हैं। क्रोधी जहाँ भी रहता है, वहाँ का पूरा वातावरण तनावयुक्त हो जाता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है ‘क्रोध प्रीति का नाश करता है—कोहो पीईं पणासेई।’

जब व्यक्ति में क्रोध का भाव नहीं रहता, तब वह महिष्यु और शान्त हो जाता है। पर-दोष-दर्शन की दृष्टि से हटकर वह ‘स्वदोष दर्शन’ की ओर अभिमुख होता है। स्व-सम्मुख होने में उसका अहं भी गलने लगता है। अहं के गलने से वह न केवल अपने अपराधों के लिये दूसरों में क्षमा याचना करता है वरन् दूसरों के

द्वारा किये गये अपराधो को क्षमा करने की शक्ति भी उसमे प्रस्फुटित होती है। क्रोध शान्त होने मे व्यक्ति क्षमायाचना तो कर सकता है पर क्षमा का दान वह तभी कर सकता है जब उमका अहकार नष्ट हो।

क्रोध और अहकार के नष्ट होने पर व्यक्ति सहज और सरल बन जाता है। कथनी और करनी का अन्तर मिट जाना है। भीतर और बाहर वह एकरूप हो जाता है। उसे ससार के सभी प्राणी अपने मित्र लगने लगते हैं। वह सबको अपने समान ही प्रेम करने लगता है। उनके दुःख के प्रति वह करुणाद्रं हो उठता है। उसके हृदय से प्रेम, दया और सेवा का स्रोत फूट पडता है।

मरलता का यह भाव व्यक्ति को अनामक्त एव निःस्पृह बनाकर सयम और तप की ओर अग्रसर करता है। सासारिक वस्तुओ मे रहीं हुई उसकी ममता घटने लगती है और समता बढ़ने लगती है। उसमे आन्तरिक विरति-भाव का प्रस्फुटन होता है, जो अध्यात्म-साधना के पथ पर अग्रसर होकर भव-भव के बन्धन काटने मे समर्थ होता है।

सक्षेप मे कहा जा सकता है कि क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय के शान्त होने पर ही समता रूप उत्तम क्षमा-भाव जागृत होता है। साधना का लक्ष्य इसी क्षमा भाव को जागृत करना है। जिसके कषाय उपशान्त नहीं होते, उसकी साधना को साधना नहीं कहा सकता—

जे न उवसमई तस्स नत्थि आराहणा,

जे उवममई तस्स अत्थि आराहणा।

जैन परम्परा मे तो प्रतिदिन प्रातःकाल एव सायंकाल अपने अपराधो की क्षमा मागने के लिये प्रतिक्रमण का विधान है। जागरूक साधक प्रतिदिन प्रतिक्रमण कर 'अतिक्रमणो' से वचने का सकल्प करता है। जिनके कषाय बहुत हल्के होते हैं, वे अपने हृदय मे क्षमा भाव धारण कर अपनी साधना को सार्थक बनाते हैं, जो प्रतिदिन प्रतिक्रमण नहीं कर पाते, उनके लिये माह मे दो बार पाक्षिक, वर्ष मे तीन बार चातुर्मासिक एव पयुर्पण के बाद मावत्सरिक प्रतिक्रमण का विधान किया गया है। सबका उद्देश्य है कषायो को उपशान्त कर समता रूप क्षमा भाव धारण करना।

हमारे समाज मे प्रतिक्रमण के उक्त विविध रूप आज भी प्रचलित हैं। आज भी ऐसे लोगो की कमी नहीं है, जो प्रतिक्रमण कर कृत अपराध के लिये क्षमा-याचना करते हैं, पर व्यवहार मे मोटे तौर पर देखा जाता है कि कषाय-भाव पहले से अधिक प्रगाढ और जटिल बने हैं, बाह्य और आन्तरिक परिग्रह वृत्ति का विस्तार हुआ है, भीतरी और बाहरी आमक्ति गहरी बनी है, प्रतिक्रमण के बाद अतिक्रमण रुके नहीं हैं। अतः हमे स्थिर मस्तिष्क होकर विचार करने की आवश्यकता है कि

हमारी तप-सयम की साधना कितनी सार्थक है ? यदि हम बाहरी तौर पर खमत-खामरणा करते रहे और भीतरी तौर पर आसक्ति की ग्रन्थियाँ बाँधते रहे तो हमारी साधना साधना नहीं है, वह एक प्रकार की छलना है, जो हमें छलती रहती है और अपने घेरे से हमें आगे बढ़ने नहीं देती ।

हमारे आचार्यों ने क्षमापर्व के रूप में हमें जो विरासत दी है वह, ममूचे विश्व के लिये अमूल्य निधि है । आज के निष्करुण, हिंसा प्रधान युग में, कुण्ठा और तनावों से युक्त वातावरण में यदि मानवता की रक्षा और सच्ची सुख-शान्ति की प्राप्ति सम्भव हो सकती है, तो क्षमा भाव धारण करने जैसी साधनात्मक प्रक्रिया से ही । अतः हमारा कर्त्तव्य है और युग की आवश्यकता है कि हम क्षमापर्व को, अपने कपायों को उपशान्त कर, पूर्ण सार्थकता प्रदान करें ।



विज्ञान और तकनीकी साधनों के द्रुतगामी विकास के साथ जीवन-साधन के तौर-तरीके अधिक सुविधाजनक बने हैं। व्यक्ति औपचारिक रूप से अधिक सम्यक् दिखने-दिखाने लगा है। तन के रोग अपना निदान ढूँढने और उनकी उपचार-सामग्री जुटाने में अधिक सक्रिय बने हैं, पर मन के रोग अधिक गहरे और विस्तृत होने लगे हैं। आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार रुपये की कीमत काफी गिर गई है, उसी प्रकार मानवीय और नैतिक क्षेत्र में जीवन-मूल्यों की साख भी निरन्तर गिरती जा रही है। परिणामस्वरूप जीवन के दैनन्दिन व्यवहारों के साथ मानवीय मूल्यों का तालमेल टूटता जा रहा है। अन्य मानवीय गुणों के साथ-साथ क्षमा गुण की भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है।

जैन परम्परा में क्षमा गुण को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, क्योंकि क्षमा भाव वीतराग-दशा का ही साक्षात् रूप है। जब व्यक्ति राग-द्वेष आदि सुख-दुःखात्मक भावों से ऊपर उठकर आत्मानन्द में रमण करने लगता है, तभी क्षमा भाव वास्तविक अर्थ में प्रकट होता है। इस दृष्टि से क्षमा आत्मा का स्वभाव है। यह ममस्त सद्वृत्तियों का उत्स और सदगुणों का आधार है।

क्षमा-भाव के विकास के लिये अभ्यास और साधना की आवश्यकता बराबर बनी रहती है। आत्म-निरीक्षण और आत्मावलोकन के बिना इस और अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। पर आज हम बिना अभ्यास और साधना, बिना आत्म-निरीक्षण और आत्मालोचन के क्षमाशील बनना चाहते हैं। परिणामस्वरूप क्षमा मन की वृत्ति न रहकर वचन की अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह गई है। जिस प्रकार रुपये का अवमूल्यन हुआ है, उसी प्रकार क्षमा अपने गौरव और महत्त्व से गिरकर सामान्य शिष्टाचार तक ही सीमित हो गई है। यह शिष्टाचार 'एक्सक्यूज मी', 'सॉरी', 'पाइंडेन' और 'रिप्रेट' जैसे शब्दों में लिपट कर ही रह गया है। ये शब्द यदि हृदय से निकलते हों तो जिन अनुचित कार्यों व व्यवहारों के प्रायश्चित्त रूप इनका प्रयोग किया जाता है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। पर सामान्यतः देखा यह जाता है कि ये शब्द अर्थहीन हो गये हैं और किसी


मशीन के पुर्जे की भाँति सक्रिय होकर इनका चलन-प्रचलन बराबर होता चला जा रहा है ।

क्षमा में दो मुख्य तत्त्व हैं—सहनशीलता और मामर्थ्य । जब भी इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग से मन उत्तेजित और शरीर तनाव युक्त हो, तब ममभाव में स्थित रहकर, अच्छे-बुरे फल को सहन करना क्षमा है । पर आज स्थिति यह है कि पग-पग पर 'एक्सक्यूज मी' और 'सॉरी' कहकर अथवा प्रातः साय 'मिच्छामि टुककड' कहकर भी क्रोध में आँखें लाल किये रहते हैं, मान में शरीर ताने रहते हैं, व्यवहार में कथनी-करनी का भेद रखते हैं और लाभ-लोभ की अनन्त इच्छाओं में परिभ्रमण करते रहते हैं । परिणामस्वरूप मन की गाँठें खुलना तो दूर रहा, तन भी अधिक गठीला बन जाता है ।

हमारे धर्माचार्यों ने क्षमाभाव की धारणा और अभिवृद्धि के लिये अभ्यास और साधना की बहुत ही सुन्दर और मनोवैज्ञानिक परिपाटी चलाई । मानव-स्वभाव को ध्यान में रखकर उसकी सरलता के क्रम से दैनिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और साव्त्मीयक प्रतिक्रमण की व्यवस्था दी । इस व्यवस्था में ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से विभाव से स्वभाव में लौटने, क्षमा में स्थित होने का विशेष विधान प्रस्तुत किया गया है । हमने उस विधान के वाहरी कलेवर को तो सभाले रखा, पर उसकी आत्मा को, उसकी चेतना को खो दिया, जिससे क्षमा हादिक न रहकर वाचिक और यात्रिक बन गई ।

हम सबत्सरी आते ही क्षमा भाव की धारणा के लिये तैयारी करते हैं, पर तैयारी आन्तरिक अधिक न होकर दिखावटी और व्यावहारिक अधिक होती है । जिनके प्रति हमारे मन में गाँठें हैं, उनको खोलने का हम प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में क्रोध और मान जो बैठा है । जिनके साथ हमारे मधुर सम्बन्ध हैं, उनके पास जाकर हम अपना प्रेम और आदर प्रकट कर देते हैं । पर यह क्षमा भाव की कसौटी नहीं है । जब तक मान नहीं गलता तब तक सब जीव मुझे क्षमा करें, यह वोध जाग्रत नहीं होता । जब तक माया का वन्धन शिथिल नहीं होता, तब तक सब जीवों के प्रति मैत्री है—यह अनुभूति नहीं होती । जब तक क्रोध शान्त नहीं होता, तब तक 'मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ', यह भावना नहीं जगती । इसके लिये आत्मा में गहरा उतरना होता है । आत्म-निरीक्षण, आत्मालोचन, ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा ही यह गहराई स्पर्श की जा सकती है । पर हम में से कितने ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और आत्माभिमुख होते हैं ? हममें से अधिकांश लोग तो वहिर्मुखी हैं । 'क्षमापना कार्ड' खरीद कर या छपवा कर अपने हस्ताक्षरों से उसे पोस्ट कर देते हैं । बहुत से तो हस्ताक्षर करने का श्रम भी

नहीं करते । किसी मुनीम या क्लर्क को यह भार सौंप दिया जाता है कि वह वनी वनाई लिस्ट के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए लोगों को प्रिन्टेड क्षमापना कार्ड डालकर क्षमा माग ले । क्षमा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दूसरों के द्वारा मागी या दी जा सके । यह तो आत्म घर्म है, जिसे आत्मा के भावों से विलग नहीं किया जा सकता । जद-जव हमने उसे आत्मा से विलग किया है—तव-तव हमने अपने मन को एक गाठ और लगा दी है । मन की गाठें अधिक न उलझें, इसके लिये आवश्यक है कि हम क्षमाभाव को सही अर्थों में धारण करने की प्रक्रिया को समझें और उसे जीवन-व्यवहार में उतारें ।



मार्दव भाव : सहानुभूति और सामाजिकता के संदर्भ में

मार्दव अर्थात् मृदुता-कोमलता मानव मन की एक ऐसी वृत्ति है जो उसे दूसरो के प्रति सवेदनशील और सहिष्णु बनाती है। यही एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को मनुष्यत्व की ओर, सामाजिकता की ओर अग्रसर करता है। मृदुता का भाव आने पर मनुष्य केवल अपने लिये ही नहीं जीता, वह अपने जीवन को दूसरो को जीवित रखने के लिये समर्पित कर देता है। उसके अस्तित्व का बिन्दु मात्र बिन्दु रहने में जीवन की सफलता नहीं मानता वरन् दूसरो के लिये वह कर सिन्धु में परिणत होने में अपने जीवन की सार्थकता समझता है।

मार्दव भाव के उद्भव की मुख्य शर्त है—अपने से परे दूसरे के अस्तित्व की स्वीकृति और उसके प्रति सहानुभूति का सम्बन्ध। इस भावना के उदय के साथ ही व्यक्ति का अहम् गल जाता है और उसका चिन्तन समष्टि के हित व लोक-कल्याण के लिये प्रवृत्त रहता है। दया, करुणा, प्रेम, मैत्री जैसे उदात्त भावों की जननी यही मार्दव भावना है। इस भावना के उन्नयन और विकास के लिए कठोरता और क्रूरता का निषेध आवश्यक है। व्यक्ति दूसरो के प्रति कठोर और क्रूर तभी बनता है जब उसमें अहम् अर्थात् अभिमान का भाव उमड़ता है। शास्त्रीय भाषा में इसे मद कहा गया है।

मद का यह भाव व्यक्ति को उद्दण्ड, अभिमानी और निर्मम बना देता है। इसके नशे में उसे हिताहित का भान नहीं रहता। उसकी विवेक शक्ति कुठित हो जाती है। शास्त्रकारों ने मद को जहरीला नाग बताया है और उसके आठ फण वताये हैं। जाति, कुल, रूप, बल, तप, ज्ञान, सिद्धि और पूजा के आठ मद उसके आठ फण हैं। ये सभी या इनमें से कोई एक भी मनुष्य के विनाश का कारण बनता है।


मद का यह प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ उसका क्षेत्र और प्रभाव व्यापक बना है। जाति मद के कारण जो रक्तपात, हिंसा और युद्ध हुए हैं उनसे इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। साम्प्रदायिक विद्वेष और रंग भेद—काले-गोरे के नाम पर दगो फिसाद—नीति इसी के परिणाम हैं। इस मद

धन, सम्पत्ति, देश-प्रदेश और उत्पादन के साधनों का ही बटवारा नहीं किया वरन् मानव-मानव के बीच दीवारें खड़ी कर मानवीय भावनाओं तक का बटवारा कर दिया है। अशांति की इसी आग में आज मारा विश्व भुलस रहा है।

जाति मद की तरह रूप, बल, धन, तप और ज्ञान आदि का मद है। ज्ञान के मद ने आज व्यक्ति को हिंसक बना दिया है। उसकी हिंसक प्रवृत्तियों का मूल कारण है—स्वार्थ-साधन। आज ज्ञान का उपयोग मुख्यतः दूसरों को अधीन और परावलम्बी बनाने में किया जा रहा है। वस्तुतः ज्ञान का प्रकाश दूसरों को स्वावलम्बी और सुखी बनाने में होना चाहिये, पर यह नहीं हो रहा है क्योंकि ज्ञान के साथ सत्ता और सम्पत्ति जुड़ गये हैं जबकि जुड़ना चाहिये सयम और सद्भाव, विनय और विवेक।

मार्दव भाव व्यक्ति को सरल हृदय और विनम्र बनाता है। दूसरों के लिए पिघलने में, पुरुषार्थ करने में उसे आनन्द आता है। वह दूसरों का सुख स्वयं लूटना नहीं चाहता बल्कि अपना सुख दूसरों को लुटाना चाहता है। धर्म के जितने भी तत्त्व हैं या हो सकते हैं उन सबका जीवन्त समुच्चय है—मार्दव भाव क्योंकि इसी से क्षमा, आर्जव, लाघव, सत्य, सयम, तप, त्याग आदि धर्मभाव फूटते हैं।

मार्दव भाव की साधना हमें अपने से ही आरम्भ करनी होती है। हम अपने को इतना शक्तिसम्पन्न और शीलवान बनायें कि कोई हमारा शोषण न कर सके और हम किसी की विवशता का वेजा लाभ न उठायें वरन् उसे सक्षम बनाने में अपने पराक्रम का उपयोग करें।



आर्जव का अर्थ है सरलता। सरलता मनुष्य का सहज गुण है। जिसकी प्रकृति सरल होती है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह सबके प्रति मैत्रीभाव रखता है। सरल प्रकृति होने से उसके आचार और विचार में एकता बनी रहती है। फल-स्वरूप वह कभी सशयग्रस्त नहीं होता। उसका जीवन और व्यवहार खुली हुई पुस्तक के समान स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता है। उसके चारों ओर प्रसन्नता, निश्चिन्तता और सहजता का वातावरण बना रहता है। सरल प्रकृति का व्यक्ति जैसा मन में सोचता है, वैसा ही वाणी से प्रकट करता है और काया से तदनुकूल प्रवृत्ति करता है। मन, वचन और काया की यह एकता उत्तम प्रकृति के मनुष्य का लक्षण है।

एक समय था, जब मनुष्य की आवश्यकताएँ कम थी और वे कल्पवृक्ष अर्थात् प्रकृति से ही पूरी हो जाती थी। तब व्यक्ति बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार से सरल था। पर ज्यो-ज्यो सभ्यता का चक्र आगे बढ़ता गया त्यो-त्यो प्रकृतिप्रदत्त वस्तुओं से मनुष्य की आवश्यकताएँ पूरी न होने लगी, अतः उसने अपने बाहरी जीवन को सरलता-सुभीता पूर्वक यापन करने के लिये नये-नये उपकरण जुटाये, नये-नये आविष्कार किये। इस प्रकार संस्कृति का विकास हुआ पर कालान्तर में जीवन में जटिलतायें बढ़ने से आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री की पूर्ति नहीं होने लगी। अतः मानव-श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग होने लगा। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई, लाभ-वृद्धि बढ़ी और जीवन भोगोन्मुख बना। पर इसी लाभ-वृद्धि से लोभ-वृत्ति बढ़ी और जीवन में शान्ति के स्थान पर संघर्ष, सहयोग के स्थान पर प्रतिस्पर्धा और सरलता के स्थान पर वक्रता बढ़ी। यह वक्रता बाहर इतनी खतरनाक नहीं बनी, जितनी मनुष्य के भीतर जाकर बनी। और गाठ के रूप में, शल्य के रूप में, माया और कपट के रूप में जमकर बँध गई और द्रुत व्यक्तित्व का उदय हुआ जो आज के युग की सबसे बड़ी दुःखान्त घटना है।

बाहर की वक्रता इतनी भयंकर और खतरनाक नहीं होती जितनी भीतर की वक्रता। जिसके मन में वक्रता अर्थात् मायाचार होता है, वह क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी होता है। उसका कोई मित्र नहीं होता। वह आन्तरीक का साप बनकर दूसरों को हानि पहुँचाने की योजनायें बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसकी

कार्यप्रणाली इतनी बनावटी और नकली लगने लगती है कि वह सबका विश्वास खो बैठता है। कहा भी है—“माया मित्ताणि नासेई” अर्थात् माया मित्रता का नाश करती है।

जिसके परिणाम सरल होते हैं, वह सबका प्यारा बन जाता है। उसका हृदय इतना पवित्र और संवेदनशील होता है कि वह सबको अपनी खुशी वाटता है। उसकी दृष्टि अपने दोषों और दूसरों के गुणों पर केन्द्रित होती है। फलस्वरूप उसमें निरन्तर गुण-ग्रहण का भाव बना रहता है। प्रत्येक क्रिया-व्यापार में उसकी प्रज्ञा जागरूक और विवेक दीप्त रहता है। इस कारण अपनी गलती को वह शीघ्र स्वीकार कर, उसका प्रायश्चित्त लेता है, और भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसकी सावधानी बरतता है। आत्म-शुद्धि की इस प्रक्रिया से उसका जीवन ग्रन्थिरहित बना रहता है। इसीलिये शास्त्रों में कहा है, जो सरल मन वाला है—वही निर्ग्रन्थ धर्म का पालन कर सकता है—‘निर्गथा उज्जुदसिणो’।


मायावी व्यक्ति यद्यपि यह समझता है कि वह दूसरों को छल रहा है, पर अततो गत्वा वह स्वयं ही छला जाता है। एक-एक कर उसके सांसारिक जीवन के मारे साथी उससे छूटते जाते हैं और वह अकेला, असहाय बन जाता है। यही नहीं, उसकी आत्मा के सद्गुण भी उससे विदा हो जाते हैं—और उसका स्थान ले लेते हैं—अनेकानेक दुर्गुण और व्यसन। अनुभवियों ने इसीलिये कहा है कि शुद्ध और सरल आत्मा में ही धर्म ठहर सकता है—‘सोही उज्जुभूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई।’

आत्मा के ये गुण एक-एक कर इस प्रकार भागते हैं कि मायावी को इसका बोध ही नहीं हो पाता क्योंकि माया अर्थात् कुटिलता भूत की तरह अदृश्य रहती है। अन्य कषायों की अपेक्षा माया सूक्ष्म होती है। क्रोध जब प्रकट होता है तब स्पष्ट दिखाई देता है। वह मस्तिष्क, वाणी और हाथ-पावों के द्वारा प्रकट होता है। मान अर्थात् अहंकार भी शरीर की अक्कड़ तथा वाणी-व्यवहार में व्यक्त होता है। लोभ लोभी की नानाविध प्रवृत्तियों को मकुचित कर देता है। सग्रह-वृत्ति और कृपणता के माध्यम से वह अभिव्यक्त हो जाता है। पर माया ऐसा मीठा जहर है जो अन्दर ही अन्दर व्यक्ति को काटता रहता है। आत्म गुणों के नष्ट हो जाने से उसकी सम्पूर्ण अच्छाइयों का, गतिशील व्यक्तित्व का नाश हो जाता है—‘माया गड पडिग्गाओ’ अर्थात् माया से मद्गति नष्ट होती है। उसे तिर्यंच गति में जन्म लेना पड़ता है, जहाँ बक्रता है, जडता है, अज्ञान है।

आज हमारा जीवन अधिक जटिल, कुटिल और गठीला बनता जा रहा है। परिणामस्वरूप बाहरी और भीतरी रम सूखता जा रहा है। कहा भी है—‘जहा

जीवन-तत्त्व

गाठ तह रस नहीं ।' जब गाठ शरीर के किसी अंग में हो जाती है तब वह कितनी पीडाकारी होती है, यह सब जानते हैं । जब तक शल्य चिकित्सा द्वारा गाठ को निकाला नहीं जाता, तब तक चैन नहीं मिलता, और यदि मन में गाठ पड जाय तो कितना सन्ताप होता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है । आज हमारे जीवन में सरलता का अभाव होने से जगह-जगह गाठें पड गई हैं । इन्हे दूर हटाना आवश्यक है । ये गाठें तभी दूर हट सकती हैं, जब हमारे आचार और विचार में सरलता आये, खान-पान में सात्विकता आये, रहन-सहन में सादगी आये, व्यापार-व्यवसाय में प्रामाणिकता और ईमानदारी आये । जीवन की सफलता और सार्थकता का मार्ग है—आर्जव भाव, सरलता, क्योंकि सरलता से ही शुद्धि, शुद्धि से ही सजगता और सजगता से ही सिद्धि सम्भव है ।



शौच धर्म : आत्म-शुद्धि और जीवन-शुद्धि के संदर्भ में

शौच शब्द का अर्थ शुचि या पवित्रता है। इस अर्थ में शौच धर्म पवित्रता का धर्म है। पवित्रता पारदर्शी व्यक्तित्व का लक्षण है। अग्रर की तरह जो भीतर-बाहर सरस और महज होता है, वही सरल और शुद्ध होता है। और शुद्धता ही धर्म का लक्षण है। जहा अशुद्धता होती है वहा वक्रता अर्थात् गाँठ अवश्य होती है। यह गाँठ या ग्रन्थि ही दुःख का कारण होने से अधर्म है। गाँठ अशुद्धता और विकृति का परिणाम है। गाँठ को तोड़ना अर्थात् ग्रन्थि-भेदन करना और प्रकृतिस्थ होना धर्म है। इस दृष्टि से शौच धर्म सभी धर्मों का मूलाधार कहा जा सकता है।

एक समय था जब व्यक्ति प्रकृति पर निर्भर था। उसकी आवश्यकतायें बहुत सीमित थी, पर धीरे-धीरे सम्यता का विस्तार हुआ, आवश्यकतायें बड़ी और मुद्रा का प्रचलन हुआ। अर्थ-संग्रह और लाभ-वृत्ति से सघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावना बढी। समाज में ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, शोषक-शोषित स्वामी-सेवक जैसे दो वर्ग पैदा हो गए। छीना-भपटी, लूट-खसोट तथा अधिकार-भावना से जीवन और समाज में क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे कपाय भाव वृद्धि पाने लगे। इन कपाय भावों के प्रभाव से जीवन विकृत और व्यवहार अशुद्ध बनता गया।


जीवन और व्यवहार की यह अशुद्धता आचार और विचार दोनों को विकृत करने लगी। वैचारिक अशुद्धता के कारण धर्म के नाम पर हिंसा, पाखंड, राजनीति के नाम पर एकाधिकार भावना और तानाशाही वृत्ति तथा वर्ण-व्यवस्था के नाम पर द्यूआद्धत और रगभेद के नाना स्तर कायम होते गये। इन सबका प्रभाव सामाजिक रीतिरिवाजों और दैनिक व्यवहारों पर पडा। फलस्वरूप धर्म की मूल दृष्टि खो गयी। मिथ्या दम और यशोलिप्सा ने अनेक सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया। इन बुराइयों में दहेज-प्रथा, सप्त-व्यसन, कथनी-करनी का अन्तर, मिद्वान्त और व्यवहार का भेद आज प्रमुख हैं। इन सब बुराइयों के खिलाफ निष्ठा-पूर्वक लड़ना शौच धर्म की ही उपासना है। इस दृष्टि से सोचने पर मत्त-महात्माओं के जो धार्मिक और सामाजिक सुधारात्मक आंदोलन हैं, वे प्रकारान्तर से शौच धर्म की प्रतिष्ठापना के ही सामूहिक संगठित प्रयत्न हैं।

शौच धर्म के दो पक्ष हैं—द्रव्य शौच और भाव शौच। लोक जीवन में बाह्य

जीवन-तत्त्व

स्वच्छता का ही प्रमुख रूप देखा जाता है। आज जनस्वास्थ्य और परिवार कल्याण तक इसका क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। प्रदूषण के दुष्परिणामों से मानवता को बचाना भी द्रव्य शौच धर्म की साधना है। पर जिन लोगों ने तीर्थाटन, स्नान, पात्र, वस्त्र, भवन, शरीर आदि की जल और मिट्टी से या धर्म व मन्त्र में शुद्धि करने तक ही शौच धर्म को सीमित कर रखा है, वह ठीक नहीं। इससे अधिक गहरी और सूक्ष्म बात है भाव शौच की। इसका मीघा सम्बन्ध है आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से। इसके लिये मानस-तीर्थ में गहरे उतरने व आत्मस्वरूप में रमण करने की आवश्यकता है। इम अर्थ में शौच धर्म कषायों की भारहीनता और चेतना के ऊर्ध्वीकरण की साधना है। निर्लोभता इसका मूल कहा गया है।

शौच धर्म की सम्यक् परिपालना के लिए व्यक्ति में अल्प इच्छा, अमूर्च्छा, अगृहता और अप्रतिबद्धता (अनामक्ति) का भाव आना आवश्यक है। ज्यो-ज्यो इन भावों की वृद्धि होती जाती है त्यो-त्यो निर्लोभता बढ़ती जाती है। लोभ मव पापों का बाप कहा गया है। ज्यो-ज्यो लोभ घटता जाता है त्यो-त्यो सद्गुण प्रकट होते जाते हैं। सद्गुणों का प्रकटीकरण ही आत्म-शुद्धि और जीवन-शुद्धि की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अधिक तेज हो इसके लिए हमें लोकपक्ष और आत्मपक्ष दोनों स्तरों पर जागरूक होकर साधनारत रहने की आवश्यकता है।



भारतीय साधना पद्धति में तप का विशेष महत्त्व है। तप के द्वारा इन्द्रियो पर नियन्त्रित कर, मन को अन्तर्मुखी बनाकर, आत्मस्वरूप में स्थित हुआ जाता है। आत्मा की सुपुष्ट शक्तियों को जागृत करने का प्रभावकारी माध्यम है—तप। इन्द्रियों की प्रकृति और प्रवृत्ति बाहर की ओर खुलने की है। जब ये स्वतन्त्र होती हैं तो बाह्य ससार में रमण करती हुई विषयभोगों का आसेवन करती हैं और मन को अपना दास बनाती हैं। यह प्रवृत्ति मनुष्य में रहे हुए पशुत्व को उभारती है। जब इन्द्रियों और मन की अशुभ प्रवृत्तियों को नियन्त्रित कर, शुभ प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हुआ जाता है, तब तप की साधना शुरू होती है। दूसरे शब्दों में आत्मा को आत्मा में, आत्मा द्वारा स्थिर रखना तप है। तप-साधना करने वाला व्यक्ति सयम में पराक्रम दिखाकर अपने चरित्र को दृढ़ बनाता है।

तप विकारों को नष्ट करने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार सोने को तपाने से वह शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार कर्म पुद्गलों को दहन अर्थात् भस्म करने के लिये तप किया जाता है। तप से ताप मिलता है, जिसके फलस्वरूप विकृति नष्ट हो जाती है। प्रकृति में हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य खूब तपता है। उसके प्रचण्ड ताप से धरती तप कर विकार-रहित हो जाती है पर उसकी यह तपन सार्थक तब बनती है, जब आपाठ की फुहार का स्पर्श पाकर धरती हरी-भरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार शरीर का तपन तब सार्थक बनता है जब उसमें निहित आत्मतत्त्व निर्मल, उज्ज्वल और प्रकाशमान हो उठता है।

हमारे तप-विधान में शरीर के तपन के लिये छह बाह्य तपों की व्यवस्था है। जिसके अनुसार सम्पूर्ण आहार का त्याग कर, कम खाकर, निर्दोष आहार की प्राप्ति कर, स्वाद पर विजय प्राप्त कर, शारीरिक श्रम कर, इन्द्रियों पर नियन्त्रण कर ऐसी तैयारी की जाती है कि आत्मतत्त्व को निर्मल और शुद्ध बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके। यह प्रक्रिया जिन तपों के द्वारा पूरी हो सकती है, वे आभ्यन्तरिक तप कहे गये हैं। इनकी मध्या भी छह—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग हैं। इस विधान से स्पष्ट है कि तप साधना का मूल लक्ष्य आत्मतत्त्व की शुद्धि और

उसमे निहित ज्योति को प्रकट करना है । इसकी पूर्व भूमिका और तैयारी के रूप में ही बाह्य तपो का विधान है ।

पर बहुधा देखा यह जाता है कि वर्तमान परिपाटी में हमारा अधिक ध्यान बाह्य तपो पर और उनमें भी विशेष रूप से अनशन अर्थात् भूखा रहने पर ही टिका रहता है । भूखा रहने का विधान इसलिए है कि मन और इन्द्रियों की चंचलता मिटे और तप साधक आभ्यन्तर तपो की ओर अग्रसर हो । यदि साधक केवल भूखा रहता है और अपनी इन्द्रियों को स्वच्छन्द छोड़ देता है, मन की दुष्प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण नहीं कर पाता है, आत्म-स्वरूप में रमण करने की ओर प्रेरित नहीं होता है तो सोचने की बात है कि उसका यह तप वास्तव में तप है क्या ?

यदि तप के द्वारा कापायिक वृत्तियों को मद नहीं किया जाता, छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजना आती हो, अपने को उच्च और दूसरे को हीन समझा जाता हो, हृदय में दूसरों के प्रति मनोमालिन्य और छल-छद्म की भावना बढ़ती हो, मानसिक क्लेश, वैचैनी, चिन्ता और रागद्वेष की वृत्ति पनपती रहती हो तो समझ लीजिए जो कुछ किया जा रहा है, वह तप नहीं, निरा ताप है, कण्ट है ।


तप सच्चे अर्थों में तप तब बनता है, जब वह कण्टदायक न रहकर आनन्द-दायक बने, मन को अपने ताप से उत्तेजित न कर हृदय-मन्दिर को प्रकाश में आलोकित करे । तप शान्ति प्रदाता है, समता-विधायक है । अगर आपके तप से घर, परिवार या समाज में अशान्ति का वातावरण बनता है, यदि आप के तप से दूसरों को परेशानी उठानी पड़ती है, यदि आप अपने तप से परावलम्बी और पराजित हो जाते हैं तो उसकी क्या उपादेयता और मार्थकता रह जाती है, यह स्वयं सोचें ।

तप रूढिपालन न होकर आत्मक्रान्ति है, आडम्बर या प्रदर्शन न होकर आत्मालोचन और अन्तरावलोकन है । अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही इस ओर प्रवृत्त होना अभीष्ट है ।

तप साधना करते समय फल की इच्छा नहीं होनी चाहिये । अन्तरंग वीतरागता और सयम की रक्षा व वृद्धि ही उसका लक्ष्य होना चाहिये । आज बहुत से लोग तप करके भी अपने जीवन-क्रम को बदल नहीं पाते, तप में निहित तेज को ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि उनकी दृष्टि 'स्व' पर केन्द्रित न होकर 'पर' पर केन्द्रित रहती है । यह दृष्टि ही उन्हें प्रदर्शन और आडम्बर की ओर खींच ले जाती है । उनका ध्यान आभ्यन्तर तपो की ओर न जाकर बाहरी दिखावे की ओर जाता है, शोभायात्रा की ओर जाता है, रिश्तेदारों के भेंट-उपहार पर जाता है, प्रभावना

और पुरस्कारो पर जाता है । तप की प्रभावना दूसरो को प्रभावित करने मे उतनी नही है जितनी स्वय अपनी आत्मा को प्रभावित-प्रकाशित करने मे है ।

लगता है, हम तप के क्षेत्र मे भी सौदावाजी करने के आदी हो गये हैं । साधना के कठिन मार्ग को भी हम सरल बना लेना चाहते हैं, जैसे धर्म की अन्य क्रियाएँ बहिर्मुखी बन गई हैं, वैसे ही तप को भी हमने बहिर्मुखी बना दिया है । यदि विवेक पूर्वक चिन्तन कर, हमने तप को अन्तर्मुखी और वृत्तिपरिष्कारक नही बनाया तो निश्चित मानिये, तप से हमें ताप ही मिलेगा, प्रकाश नही । यह प्रत्येक तप-साधक के सोचने की बात है कि उसके तप मे कितना ताप है और कितना प्रकाश ? हमारा तप ताप के लिये नही, प्रकाश के लिये होना चाहिये ।



तप हमारे दैनिक जीवन-व्यवहार का अंग बने

भारत ऋषि, मुनियों और तपस्वियों का देश है। शास्त्रों में बड़े-बड़े तपस्वियों और उनकी दीर्घ तप-साधनाओं के विशिष्ट रोमाचकारी वर्णन मिलते हैं। आज भी भारत में लम्बी तपस्या करने वाले साधक विद्यमान हैं। हमारे धर्म और मन्कारों में, पर्व और त्यौहारों में ऐसी स्थितियों, घटनाओं और कथाओं की कमी नहीं कि जिनका आलम्बन पाकर सैकड़ों-हजारों नहीं वल्कि लाखों स्त्री-पुरुष किसी न किसी रूप में तपस्या करते हैं। तपस्या के नाम पर किये जाने वाले आडम्बर और प्रदर्शनो की भी कमी नहीं है। कई भाई-बहिन तो वर्ष भर एकान्तर तप (एक दिन उपवास, एक दिन खाना) करते हैं, जिसके पारणों वैशाख शुक्ला तृतीया (आखातीज) को सम्पन्न होते हैं।

तपस्या का इतना अधिक प्रचलन और व्यवहार होने पर भी चारित्र्य पालना का, ज्ञान-दर्शन की प्रभावना का जो तेज और ओज जीवन और समाज में प्रकट होना चाहिये, वह नहीं दिखाई देता। इससे यह अनुमान करना गलत नहीं होगा कि अधिकांश तपस्वी भाई-बहिन तप को रूढ़ि रूप में ही लेकर चलते हैं। वे उसके मुख्य लक्ष्य और स्वरूप को नहीं पहचानते।

सांसारिक वधनों और मानसिक विकारों की मुक्ति के लिये ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य की भाँति तप भी एक प्रमुख साधन है। ज्ञान और दर्शन के माध्यम से तो तत्त्व का स्वरूप समझकर श्रद्धा बढ होती है, पर उसका आचरण चारित्र्य द्वारा ही संभव हो पाता है। चारित्र्य की कसौटी तप है। चारित्र्य के परिपालन और व्रत-नियमों के आराधन में जो बाधाएँ आती हैं, उन्हें दूर करने में अपने पुरुषार्थ-पराक्रम को प्रकट करने का नाम तप है। धर्म के पालन से न डिगने और उसमें आने वाली कठिनाइयों को वयं पूर्वक महन करने ही क्षमता का विकास कर, सहनशीलता अर्जित करने का नाम तप है। शास्त्रीय दृष्टि में तप निर्जरा है, जिसके द्वारा सच्चित कर्म मेल को दग्ध किया जाता है। जिस प्रकार तालाब में सच्चित पानी को सुखाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके पानी के आगमन के सारे स्रोत अवरोध कर दिये जायें ताकि पानी उसमें न आ सके और जो पानी पहले से भरा हुआ है, उसे सुखाने के लिये वायु और सूर्य की शक्ति के साथ-साथ मिर्चाई के लिये उसका उपयोग कर

लिया जाय । ठीक उसी प्रकार जीवात्मा रूपी तालाब के साथ जो कर्मों का पानी है, उसे नष्ट करने के लिये यह आवश्यक है कि नया पानी उसमें न आये । इसके लिये मयम रूप चारित्र की आराधना की जाती है, व्रत-नियम लिये जाते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपायो को उपशान्त किया जाता है । और जो पानी पहले से संचित है, अर्थात् जो कर्म पुराने हैं, उन्हें जर्जरित करने के लिये बाह्य और आभ्यन्तर तप किया जाता है । तप का लाभ तभी मिल पाता है, जब उसके साथ मयम रूप चारित्र की साधना जुड़ी हुई हो । तालाब में भरा हुआ पुराना पानी तभी सूख सकता है, जब नया पानी न आये । यदि नया पानी आने के स्रोत बन्द न किये जायें और पुराने पानी को सुखाने के प्रयत्न हम निरन्तर करते रहे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी ।


वर्तमान में प्रायः यह देखा जाता है कि तपस्या के साथ मयम व चारित्र का पूरा मेलजोल नहीं है । उपवास, बेले, तेले और लम्बी तपस्यायें करके भी तपस्वी भाई-बहन सांसारिक कार्यों में और कपाय भावों में प्रायः उलझे रहते हैं । तप के साथ हिंसा, भूठ चोरी, परिग्रह आदि की वृत्ति में जो कमी आनी चाहिये, वह प्रायः नहीं आ पाती । क्रोध की मात्रा कम नहीं होती, मान या अहंकार कम होने की वजाय कभी-कभी अधिक बढ़ा हुआ दिखाई देता है । कथनी और करनी में एकता स्थापित नहीं हो पाती । मान सम्मान, पैसा, परिग्रह प्राप्ति का लोभ किसी न किसी रूप से बना रहता है । यह वृत्ति तप को अशुद्ध बनाने वाली है । जब मन में दूसरों को नीचा देखने, उनका काम विगाड़ने तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करने की वृत्ति बनी रहती है, तब तप जीवन के लिये सार न बनकर भार बन जाता है । ऐसे तप को ताप कहा गया है । शास्त्रों में इसे बाल-तप कहा है । विवेक और ज्ञान के अभाव में तप ताप बन जाता है ।

तपस्वी भाई-बहन को अपने मन में सदैव इस बात का चिन्तन करते रहना चाहिये कि वह जो तपस्या कर रहा है—उसके पीछे लक्ष्य क्या है ? शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस लोक के लिये अर्थात् सांसारिक भोग-विलास और परिग्रह-वृद्धि आदि के लिये तप न किया जाय । परलोक के लिये अर्थात् स्वर्ग-प्राप्ति, देव-ऋद्धि आदि की आकांक्षा से तप न किया जाय । पूजा, प्रतिष्ठा, महिमा, यज्ञ आदि के लिये तप न किया जाय । आज के अधिकांश तपस्वी इन तीनों निषेधों के शिकार हैं । जो इहलोक और परलोक के लिये तप नहीं करते वे भी महिमा, पूजा, प्रतिष्ठा को महत्त्व देते प्रतीत होते हैं । तपस्या के नाम पर किया जाने वाला प्रदर्शन और आडम्बर इसी मनोवृत्ति का परिणाम है ।

तप का लक्ष्य है संचित कर्मों को निर्जर्जरित करना अर्थात् मन में हिंसा, भूठ, चोरी, परिग्रह और कुशील की जो भावना उठती है, उसे न उठने दें । तपस्या की

अग्नि में तपकर मन की वृत्तियाँ इतनी शान्त और अनासक्त बन जायें कि वे पाप मार्ग की ओर न बढ़ें। जब-जब कठिनाइयाँ आयें, तब तब मन में धैर्य का भाव पुष्ट हो। इसी दृष्टि से कहा गया है—‘तवस्स मूल धिन्ती’ अर्थात् तप का मूल धृति अर्थात् धैर्य है। तपस्या के प्रभाव से शरीर का दुर्बल होना इष्ट नहीं है, इष्ट है मन का प्रसन्न होना, क्षमाभाव आना, सरलमना होना, विनीत बनना, सहानुभूतिशील होना, अनासक्त बनना। श्रेष्ठ तप का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि वही तप श्रेष्ठ है जिससे कि मन अमगल न सोचे, इन्द्रियो की हानि न हो और नित्य प्रति की धर्म-क्रियाओं में विघ्न न आये।

आज तप के अर्थ में प्रायः बाह्य तपो को ही विशेष महत्त्व दिया जाता है। बाह्य तप छ. प्रकार के हैं—भूखा रहना, कम खाना, भिक्षा वृत्ति करना—निर्दोष आहार ग्रहण करना, स्वाद पर विजय प्राप्त करना, कण्टसहिष्णु बनने का अभ्यास करना, मन और इन्द्रियो को सद्वृत्तियो में प्रवृत्त करना। इन बाह्य तपो में भी मुख्यता अनशन तप की ही है अर्थात् भूखा रहना ही बड़ा तप मान लिया गया है। यह अवश्य है कि शास्त्रकारों ने अनशन तप को बड़ा महत्त्व दिया है और कर्मों की निर्जरा तथा शारीरिक रोगों के उन्मूलन में इसका लाभ भी प्रतिपादित किया है, पर यह सब तभी संभव है जब उसके साथ आन्तरिक तप जुड़ने लगते हैं। आन्तरिक तप छ. प्रकार के बताये गये हैं.—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य (सेवा) स्वाध्याय, और व्युत्सर्ग (शरीर के प्रति अनासक्त भाव) जब तक तपस्वी के मन में सहिष्णुता, निराकुलता और देह के प्रति अनासक्त भावना का विकास नहीं होता, तब तक तपस्या का पूरा लाभ उसे नहीं मिल पाता। अतः यह आवश्यक है कि हम तप के मुख्य लक्ष्य को समझें और उसे अपने दैनिक जीवन-व्यवहार का अंग बनायें। पर्व-तिथियों पर तप करके ही हम अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझ लें बल्कि तपोसाधना में आगे बढ़कर हम अपने प्रत्येक कार्य और व्यवहार में अपने तपोनिष्ठ जीवन की छाप छोड़ें।



मनुष्य जन्म लेने के बाद अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए समाज पर निर्भर रहता है। व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध सहयोग और सेवा भाव पर निर्भर है। इस दृष्टि में सेवा भावना सामाजिकता का आधार है।

ज्यो-ज्यो प्राणी में इन्द्रियों का विकास होता जाता है, त्यो-त्यो उसमें सहयोग की भावना बढ़ती जाती है। एक इन्द्रिय वाले प्राणी की अपेक्षा पंचेन्द्रिय में सहयोग की भावना का यह अभिवृद्ध रूप देखा जा सकता है।

सेवा भावना का स्रोत तभी फूटता है जब व्यक्ति में दूसरो को अपने समान ममभूने की भावना का उदय होता है। हमारी आत्मा जैसे हमें प्रिय है, वैसे ही दूसरे की आत्मा उसे प्रिय है। ऐसा समझकर, ससार के सभी प्राणियों के प्रति मित्रता स्थापित कर, उनके दुःख को दूर करने में सहयोगी बनना सेवा धर्म का मूल है। जब व्यक्ति अहंकार को भूल कर, मन और वचन में सरलता लाता है तभी वह सेवा के क्षेत्र में सक्रिय बन पाता है। 'सेवा' शब्द 'से' और 'वा' से बना है। 'से' का अर्थ है सँचन करना और 'वा' का अर्थ है वारण करना। सेवा के दो मुख्य कार्य हैं। एक तो दूसरे के कार्य में सहयोगी बनकर उसके कार्य को पूरा करना अर्थात् उसके कार्य को सिंचित करना और दूसरा उनके कार्य या जीवन-निर्वाह में जो बाधाएँ हैं उन्हें दूर करना, उनका निवारण करना। इस प्रकार सेवा धर्म जीवन-रक्षा का धर्म है। इस धर्म का निर्वाह उत्तम रूप से तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति दूसरो के दुःख को दूर करने या हल्का करने में अपने सुख का त्याग करे। त्याग भावना के बिना सेवा धर्म का निर्वाह हो नहीं सकता।

त्याग भावना चित्त की निर्मल वृत्ति है। जब व्यक्ति कषाय भावों का त्याग कर मेवा में प्रवृत्त होता है तब उसमें सेवा के बदले यश, मान, प्रतिष्ठा आदि कुछ भी पाने का भाव नहीं रहता। पर जब ये कषाय भाव नहीं छूटते तब जो मेवा की जाती है उसमें प्रदर्शन और सम्मान पाने की भावना रहने से वह व्यवसाय का रूप धारण कर लेती है। आज सेवा का यह व्यावसायिकरण धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं व पार्टियों में बढ़ता जा रहा है।

‘उत्तराध्ययन’ सूत्र के २६वें अध्यायन ‘सम्यक्त्व पराक्रम’ में गीतम स्वामी भगवान् महावीर से पूछते हैं कि हे भगवान् । वैयावृत्य अर्थात् सेवा करने से जीव को क्या लाभ होता है ? भगवान् उत्तर में फरमाते हैं कि वैयावृत्य अर्थात् सेवा करने से जीव को तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है ।^१ तीर्थंकर जीव की वह उच्चतम अवस्था है जब आत्मा की ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, बल आदि की समस्त शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं और जन्म-मरण के भवप्रपञ्च से उसकी मुक्ति होना निश्चित हो जाता है । तीर्थंकर ऐसा धर्मनायक और लोकनायक है जो अपनी देशना के बल पर जीवों को ससार-सागर से पार उतारने में समर्थ है । सेवा का ऐसा महान् फल तभी मिल सकता है जब सेवा शुद्ध अन्तःकरण से की गई हो, उसमें छल, कपट और अहंकार की गन्ध न हो ।

सेवा का क्षेत्र विस्तृत और बहुमुखी है । ‘स्थानाग’ सूत्र में दस प्रकार की सेवा बताई गई है—आचार्य की सेवा, उपाध्याय की सेवा, स्थविर की सेवा, तपस्वी की सेवा, शिष्य की सेवा, रत्न-रोगी की सेवा, गण की सेवा, कुल की सेवा, सघ की सेवा, और सहधर्मी की सेवा । अतिम चार सेवाओं में देश सेवा और समाज सेवा का भाव सम्मिलित है ।

सेवा में ऊच-नीच की भावना नहीं रहनी चाहिए । जिसकी सेवा की जा रही है उसके प्रति सेवाभावी के मन में हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए । सच्ची सेवा में परमात्मा का वास होता है । पर आज सेवा को दान के साथ विशेष रूप से जोड़ दिया गया है ।

यद्यपि अपने परिग्रह का त्याग कर, उसका सेवा-कार्यो में उपयोग करना अच्छी बात है, पर इसमें दाता सकारात्मक रूप से सक्रिय बन सेवा करने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाता । धन कमाने के स्रोत कितने शुद्ध है इस पर भी सेवा की शुद्धता निर्भर है । यदि तस्करी, भ्रष्टाचार जैसे अशुद्ध तरीकों से धन एकत्र कर दान दिया गया है तो वह फलदायी नहीं बनता । सच तो यह है कि मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में दान देने का हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान नहीं है । दान के रूप में आहार-भोजन देना और वह भी सम्मान पूर्वक, अज्ञानी को ज्ञान देना वह भी विवेक पूर्वक, रोगी को औषधि देना वह भी प्रेम पूर्वक और प्राणी को सब प्रकार से निर्भय बना देना, दान का सर्वश्रेष्ठ रूप है । जब तक मन में घृणा है, अभिमान है, लोभ भय है, तब तक दान के रूप में ऐसी सेवा हो नहीं सकती । धनवानों को केवल धन का दान देकर ही नहीं रह जाना है । यह तो सेवा का नकारात्मक पक्ष है ।

१ वेयावच्चेण भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

व्यापार मे 'स्लीपिंग पार्टनर' जैसा रोल है । उन्हे तो सक्रिय रूप से सेवा मे माभीदार बनना चाहिए ।

सेवा अहिंसा का सक्रिय रूप है पर हमने अहिंसा को कीडे-मकोडो और पशु-पक्षियों की रक्षा तक ही सीमित कर दिया है । क्या कारण है कि मानव के द्वारा मानव का शोषण होने के खिलाफ हमारी अहिंसा का तेज प्रकट नहीं होता ? हम सूक्ष्म अहिंसा के पालन पर तो बल देते हैं पर मानव को शोषण और अन्याय से बचाने मे अग्रणी नहीं बनते ? हमने सेवा को मुख्यत सत-महात्माओं की सेवा तक ही सीमित कर दिया है । विश्व की वृद्धतर मानवता, जो भूख मे तडप रही है, नानाविध रोगो मे ग्रस्त है, आश्रय के अभाव मे जो वेसहारा है, उसे त्राण देने मे हमारे हाथ नहीं उठते, पैर नहीं बढते । हमारी सेवा गरीबो की सेवा न बनकर पूजा-पाठ और बाहरी धार्मिक क्रियाओं की सेवा बनती जा रही है । सेवा का यह रूप आत्मा को परमात्मा बनाने की वजाय पराधीन बनाता जा रहा है । हम ऊचे स्वर से भगवान् का कीर्तन करते ही न रहे वरन् जो दुखी और पीडित है उनकी पुकार सुनें । हम सत-महात्माओं के चरण-वन्दन करके ही न रहे वरन् समाज मे जो पैरो तले कुचले जाते हैं, जो पददलित हैं, उन्हे ऊचा उठाये, अपने गले लगाये ।

सेवा से महान् पुण्य होता है । पर यह पुण्य मात्र कुछ देने से ही नहीं होता । शास्त्रो मे जिन नौ पुण्यो की चर्चा की गई है उनमे प्रथम पाच पुण्य— भोजन, पानी, स्थान, विश्राम के साधन, वस्त्र आदि देने से होते हैं पर अन्तिम चार पुण्य कुछ देने से नहीं वरन् मन मे दूसरो के प्रति कल्याण की भावना भाने से, दूसरो के प्रति हितकारी, प्रिय वचन बोलने से, अपने शरीर द्वारा दूसरो की सेवा करने से तथा गुणीजनों, गुरुजनों आदि के प्रति विनय, नमस्कार, सत्कार आदि करने से होते हैं । आज हम बाहरी क्रिया करने के ही अधिकाधिक अभ्यासी होते जा रहे हैं पर जब यह 'करना' हमारे 'होने' (becoming) बनने मे परिणत नहीं होता तब तक सेवा सच्चे अर्थो मे होती नहीं । भगवान् महावीर ने सेवा का तीर्थकर गोत्र बन्धने का जो फल बताया है, वह सेवा की आतरिकता से जुडने पर ही सम्भव है । हम इस आतरिकता मे जुड सकें, इसी मे अपना और दूसरो का कल्याण है ।



मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। सत्कर्म मनुष्य को ऊँचा उठाकर उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा करते हैं जबकि दुष्कर्म उसे नीचे गिरा कर पशुता की ओर ले जाते हैं। मनुष्य का विवेक यदि जाग्रत है तो वह दैविक गुणों का सम्पादन कर महान् बन जाता है। विवेक के अभाव में उसे दुष्प्रवृत्तियाँ और दुष्कर्म आ घेरते हैं और वह दुर्लभ मानव—जीवन पाकर भी पशुवत् जिन्दगी गुजारता है।

मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसके मूल में उसके विचार ही प्रेरक होते हैं। बुरे विचार उससे बुरे काम करवाते हैं और दुष्कर्मों की ऐसी श्रृंखला में वह फँस जाता है कि उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। शास्त्रों में इस दुष्चक्र को 'कषाय' कहा है। कषाय अर्थात् ऐसी आय जो व्यक्ति को सासारिक प्रपचों और बन्धनों में फसाये रखती है। परिग्रह का सम्बन्ध इसी कषाय वृत्ति से है क्योंकि इसके मूल में रागवृत्ति प्रधान रहती है। मूर्च्छा अर्थात् मोह और आसक्ति को ही परिग्रह कहा गया है। इस मोह वृत्ति से ही भय, लोभ जैसे अन्य विकार उत्पन्न होते हैं। ये विकार परिग्रह या आसक्ति को थामे रखते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे तना वृक्ष को थामे रखता है।


आरम्भ में परिग्रह से सचय और सचय से सुरक्षा का भाव पुष्ट होता दिखाई देता है। सुरक्षा का भाव व्यक्ति को अपने प्रति स्वार्थी और दूसरों के प्रति क्रूर बना देता है। सचय वृत्ति लाभ का माध्यम बनकर धीरे-धीरे लोभ में परिणत होती जाती है और इस प्रकार तथाकथित सुरक्षा का भाव अवचेतन मन में भय, क्लेश और दुःख का भाव पैदा कर देता है। इससे मानव मन की मंत्री, कठुणा, सहानुभूति और प्रेम की स्वाभाविक धारा सूखने लगती है और उसके स्थान पर कुण्ठा, वितृष्णा और प्रतिहिंसा जैसी भावनाएँ बनने लगती हैं।

परिग्रही व्यक्ति अपनी आंतरिक टूटन को मिटाने के लिये बाहरी पदार्थों की ढेर सामग्री जोड़ने लगता है। धीरे-धीरे उसकी आसक्ति बाहरी पदार्थों तक ही सीमित नहीं रहती वरन् वैचारिक दृष्टि से भी वह दुराग्रही, हठवादी और अनुदार बन जाता है। उसके प्रत्येक कार्य में उसका मिथ्याभिमान और अहम् भावने लगता है। परिग्रही व्यक्ति के परिग्रह के अनुपात के साथ-साथ उसके जीवन में सामान्यतः

कथनी और करनी की द्वैतता बढ़ती जाती है। यही कारण है कि आज परिग्रह का मकट केवल आर्थिक जगत् तक ही सीमित नहीं रहा है, विचार जगत् भी इससे आक्रान्त है। आर्थिक क्षेत्र में पनपने वाले परिग्रहवाद को रोकने के लिये तो आज समाजवाद और साम्यवाद जैसी कई शासन-प्रणालियाँ और राजनैतिक विचार धाराएँ मधर्परत हैं पर विचार जगत् में जो एकान्त हठवादिता और अतिरेकता पनपती जा रही है और जिससे आज के तथाकथित अनेक बुद्धिजीवी ग्रस्त हैं, उसे रोकने का क्या कोई रचनात्मक सगठन है ?

सच तो यह है कि आन्तरिक परिग्रह ही दुःख का मूल कारण है। बाहरी पदार्थों के परिग्रह को सीमित करने से भावों की विणुद्धि होती है पर यदि साथ-साथ अन्तरंग परिग्रह का त्याग नहीं है तो बाह्य परिग्रह का त्याग विशेष फलदायक सिद्ध नहीं होता।

आज की यात्रिक सम्यता ने व्यक्ति को बाहरी पदार्थों के प्रति जितना आकर्षित किया है, लगभग उतना ही या उसमें भी अधिक अन्तरंग परिग्रहों के प्रति, कापायिक वृत्तियों के प्रति आसक्त किया है। परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर से नाना प्रकार की ग्रथियों से आक्रान्त हो गया है। ज्यों-ज्यों बाह्य पदार्थों का ज्ञान-क्षितिज विकसित होता जा रहा है त्यों-त्यों उसकी आन्तरिकता का बोध कमजोर पड़ता जा रहा है। फलस्वरूप उसकी जटिलताएँ अधिकाधिक बढ़ती जा रही हैं। इन जटिलताओं से मुक्त होने के लिये उसकी बाहरी और भीतरी ग्रन्थियों का टूटना आवश्यक है और चिन्तन का ऐसा कोण विकसित होना आवश्यक है कि ये ग्रथियाँ न बनें। इसके लिये बाहरी पदार्थों की मर्यादा बाधना ही पर्याप्त नहीं है वरन् अपने भीतर ऐसी अनेकान्त दृष्टि विकसित करना भी आवश्यक है कि जिम्में अन्तरंग परिग्रह का घेरा टूट सके।



अपरिग्रह-भाव अहिंसा का आधार

अपरिग्रह का सामान्य अर्थ है— परिग्रह से दूर हटना, परिग्रह न रखना, आवश्यकता से अधिक सग्रह न करना। परिग्रह में ग्रहण का भाव मुख्य है। ग्रहण करने में आवश्यकता का मुख्य आधार रहता है। आवश्यकता का घटना-वहना इच्छा पर निर्भर है। इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त और अपार हैं। किसी एक वस्तु की प्राप्ति पर इच्छा पूरी नहीं होती, उसका और विस्तार होता चलता है। अतः इच्छापूर्ति में सुख नहीं है। सुख और शान्ति की अवस्थिति है— इच्छा के अभाव में। इच्छा का विस्तार और सकोच मानसिक प्रक्रिया है। अतः भगवान् महावीर ने किसी वस्तु, व्यक्ति और विचार के प्रति मूर्खा-ममत्व को परिग्रह कहा है। परिग्रह का विस्तार भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। उसका विस्तार विचारों में भी है। इस दृष्टि से आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा ही परिग्रह नहीं है, जो कुछ प्राप्त है उसके संरक्षण की चिन्ता और जो अप्राप्त है उसके प्रति बनी हुई अनवरत लालसा भी परिग्रह है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु या विचार के अभाव में यदि मानसिक क्लेश होता है तो वह परिग्रह है।

परिग्रह का यह भाव क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपायों के द्वारा परिपुष्ट होता है। जिस व्यक्ति के मन में परिग्रह का भाव है वह अपने को तनिक भी हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति या पदार्थ के प्रति बात-बात पर क्रोध करेगा। अपने मान की पुष्टि के लिये वह दूसरों को हीन समझ कर उनके प्रति तिरस्कार की भावना रखेगा, तथा अपने अहम् की तुष्टि के लिये वह अधिकाधिक सग्रह करने हेतु सम्पर्क में आने वाले लोगों के साथ मायाचार करेगा, कथनी और करनी में, आदर्श और व्यवहार में अन्तर रखेगा। उसका व्यक्तित्व अखड व्यक्तित्व न होकर विखडित हो जायेगा, टुकड़ों-टुकड़ों में बट जायेगा। जो कुछ उसे प्राप्त नहीं, उसे प्राप्त करने की दौड़-धूप में वह हमेशा परेशान रहेगा और लोभ वृत्ति के वशीभूत होकर वह सूक्ष्म हिंसा और शोषण पर उतर जायेगा।

भगवान् महावीर ने अपने अपरिग्रह सन्देश में कपाय-वृत्तियों पर नियंत्रण करने पर विशेष बल दिया। महावीर के समय में आर्थिक व्यवस्था विशेष जटिल नहीं थी। अतः हिंसा और परिग्रह का विवेचन धार्मिक क्रियाओं के नाम पर होने वाले धैत्रों में ही विशेष चर्चित रहा। उनके समय में यज्ञ आदि धार्मिक हिंसा का

बोलवाला अधिक था। अतः उसे रोकने के लिये उन्होंने अहिंसा पर विशेष बल दिया और बाद के आचार्यों ने भी उसी सद्वर्तन में विशेष व्याख्या-विवेचना की।

पर आधुनिक युग में औद्योगिक क्रान्ति व तकनीकी वैज्ञानिक विकास के कारण धार्मिक आडम्बर तो अपेक्षाकृत कम हुए हैं पर आर्थिक क्षेत्र में हिंसा और शोषण का चक्र पूर्वापेक्षा तेज गति से चलने लगा है। इसे रोकने के लिये विभिन्न राजनैतिक विचारकों, दार्शनिकों ने अपने-अपने विचार दिये हैं। इनमें कार्ल मार्क्स का चिन्तन विशेष प्रभावी बना हुआ है। मार्क्सवादी चिन्तन में स्वामित्व को नकारा नहीं गया है। वहाँ व्यक्ति के स्वामित्व को समाज के स्वामित्व में बदलने की प्रक्रिया पर बल दिया गया है, और इस बदलाव के लिये हिंसा करने की भी छूट है। पर महावीर ने मार्क्स से बहुत पहले स्वामित्व को बदलने का नहीं, बल्कि स्वामित्व को नकारने का समाधान दिया। यही समाधान सुख और शान्ति का मूल आधार बन सकता है क्योंकि इसमें आवश्यकताओं और इच्छाओं पर स्वैच्छिक और मानसिक नियंत्रण रहता है। और किसी के प्रति प्रतिक्रिया का भाव नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब तक स्वामित्व बना रहता है चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे समाजगत, सघर्ष चलता है। जहाँ सघर्ष है वहाँ हिंसा है। सघर्ष और हिंसा को रोकने के लिये स्वामित्व का विसर्जन आवश्यक है। महावीर के अपरिग्रह संदेश में स्वामित्व के रूपान्तर की नहीं, उसके विसर्जन की बात को रेखांकित किया गया है।

स्वामित्व के विसर्जन भाव को पुष्ट करने के लिये भगवान् महावीर ने एक ओर अणुगार धर्म की प्रतिष्ठा की तो दूसरी ओर आणुगार धर्म की। अणुगार धर्म के धारक श्रमण नितान्त अकिंचन और अपरिग्रही होते हैं जबकि आणुगार धर्म के धारक श्रावक अपनी इच्छा और आवश्यकता की मर्यादा करते हैं। मर्यादा से अधिक प्राप्त सम्पत्ति को वे अपनी नहीं, समाज की मान कर जनकल्याण में उमका उपयोग करते हैं। इस प्रकार महावीर ने गृहस्थ श्रावकों को उपदेश दिया कि वे शुद्ध साधनों के बल पर आवश्यकतानुसार अर्जन करें और मर्यादा से अधिक अर्जन का जनकल्याणकारी कार्यों में विमर्जन करें।

अर्जन और विसर्जन की यह प्रक्रिया ममतावादी समाज रचना का मुख्य आधार है। यदि अपरिग्रह भाव को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के स्तर पर प्रयोग रूप में लाया जा सके तो विश्व के विभिन्न तनावों से मुक्ति मिल सकती है।



त्याग का वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बड़ा महत्त्व है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ त्याग के स्वरूप और फलक में भी विस्तार होता गया है। प्रक्रम युग से कर्म युग में प्रवेश के साथ ही व्यक्ति प्रकृति-निर्भरता से हट कर आत्म-निर्भर बना, उसमें श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ी। वह अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीने की अनुभूति करने लगा। जीवन-व्यवहार की आवश्यक वस्तुएँ सभी पैदा करते और आवश्यकतानुसार उनमें विनिमय होता। धीरे-धीरे विनिमय के लाभ ने अनावश्यक उत्पादन क्षमता बढ़ाई और तब अर्थ-लोभ ने मुद्रा को मान्यता दी। मुद्रा के प्रचलन ने समाज में ऊँच-नीच के कई स्तर पैदा कर दिये। समाज में श्रम की अपेक्षा पूँजी की प्रतिष्ठा बढ़ गई और कई प्रकार के शोषण होने लगे। इस शोषण से समाज को मुक्त कराने के लिए राज्य-व्यवस्था सामने आई। पर सत्ताधारियों की राज्य-लिप्सा समाज में समता का वातावरण पैदा न कर सकी और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। औद्योगीकरण और तकनीकी विकास की द्रुतगामी प्रगति ने व्यक्ति को केवल मशीन का पुर्जा मात्र बना कर रख दिया।

पर व्यक्ति पुर्जा मात्र नहीं है, वह चेतन तत्त्व है। बाह्य जड़ तत्त्वों से घिरे रहने के कारण उसका परम चेतन तत्त्व धूमिल हो गया है। उसे सतेज बनाने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के बुद्धिजीवी व्यक्ति को उसके आत्मतत्त्व से परिचित कराने के लिए तर्भाराधना को केवल परिपाटी के रूप में नहीं, सामूहिक दायित्व बोध के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

सभी समाज-शास्त्री मानते हैं कि व्यक्ति की प्राणिशास्त्रीय अवस्था को सामाजिक रूप प्रदान करने में भावा परिवार, सस्कार, धर्म आदि का महत्वपूर्ण हाथ रहता है। धर्म ही व्यक्ति में मानवीय सद्गुणों की सृष्टि करता है। धर्म तभी व्यापक बनता है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व-बोध के साथ-साथ (अनुभूति) दूसरों के अस्तित्व रक्षण के लिए प्रयत्नरत होता है, उसमें सह-अनुभूति का भाव पैदा होता है, वह सहानुभूतिशील बनता है। आज्ञा, मार्ग, क्षमा, तप, सयम, त्याग आदि धर्म इसी वृत्ति की उपज हैं।

भारतीय जीवन-पद्धति उत्सर्गमयी और त्यागप्रधान रही है। परन्तु आज के बढ़ते हुए अर्थवाद ने सहयोग के स्थान पर प्रतिस्पर्धा, दान के स्थान पर सचय, सेवा

के स्थान पर स्वार्थ, उदारता के स्थान पर चतुरता और त्याग के स्थान पर भोग को प्रश्रय दिया है। फलत व्यक्ति अपनों के बीच रहते हुए भी पराया और अजनबी बन गया है। इस दुष्चक्र से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए त्याग धर्म को जीवन में स्थान देना होगा।

त्याग का सामान्य अर्थ है छोड़ना, उत्सर्ग करना। छोड़ना क्या? जो विजातीय द्रव्य है, जो हमारे प्रकृत स्वभाव को विपरीत बनाते हैं, उन्हें छोड़ना है। शरीर-रचना में मल-मूत्र सस्थान विजातीय पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है पर आत्मा के साथ जो विजातीय पदार्थ चिपक गये हैं उन्हें दूर करना उत्तम त्याग-धर्म है। इसके लिए हमें तप और सयम का मार्ग अपनाना पडता है। यह त्याग का आन्तरिक रूप है। बिना तप और सयम सस्थान के आत्मा कपायादि विजातीय द्रव्यों से मुक्त नहीं हो सकती।

आवश्यकता से अधिक सचय न करना और अधिक सचित्त को जरूरतमद लोगों में वितरित कर देना त्याग का दूसरा पक्ष है। यह समाजवादी राजव्यवस्था और समान-वितरण प्रणाली के अधिक अनुरूप है। इस सदर्भ में त्याग को दान कहा गया है। त्याग का यह रूप केवल रूढिपालन नहीं है, सामूहिक दायित्व बोध का सक्रिय विधान भी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते दूसरो से कुछ ग्रहण करता है और इसके बदले में वह दूसरो को कुछ देता भी है। लेन-देन के इस सतुलन में त्याग का यह दूसरा रूप अधिक सगत ठहरना है। इस भूमिका पर त्याग या दान का अर्थ ऊच-नीच का स्तर कायम करना नहीं वरन् आवश्यक जीवनदायी वस्तुओं का समवितरण करना है। आवश्यकता से अधिक सचय न करने की प्रवृत्ति पर धर्मशासन ने जितना बल दिया है उतना ही बल समाजवादी राजव्यवस्था भी देती है। आय के अनुरूप कर निर्धारण की पद्धति इसका सटीक उदाहरण है। विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आदि आन्दोलन इसी भाव के व्यावहारिक प्रयोग हैं।

शास्त्रों में त्याग के इस दूसरे पक्ष को केवल अर्थदान तक सीमित नहीं रखा गया है। ज्ञानदान, अभयदान, धर्मोपकरणदान, अनुकम्पादान आदि इसके अन्य रूप हैं। ये दान सात्त्विक दान की श्रेणी में आते हैं। लोक व्यवहार में आज कई अन्य प्रकार के दान प्रचलित हो गये हैं—जैसे राजनैतिक पार्टियों को चन्दा देना, अपना काम निकालने की भावना से पैसा देना। दान के ये लोक प्रचलित रूप राजसिक और तामसिक श्रेणी में आते हैं।

उत्तम दान के लिए आवश्यक है कि जो दान दे रहा है वह निष्काम भावना में दे और जो दान ले रहा है उसमें किसी प्रकार को दीन भावना पैदा न हो। दान

देते समय दानदाता को मान-सम्मान भी भूख नहीं होनी चाहिए। निर्लोभ और निरभिमान भाव से किया गया दान ही सच्चा दान है। दाता के मन में किसी प्रकार का ममत्व भाव न रहे। इसी दृष्टि से शास्त्रों में गुप्तदान की महिमा बताई गई है।

दान की होड़ में येन-केन प्रकारेण धन बटोरने की प्रवृत्ति आत्मलक्षी व्यक्ति के लिए हितकर नहीं हो सकती। दान में मात्रा का नहीं, गुणात्मकता का महत्त्व है। नीति और न्याय से अर्जित सम्पदा का दान ही वास्तविक दान है। आवश्यकता से अधिक वस्तु का सचय न कर दूसरों को दे देना लोक धर्म है, पर अपनी आवश्यक वस्तुओं में से कमी करके उसे दूसरों के लिए देना आत्मधर्म है। इस दूसरे रूप में ही व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों का नियमन करता है।

यहाँ हमने जो कुछ कहा है इसका अर्थ यह नहीं कि जिनके पास आवश्यकता से अधिक है वे ही दान या त्याग कर सकते हैं। सच तो यह है कि त्याग ग्रहीत वस्तु का भी होता है और अग्रहीत वस्तु का भी। ग्रहीत वस्तु का त्याग करने वाला सामूहिक दायित्व बोध, सामाजिक न्याय, देश रक्षा, सार्वजनिक लोकोपयोगी कार्य जैसी प्रवृत्तियों में विशेष सहायक बनता है। त्याग का यह बाह्य पक्ष है। ऐसा दाता भी जब व्रत नियमों आदि का पालन करने लगता है तब उसका यह त्याग भी वरेण्य बन जाता है। उत्तम त्याग का रूप अग्रहीत वस्तुओं के त्याग में प्रस्फुटित होता है क्योंकि इसमें त्यागी की इच्छाओं का सयमन होता है जो अधिक दुष्कर है। वस्तु को दूसरे को देने की अपेक्षा उस वस्तु से ममत्व हटा लेना बड़ा मुश्किल है। त्यागी महात्माओं को अपने शरीर से भी ममत्व नहीं होता, इसलिए वे हम सबके वन्दनीय हैं।

त्याग का चाहे बाह्य रूप हो, चाहे आन्तरिक, दोनों तप और सयम के बिना पीके हैं। तप और सयम को जिस अनुपात में धारण करता हुआ व्यक्ति त्याग की ओर बढ़ेगा, उसकी आत्मा उतनी ही तेजोदीप्त होगी और सामूहिक दायित्व बोध का भाव निखरेगा।



भारतीय दर्शन में आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध को केन्द्र मानकर विचार और आचार के धरातल पर अनेकविध दार्शनिक मान्यताएँ और साधना पद्धतियाँ विकसित हुई हैं। कहीं आत्मा के परमात्म भाव में विलीन करने की बात कही गयी है तो कहीं आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को मान्यता देते हुए उसे परमात्म स्थिति तक ऊँचा उठाया है। कहीं कुण्डलिनी जागृत कर, उसे ऊर्ध्वमुखी बनाकर, सहस्रकमल दल से अमृत पान करते रहने का विधान किया गया है तो कहीं आत्मा के साथ चिपके हुए कर्मपुद्गलो का दलन कर, राग-द्वेष का समूल उन्मूलन कर निर्वाण प्राप्ति की भावना का लक्ष्य बनाया गया है। दार्शनिक मान्यताओं और साधना-प्रणालियों में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार किंचित् अन्तर और भेद हो सकता है पर सबका मूलभूत लक्ष्य है—सुख-दुःख की स्थिति से ऊपर उठकर अनन्त, अखण्ड और अव्यावाध आनन्द में रमण करना।

जैन साधना पद्धति में इस आनन्दानुभूति को प्राप्त करने के अम्यास-क्रम में सामायिक भावना का विशेष महत्त्व है। सामान्य साधक इससे अपनी साधना आरम्भ करता है और श्रमणत्व को प्राप्त सत आजीवन इसी साधना में निरत रहता है। सामायिक का महत्त्व इतना अधिक है कि इसे वारह ब्रतों में, छह आवश्यकों और पाँच चारित्र्यों में ममान रूप से स्थान दिया गया है।

'सामायिक' शब्द 'समाय' से बना है उसी प्रकार जैसे समाज से सामाजिक बना है। समाय में दो शब्द हैं—सम + आय अर्थात् ऐसी साधना और क्रिया जिसमें 'सम' अर्थात् समता भाव की 'आय' अर्थात् प्राप्ति हो। सामायिक में साधक सुख-दुःख, लाभ-अलाभ, इष्ट-अनिष्ट, शत्रु-मित्र आदि विषम भावों में राग-द्वेष न करता हुआ, साक्षी भाव से उनका ज्ञाता-द्रष्टा बनकर, समता स्वभावी आत्मा में स्थित रहता है। वर्तमान अर्थ प्रधान युग में अर्थ-सचय के प्रति व्यक्ति का आकर्षण इतना अधिक बढ़ गया है कि वह येनकेन प्रकारेण अर्थ-संग्रह करना चाहता है और अर्थार्जन के स्रोतों की शुद्धि पर उमका विशेष ध्यान नहीं रहता। अशुद्ध स्रोतों से भी धन बटोर कर वह धनिक बनने में गौरव अनुभव करता है। साधना के क्षेत्र में भी इस तरह की वृत्ति पनपने लगी है। आज व्यक्ति सामायिक तो करता है पर समभाव की शुद्ध

आय उससे हो नहीं पाती । उसका समता भाव राग-द्वेषादि से अशुद्ध बना रहता है । उसका मन सामायिक में बैठा हुआ भी विषम भावों में दौड़ता रहता है । इसलिये सामायिक साधना का विशेष प्रभाव उसकी जीवन-चर्या पर परिलक्षित नहीं होता ।

समभाव की शुद्धता और आजीविका के साधनों की शुद्धता का परस्पर गहरा सम्बन्ध है । जब तक हमारी आजीविका के साधन शुद्ध नहीं होंगे, समभाव की स्थिति में हम नहीं पहुँच पायेंगे । इस सम्बन्ध में पूरिया श्रावक की सामायिक का सदर्थ विशेष अर्थपूर्ण है । राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से अपनी अशुभ गति के वध से मुक्त होने का उपाय पूछा तो भगवान महावीर ने पूरिया श्रावक की सामायिक खरीदने को कहा । पर उसे खरीदना श्रेणिक के वश की बात नहीं थी, क्योंकि उसका मूल्य द्रव्य पर आश्रित नहीं था । भावना की निर्मलता और शुद्धता ही उसका मूल्य था । इसका सकेत एक प्रसंग में मिलता है । कहा जाता है कि एक दिन पूरिया श्रावक सामायिक साधना में स्थिर न रह सके । उनका मन उद्विग्न हो उठा । उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि आज हमारे घर में कहीं से अनीति का पैसा तो नहीं आया है, क्योंकि आज मेरा मन सामायिक में स्थिर नहीं रह रहा है, पत्नी ने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा—और तो कोई बात मेरे से नहीं हुई है पर हा, मवेरे रोटी पकाने के लिये जब मैं पढौसी के घर से आग लेने गयी थी, वहा गृह-स्वामिनी को बिना पूछे कड़ा ले लिया और उसी पर आग ले आई । पूरिया श्रावक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया ।

घटना बहुत साधारण है पर उतनी ही अर्थ व्यक्त है । आग पर पकाई रोटी अशुद्ध आय से खरीदी हुई नहीं है । आग भी बिना पूछे नहीं लाई गई है । केवल कड़ा, जिस पर रखकर आग लाई गई है, वह बिना पूछे उठा लिया गया, जिसका परिणाम हुआ मन की चंचलता । क्षमा याचना सहित कंठा वापिस लौटाने पर ही मन स्थिर हो सका । यह है पूरिया श्रावक की सामायिक की शुद्धता और तेजस्विता । पर आज तो अधिकांश लोगों की रोटी और रोजी तथा अर्जन के स्रोत शुद्ध और पवित्र नहीं हैं फिर जीवन में समता कैसे आ सकती है ?

जीवन में समता आये, मन समभाव में विचरे, इसके लिये आवश्यक है कि हमारी आजीविका के स्रोत शुद्ध हो । इसके लिये जरूरी है कि आवश्यकता कम हो, और आवश्यकताओं की कमी अहिंसा, समय, तप की साधना से ही सम्भव है । इसी विन्दु पर सामायिक सार्थक बन पाती है ।




सामायिक धर्म-साधना का प्रमुख अंग है। शायद ही कोई ऐसा व्रतधारी स्त्री-पुरुष हो, जो प्रतिदिन नियमित रूप से सामायिक न करता हो। मुसलमानों में नमाज और वैदिक धर्मावलम्बियों में सध्या की तरह जैन धर्मावलम्बियों में सामायिक का प्रचलन है। सामान्य रूप से सामायिक ४८ मिनट की साधना है, जिसमें व्यक्ति सब प्रकार के आरम्भ-समारम्भ से दूर हटकर, धर्म-ध्यान एवं आत्मचिन्तन में लीन रहता है। कई लोग एक दिन-रात में एक से अधिक सामायिक करते हैं। कुछ के तो यह सख्या ५-६ सामायिक तक भी पहुँचती है।

सामायिक साधना का स्वरूप बहुत सूक्ष्म और गहरा है। इसका मुख्य उद्देश्य समता-भाव प्राप्त करना है। समता-भाव का अर्थ है—सुख-दुःख में, प्रिय-अप्रिय में, लाभ-हानि में, शत्रु-मित्र में, निन्दा-प्रशंसा में, जीवन-मरण में मन को विचलित न होने देना। सामान्य स्थिति में जब कोई प्रिय, इष्ट या सुख का प्रसंग आता है तब मन में यह भावना उठती है कि यह प्रसंग बना रहे, उसके प्रति राग और आसक्ति गहरी होती जाती है। इसके विपरीत जब कोई अप्रिय, अनिष्ट या दुःख का प्रसंग आता है, तब मन में यह भावना जगती है कि यह स्थिति जल्दी दूर हो। मन में इसके प्रति द्वेष भावना बढ़ती जाती है। राग-द्वेष की यह स्थिति विषमता को जन्म देती है। इससे मानसिक तनाव और सक्लेश बढ़ता है, व्यक्तित्व का बिखराव होता है। अतः अनुभवी साधकों ने कहा है कि ऐसी विषम परिस्थिति में शान्ति और आनन्द की प्राप्ति के लिये मन में समता-भाव, वीतराग-भाव, वीत-द्वेष-भाव लाने का अभ्यास करना चाहिये। इस अभ्यास की साधना का नाम ही सामायिक है। यह अभ्यास ज्यो-ज्यो परिपक्व होता जाता है, त्यो-त्यो समता-भाव पुष्ट होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है, जब शरीर और आत्मा भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। तब साधक सामायिक करता नहीं, वह सच्चमुच सामायिक में होता है। इसी अर्थ में "समय" को आत्मा कहा गया है।

सामायिक के उक्त गहरे अर्थ को समझकर सामायिक करने वाले आज बहुत कम हैं। अधिकांश लोग तो सामायिक को "स्टीन" मात्र मानते हैं। उनका अभ्यास साधना का जीवित अंग न रहकर, मशीन का पुर्जा मात्र बन जाता है। सामायिक

की यह यात्रिकता उनमें हार्दिकता का विकास नहीं करती। ऐसे लोगों की सामायिक तन की सामायिक होती है। वे सामायिक के आवश्यक उपकरण आसन, रजोहरण, मुँहपत्ती, घोती, दुपट्टा, स्वाध्याय योग्य पुस्तक, नामस्मरण योग्य माला आदि का आश्रय तो ले लेते हैं, पर विषम भावों और स्थितियों में समता-भाव रखने योग्य मानसिक क्षमता और दक्षता का विकास नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप जीवन-पर्यन्त सामायिक करके भी वे अपनी अभिवृत्तियों और जीवन-व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाते।

कई बार ऐसा देखने में आता है कि सामायिक-साधना में बैठा हुआ व्यक्ति, जब सामायिक करके उठता है तो उठते ही वह किसी पर उबल पड़ता है, किसी को बुरा-भला कहता है, तो समझना चाहिये कि उसकी सामायिक केवल उपकरणों तक सीमित थी। जीवन में परिवर्तन, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विषम परिस्थितियों में सन्तुलन बनाये रखने की योग्यता का विकास करने के लिये यह आवश्यक है कि हम तन की सामायिक से ऊपर उठें और मन की सामायिक करें। मन की सामायिक के लिये ही अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म की परिपालना का उपदेश भगवान् महावीर ने दिया है।



आज पहले की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति के साधन और ज्ञान-वितरण के उपकरण अधिक बढ़ गये हैं। इससे ज्ञान-साधना अब उतनी कठिन और दुसाध्य नहीं रही है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए बढ़ता हुआ दबाव और बंधु में खड़ी भीड़ इस बात का प्रतीक है कि सभी ज्ञान के प्यासे हैं। नियमित और अनियमित छात्रों के रूप में प्रतिवर्ष हजारों-लाखों छात्र विभिन्न परीक्षाओं में बैठते हैं और ज्ञानी होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं। प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि आज ज्ञान का समाजीकरण और व्यवसायीकरण हो गया है।

ज्ञान का यह व्यापक प्रचार-प्रसार और वितरण हमें यह सोचने के लिए विवश करता है कि ज्ञान के इस विस्फोट का हमारे जीवन, समाज, राष्ट्र और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या इस ज्ञान-प्रसार से जीवन में शान्ति, समाज में सुरक्षा और विश्व में मैत्री तथा प्रेमभाव का संचार हुआ है? क्या हम पूर्वपिक्षा अधिक सुखी, सुरक्षित और निर्भीक बने हैं? क्या हमारी चेतना ऊर्ध्वमुखी हुई है? और हम प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, करुणा और दया का भाव विकसित कर सके हैं? इन और इन जैसे अन्य प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक ही मिलेंगे और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने ज्ञान को मस्तिष्क की तर्कशक्ति के विकास रूप में ग्रहण किया है, हृदय के प्रसार रूप में नहीं। यही कारण है कि ज्ञान के द्वारा हम अपनी स्वार्थ पूर्ति और इन्द्रिय भोगों की तुष्टि करना चाहते हैं। अधिक से अधिक परिग्रह बढ़ाना चाहते हैं। भौतिक समृद्धि अधिक से अधिक किस प्रकार प्राप्त हो, इसी की खोज और प्राप्ति में हम अपने प्राप्त ज्ञान की तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं।

यह मही है कि विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के द्वारा जिस तकनीक का विकास हुआ है उससे हमारी इन्द्रियों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ी है। हम चर्म का उपयोग कर दूर-दूर तक देख सकते हैं। सूक्ष्म दर्शक यंत्र में छोटी वस्तु को बड़े रूप में देखकर उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। श्रवण यंत्र का प्रयोग कर दूर-दूर तक सुन सकते हैं। हीटर और कूलर का उपयोग कर तापमान पर नियन्त्रण कर उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं। यातायात और संचार के माध्यमों द्वारा समय और दूरी पर भी हमने नियन्त्रण कर लिया है। पर इन सब साधनों के द्वारा हमने

अपने स्वार्थ और परिग्रह के क्षेत्र का विस्तार ही किया है और इस विस्तार से हमारा मन एकाग्र होने की बजाय व्यग्र ही बना है। हमारी इन्द्रिया सयमित होने के बजाय उत्तेजित ही हुई हैं। अपने आत्मस्वरूप में तन्मय होने के बजाय अन्तरद्वन्द्वों में उलझकर हमने तनाव ही बढ़ाया है। इस प्रकार ज्ञान के इस विस्फोट से वैयक्तिक, सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा और परिग्रह का क्षेत्र विस्तृत और जटिल बना है। इन्द्रियों की बढ़ी हुई शक्तिया नैतिक और सामाजिक विकास में सहायक न होकर भोगवृत्ति में उलझकर सयम के अभाव में आत्मशक्ति के क्षरण में सहायक बनी हैं।

भगवान् महावीर ने 'सूत्रकृताग' में कहा है कि—“एव खु नाण्णयो सार ज न हिंसइ किचण” अर्थात् ज्ञानी होने का सार है किसी भी प्राणी की हिंसा न करना। पर आज का तथाकथित ज्ञान हिंसा का माधन बन गया है। अणुबम के आविष्कार ने हिंसा की सभावनाओं का अनन्त विस्तार कर दिया है। शस्त्रीकरण की होड़ में सभी राष्ट्र वेतहाशा दौड़े जा रहे हैं। शस्त्र की शक्ति का विकास चरम सीमा पर है। कभी भी पद, यश, प्रसुता, शक्ति और सत्ता के उन्माद में बम छूट जाय तो पूरी मानवता क्षण भर में नष्ट हो सकती है। शताब्दियों के अनुभव और प्रयत्न से मनुष्य ने जो सभ्यता का विकास किया है वह जड़मूल से पल भर में विनष्ट हो सकता है। मानव सभ्यता के इतिहास में ज्ञान के विस्फोट से ऐसे सामूहिक विनाश की सभावना कभी नहीं बनी रही।

सत कवीर अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे। पर उन्होंने ज्ञान को प्रेम की आच से पकाया था और उसका आस्वादन किया था। उस अनुभूति से ही वे कह सके—

कवीरा बादल प्रेम का, हम पर बरखा आय।

अन्तर भीगी आत्मा, हरी भरी बनराय ॥


प्रेम के बादल की वर्षा केवल बाहरी शरीर को ही नहीं भिगेती, उससे अन्तर का रोम-रोम भीग उठता है। जब प्रेम रग-रग में समा जाता है तो फिर अपने से परे जो शेष सृष्टि है, उसके साथ आत्मोपम्य सबंध स्थापित हो जाता है। अपनी प्राण चेतना और दूसरों की प्राण चेतना में भावनात्मक स्तर पर कोई अंतर नहीं रहता। सर्वत्र प्रेम के प्रभाव से हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। इसे ही ज्ञानियों ने अहिंसा और मैत्रीभाव कहा है।

जब ज्ञान प्रेम का रूप धारण करता है, तभी अहिंसा की शक्ति का विकास होता है। इस शक्ति से ही शस्त्र की शक्ति समाप्त हो सकती है। पर आज का सकट यह है कि अहिंसा की शक्ति के नाम पर शस्त्रीकरण की प्रतिद्वन्द्विता बढ़ती जा रही है और तथाकथित ज्ञान जर्मने मदायक हो रहा है। जब तक ज्ञान का सम्बन्ध


हिंसा के साथ बना रहेगा, तब तक विश्व शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। कबीर की निम्न पक्तिया तथाकथित ज्ञानियों के लिए आज भी चुनौती हैं —

पोथी पढ-पढ जग मुआ, पडित भया न कोय ।
 ढाई आखर प्रेम का, पढे सो पडित होय ॥

स्पष्ट है कि कोरा ज्ञान भार स्वरूप है। जब तक वह आभार नहीं बनता, तब तक दो हृदयों को जोड़ने की क्षमता उसमें पैदा नहीं हो सकती। जो यह क्षमता पैदा कर सकता है वही सच्चा ज्ञानी और सम्यक् ज्ञान है। इस दिशा में हमारे मगठित प्रयत्न हो और विश्व स्तर पर अहिंसा के क्षेत्र में कार्य करने वाले मगठन परम्पर जुड़ें, यह आज के युग की माग और आवश्यकता है।



द्वितीय खण्ड



जीवन - व्यवहार

बसन्त प्रकृति में ही नहीं, जीवन और संस्कृति में भी आये !

ऋतु-चक्र अपनी गति से स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। मनुष्य अपने बुद्धि-बल और तकनीकी विकास से उसकी गति को बदल या रोक नहीं पाता पर उसके प्रभाव और परिणामों को पहले या पीछे अनुभव करने का प्रयत्न अवश्य करता है। इससे प्रकृति की सहजता से उसके सम्बन्ध छूटने के अवसर बढ़ते जाते हैं और वह अपने ही ससार में बद/कैद हो जाता है। कहने को तो कहा जाता है कि उसने प्रकृति को सुसंस्कारित/सुसंयोजित या नियंत्रित कर संस्कृति का निर्माण कर लिया है, पर क्या वास्तव में वह सुसंस्कारित बन सका है? प्रकृति का मानवीय सदर्भ में अर्थ है— उसकी सहज जन्मजात प्रवृत्तियाँ यथा—भूख, भय, काम आदि। इन पर नियंत्रण या सयमन करने का अर्थ है—अपनी चेतना का विकास करना, उन्हें ऊर्ध्वमुखी बनाना। पर भूख, भय और काम की प्रवृत्ति भौतिक साधनों की प्रगति के साथ-साथ बढ़ती ही नहीं जा रही है, वह अनियंत्रित और असीम भी होती जा रही है। प्रकृति को संस्कारित बनाने की होड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य-बुद्धि विकृति की ओर सक्रमित हो रही है? सहज नियमों का परित्याग और वृहत् जीवन क्षेत्र से कटकर अपनी क्षुद्रता में सिमट जाना ही तो विकृति है। आज विकृति नानाविध रूपों में उभर कर सामने आ रही है।

देखिये न ! घर के बाहर खड़े पौधे और वृक्ष लहलहा उठे हैं, पत्तों में रौनक आ गई है, फूल मुस्कुराने लगे हैं, भँवर गूँजने लगे हैं; पर हम हैं कि वैसे के वैसे उदास, मुँह लटकाये अपने ही दायरों/धरों में कैद। उद्यान और जंगल के पेड़-पौधे इस होड़ में हैं कि कब हम उत्फुल्ल हों, विकसित हों, फलित हों और दुनिया को अपनी खुशबू, अपना सौरभ, अपना रस वाटें और हम अपनी पार्टी, वस्ती, सम्प्रदाय, गच्छ, गुवाड़, सस्था को इस प्रकार जकड़े हैं कि कहीं उसे खुलेपन की, नये आकाश की, बसन्त के बहार की हवा/दस्तक न लग जाये। क्योंकि हम अपना-पन/अपना धन दूसरों को बाटना नहीं चाहते, दूसरों को देना नहीं चाहते, दूसरों का बटोरना/छीनना, उसे अपने में मिलाना/छुपाना चाहते हैं। इसीलिये तो प्रकृति में बसन्त आया है पर हमारे जीवन और संस्कृति में नहीं।

हम जीवन और संस्कृति में बसन्त के स्थान पर ला रहे हैं प्रदूषण। भारभूत

नगने वाले सोने-चाँदी के आभूषण तो हमने उतार कर फेंक दिये । अच्छा ही किया, पर आभूषणों का स्थान अब प्रदूषण ले रहा है और इसी में हम खुश हो रहे हैं/ नाच रहे हैं, गा रहे हैं । घरों में यह कैसी सड़ाव भरी बदबू चली आ रही है । नदियों-ममुद्रों में विपैले तरल पदार्थों का बहाव, खुले उन्मुक्त नील गगन में समाता हुआ यह दमघोड़ धुआँ और चेतना को मदहोश व कुन्द बनाने वाला यह रक्तरजित हाहाकार और वेदना का समार । कहीं डति है इसकी ? इम बदलती फिजा और दौड़ते काल-रथ में भी प्रकृति ने तो वसन्त का मस्पर्श पा ही लिया, भले ही वह अल्पजीवी हो, पर मनुष्य जिसमें वसन्त को चिरजीवी और सनातन बनाने की क्षमता है, वह उसका म्पर्श नहीं कर पा रहा है, यह कैसी विडम्बना और दुखान्तिका है ?

हमें इस ठहराव और गतानुगतिकता को तोड़ना है । जिन्दगी के वृन्दावन में नये ताजे फूलों की मुगन्ध विखेरनी है । ऐसी गन्ध जो हमें और अधिक सुलाये नहीं, वरन् हमारे रोम-रन्ध्र को चैतन्य बनाये/जागृत करे । मूल्यों का पतझड बहुत हो चुका । अब तो सद्वृत्तियों का वसन्त विकसाना है, ठूठ में भी नयी जिन्दगी का रक्त प्रवाहित करना है । न जाने कितने पद-दलित कुचले/रूँधे कठ गाने को उत्सुक हैं । मेरी मस्कृति के वसन्त ! उन्हें स्वर दो, गीत दो, उठने/उगने का स्वाभिमान और स्वातन्त्र्य दो ।



प्राकृतिक जीवन सहज व सरल होता है। इसमें इच्छाएँ सीमित व मर्यादित होती हैं। आत्म-गुणों के रक्षण व सवर्द्धन में इससे बड़ी सहायता मिलती है पर ज्यो-ज्यो प्राकृतिक जीवन बाधित होता है, मानवीय जीवन की सरलता व सहजता भी सकटग्रस्त हो उठती है। आज हम इसी दौर से गुजर रहे हैं।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण आन्तरिक विकारों को नष्ट कर आत्मा की शुद्धता व निर्मलता पर बल देता है। बाह्य शुद्धि की ओर उसका विशेष लक्ष्य नहीं रहता। आन्तरिक पवित्रता का प्रभाव बाह्य अशुद्धता का वातावरण निर्मित ही नहीं होने देता। उससे प्रकृति का सन्तुलन बराबर बना रहता है। प्राकृतिक नियमों की अनुपालना से विकृति का विस्तार नहीं हो पाता वरन् प्रकृति स्वतः सस्कारित होती रहती है।

पर मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं व अनियंत्रित आवश्यकताओं ने प्रकृति के शान्त वातावरण को क्षुब्ध कर दिया है। मनुष्य का अन्तर तो राग-द्वेषादि विकारों से दूषित था ही, पर अब प्राकृतिक प्रदूषण से उसका बाहरी सस्यार भी विषाक्त बन गया है। अतः अब उसका दुःख और सक्लेश चरम सीमा पर है।

मानव-बुद्धि ने अपनी सूक्ष्म ज्ञान-शक्ति से आत्म-नियंत्रण करने की बजाय प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने में अपना हित समझा पर आज उसकी भूल के नतीजे स्पष्ट होते जा रहे हैं। श्लेष सृष्टि के साथ रागात्मक सबधों के स्थान पर मानव ने प्रतिशोधात्मक सबध स्थापित कर लिये हैं। पेड़, पौधों, वनस्पति, वन्य जीवों आदि के प्रति मानव का वह दुलार नहीं रहा जो उसे आत्म-विस्तार का आनंद देता था। अब तो वह इन सबका सफाया कर अपने ही स्वार्थ में कँद हो गया है। परिणामस्वरूप अब प्रकृति से उसे प्यार नहीं मिल पाता, मिलता है तनाव, ताप और प्रतिकार। बढ़ती हुई जनसंख्या, महानगरीय विकास, अनियंत्रित औद्योगीकरण आदि के दुष्प्रभाव ने जल, थल और वायु के पर्यावरण को दूषित कर दिया है। हर साँस के साथ जाने वाली हवा अब प्राणशक्ति नहीं भरती, घुटन पैदा करती है, हर घूँट के साथ जाने वाला जल अब ताजगी नहीं देता, तपन पैदा करता

है। कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक उर्वरक खाद ने धरती की उर्वरकता को मोख लिया है। मिट्टी का स्पर्श अब गन्ध नहीं देता, सडान्ध पैदा करता है।

अन्धाधुन्ध लोभ-लिप्सा और सग्रहवृत्ति ने प्रकृति का अतिसीमान्त दोहन कर उसकी रसवत्ता को अवरुद्ध कर दिया है। अतः आज सम्पूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को भयकर खतरा स्वयं उसके क्रियाकलापों से पैदा हो गया है।

हम शांत चित्त होकर सोचें कि मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है, उसके इर्द-गिर्द एक जीवित समाज है, पेड़ हैं, पौधे हैं, अन्य जीवधारी हैं। “परस्परोपग्रहो जीवानाम्” परस्पर उपकार करते हुए जीना ही वास्तविक जीवन है। अतः हम सबका कर्तव्य है कि हम स्वयं जीवित रहने के लिए दूसरों को जीवित रहने का अवसर दें और उनकी जीवन-रक्षा में वरावर सहयोगी बनें।



आज आधुनिकता के नाम पर परम्परागत मूल्यों का अध्ययन-अनुशीलन किए बिना ही उन्हें नकारने की प्रवृत्ति हावी होती जा रही है। फलस्वरूप पुरानी व्यवस्था टूटने लगी है। परिवर्तन काल का स्वभाव है और जीवन्तता का सूचक भी। पर यह परिवर्तन उपकारक होना चाहिये न कि अपकारक। प्रकृति में भी परिवर्तन निरन्तर होता रहता है, फिर चेतना-सम्पन्न बुद्धिशील प्राणी उससे वचित कैसे रह सकता है? बुद्धि का सम्यक् उपयोग और विवेक इस बात में है कि परिवर्तन-प्रक्रिया की सही पहचान की जाय और उसके आलोक में समता मूलक नव समाज रचना के लिये सघर्ष किया जावे।

कोई भी सघर्ष तब तक प्रभावी नहीं बन सकता, जब तक कि उसके पीछे जीवनगत आस्था और सगठनात्मक शक्ति न हो, महान् उद्देश्यों के लिये समर्पण और वैयक्तिक आवेगों से ऊपर उठने का उत्साह न हो, रचनात्मक कार्यक्रम और व्यापक लोकहित की भावना न हो। कहना न होगा कि आज के अधिकांश सघर्षात्मक आन्दोलन मूल्य-परिवर्तन के आन्दोलन न होकर सामयिक ऊपरी उथल-पुथल के आन्दोलन हैं, इसीलिये वे गहरे उतर कर जीवन और समाज में नवीन जागरण और क्रान्ति नहीं ला पाते। उनकी पहुँच बाहरी फूल-पत्तों तक ही सीमित रह जाती है और वे फूल-पत्तों के मूल शक्ति-स्रोत बीज और जड़ को प्रभावित नहीं कर पाते। फलस्वरूप उनका व्यापक परिणाम सामने नहीं आता।

परिवर्तन या क्रान्ति के लिये आवश्यक है—सड़ी गली व्यवस्था और प्रगति विरोधक शक्तियों को जड़मूल में नष्ट करना और प्रगतिशील शक्तियों की जड़ों को मजबूती से प्रतिस्थापित करना। इसके लिये कठिनाइयों के बावजूद भी अपने उद्देश्यों में दृढ़ आस्था, अदम्य साहस, निःशेष समर्पण और अगाध विश्वास का होना पहली शर्त है।

आपने देखा होगा—पतझड़ में वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं पर वृक्ष पत्रहीन होकर भी सीधा तना रहता है और बसन्त के आते ही वह पुनः लहलहा उठता है। यह सब कब संभव हो सकता है तब जबकि वृक्ष अपनी जड़ों के माथ मजबूती से

चिपका हुआ है, ठहरा हुआ है। यदि जड़ों में वृक्ष को थामे रखने की शक्ति नहीं है तो वह गिर पड़ेगा और लाख वसन्त आने पर भी लहलहायेगा नहीं, महकेगा नहीं। ठीक यही बात व्यक्ति के मन की है, क्रान्ति के क्रम की है। जब भी व्यक्ति परिवर्तन के लिये पहल करे आवश्यक है कि वह अपनी आस्था और विश्वास की जड़ों से चिपका रहे, जब कभी अपने को एकाकी या असहाय महसूस करे, वह गहरे में उतरता जाये, तब निश्चित है—वसन्त उसको चूमेगा, उसका मन-उपवन महकेगा।




आज चारो ओर स्वार्थ, सत्ता लिप्सा और प्रतिद्वन्द्विता का वातावरण है। व्यक्ति प्रकृति निरर्मता से छूट कर आत्मनिर्मरता की ओर अवश्य बढ़ा पर संग्रह-वृत्ति और इन्द्रिय-भोग ने उसे आत्मीय बनने की अपेक्षा संघर्षशील अधिक बना दिया। कुछ ऐसे विचारक भी हुए, जिन्होंने द्वन्द्व और संघर्ष को प्रगति के लिये आवश्यक माना। उनका यह दृष्टिकोण वस्तुतः जीवन की निष्क्रियता दूर कर सतत जागरूक बने रहने की प्रेरणा देने के रूप में ही विकसित हुआ था, परन्तु उसे ठीक रूप में न समझने के कारण संघर्ष को जीवन का मूल आधार मान लिया गया। सच्चाई यह है कि संघर्ष से संघर्ष बढ़ता है, वैर बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है और कभी सच्ची सुखानुभूति नहीं हो सकती। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की स्थिरता, प्रगति और समृद्धि संघर्ष पर आधारित न होकर, सहयोग पर आधारित है और सहयोग ही व्यक्ति का मूल स्वभाव है।

यदि हम प्राणियों के विकास-क्रम को ध्यान से देखें तो हमें विदित होगा कि जिस प्राणी में सहयोग की भावना जितनी अधिक है वह प्राणी, शरीर, इन्द्रिय, मन आदि की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित और सम्पन्न है। एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय जीवों तक के क्रिया-व्यापार में यह तथ्य देखा जा सकता है। पचेन्द्रियो में भी सजी (मनस्क) पचेन्द्रिय जीव अधिक सहयोगी स्वभाव वाले हैं। पशुओं की सहयोग भावना का दायरा केवल उनके परिवार तक ही सीमित रहता है और वह भी एक निश्चित अवधि तक। मानव जाति में सहयोग की यह भावना परिवार से बढ़कर समाज, राष्ट्र व विश्व तक परिव्याप्त देखी जाती है।

सहयोग की इस भावना का मूलाधार है—आत्मीय भाव का विस्तार। ज्यो-ज्यो यह भाव विकसित होता जाता है, त्यो-त्यो व्यक्ति स्वार्थ को छोड़ता जाता है। वह अधिक से अधिक देकर कम से कम लेना चाहता है और अन्ततः वह एक ऐसी स्थिति पर पहुँच जाता है, जहाँ वह अपने प्रति भी किसी प्रकार का ममत्व भाव नहीं रखता। यही समाधि की अवस्था है। आत्मा का विस्तार हुए बिना सच्चे सहयोग भाव का उद्रेक नहीं हो पाता। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त की साधना आत्मभाव के विस्तार की ही साधना है। 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' अर्थात्

परस्पर उपकार करते हुए जीना ही वास्तविक जीवन है। यह सूत्र ही सच्चा जीवन वर्म है। हम जिस अनुपात में इस सूत्र को अपने जीवन-व्यवहार में चरितार्थ कर पायेंगे, उतने ही अर्थों में हम अपने को अर्थवान् बना पायेंगे।

पहले की अपेक्षा आज सहयोग का क्षेत्र अधिक विस्तृत और वैविध्यपूर्ण बन गया है। यातायात और संचार के साधनों ने स्थानगत दूरियाँ कम कर दी हैं पर सघर्ष के कारण मन की दूरियाँ अधिक बढ़ गई हैं। विपमता की खाइयाँ अधिक चौड़ी हो गई हैं। इन्हें पाटा जा सकता है केवल आत्मीय भाव का विस्तार करके ही। यह आत्मीय भाव किसी वर्ण, जाति, मत या स्थान विशेष से बंध कर नहीं रहता। इसका अनन्त हृदय, इसकी अनन्त करुणा सबके लिये है और सब इसके लिये।



वरदान को अभिशाप में न बदलने दें !

मनुष्य जन्म मिलना अत्यन्त कठिन है। अनन्त पुण्योदय होने पर ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में 'बड़े भाग मानुस तनु पावा।' सचमुच मानव-जीवन की प्राप्ति सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि मनुष्य में ही अपना हिताहित समझ कर काम करते रहने की क्षमता है।

बाह्य वृत्तियों की दृष्टि से मनुष्य और पशु में कोई विशेष अन्तर नहीं है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन जैसी वृत्तियाँ दोनों में समान हैं, पर धर्म ही एक ऐसी वृत्ति है, जो दोनों को अलग करती है। धर्म का सम्बन्ध आन्तरिक शक्ति और विवेकशीलता से है। इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से प्रज्ञा का जन्म होता है। मनुष्य अपनी प्रज्ञा के बल पर ही वर्तमान में जीवित होते हुए भी अतीत को पढ़ पाता है और उससे प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, साथ ही भविष्य के निर्माण की तस्वीर भी अंकित कर सकता है।


शास्त्रों में कहा गया है कि जीव चार कारणों से मनुष्य गति का आयुष्य वाधता है—सरल प्रकृति से, विनीत प्रकृति से, दया भाव से और अनीर्ष्या भाव से। मनुष्य गति मिल जाना एक बात है पर उसे देवत्व में परिणत करना दूसरी बात है। मानवीय सद्गुणों के विकास से ही यह सम्भव बनता है। अच्छा बनने की निरन्तर कोशिश करते रहना देवत्व की ओर बढ़ना है। अपने आचरण की पवित्रता और आन्तरिक शक्ति को प्रकट करके ही मनुष्य जीवन को सार्थक किया जा सकता है। जो व्यक्ति मानव जन्म पाकर के भी इसे आलस्य, इन्द्रिय-भोग, वैर-विरोध आदि में लगा देते हैं, वे जीवन हार जाते हैं।

मनुष्य अपने परिवेश से पहचाना जाता है। यदि उसके चारों ओर प्रेम का समुद्र उमड़ता है, मैत्री की किरणें विखरती हैं और शान्ति का अखण्ड साम्राज्य है तो उसका जीवन अमृत है, पर यदि आलस्य, प्रमाद के वशवर्ती होकर वह जीवन बिता रहा है तो समझिये कि वह अज्ञानी मनुष्य सोने के थाल में मिट्टी भर रहा है, श्रेष्ठ हाथी पर ईधन ढो रहा है, चिन्तामणि रत्न को काग उड़ाने के लिये फेंक रहा है और इस प्रकार वरदान को अभिशाप में बदल रहा है। पर मनुष्य यदि थोड़ा भी सचेतन हो जाय तो वह इस सकट से बच सकता है।

मनुष्य को क्या अधिकार है कि वह अपने जीवन के वरदान को अभिशाप में बदले ? उसके चारों ओर प्रकृति और परमात्मा ने अनन्त सौन्दर्य बिखेरा है, परम सुख प्रकटाया है, मंगल का विधान किया है । आवश्यकता इस बात की है कि वह प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए इस मन्त्रिदानन्दमय स्वरूप को अपने में प्रतिष्ठित करे, अपने मंगल के साथ लोक-मंगल का पथ प्रशस्त करे ।

इस प्रसंग में एक पौराणिक कथा याद आ रही है । मतयुग में एक ऊँट को अपने पूर्वजन्म का ज्ञान था । उसने जाना कि वह पहले तपस्वी था । यह सोचकर इस जन्म में भी वह तपस्या करने लगा । उसकी तपस्या से ब्रह्मा खुश हुए । उन्होंने वर माँगने के लिये कहा — ऊँट ने वर माँगा कि मेरी गर्दन इतनी लम्बी हो जाय कि मैं सौ योजन क्षेत्र की वस्तु खा सकूँ । ब्रह्मा ने 'एवमस्तु' कह दिया । अब वह घर बैठे ही आमपास की वस्तुएँ खाने लगा और आलसी हो गया । भोग वृत्ति ने उसे निष्क्रिय व निकम्मा बना दिया । अब वह गुफा से बाहर न जाकर वही से गर्दन लम्बी कर घास आदि चरने लगा । एक दिन क्षुधातुर सियार और सियारिन गुफा में घुम आये और उस ऊँट की गर्दन का माँस नोच-नोच कर खाने लगे । ऊँट गर्दन को सिकोडता तब तक काफी माँस खा गये और ऊँट की मृत्यु हो गयी । आलस्य व अविवेक ने इस प्रकार वरदान को अभिशाप में बदल दिया ।

हमें अपने प्रति सजग रहना है और निरन्तर इस बात का प्रयत्न करना है कि आलस्य और अविवेक हमारे पाम न फटक पायें । इसके लिए हमें अपने पुरुषार्थ का दीपक निरन्तर मजोये रखना है । उत्साह और सयम के साथ जीवनयापन करते रहना है ।



भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न कहा गया है। जरा अपनी स्थिति को टटोलें कि हम कितने प्रभुत्व सम्पन्न हैं ? प्रभुसत्ता के दो पक्ष हैं—(१) बाह्य और (२) आभ्यन्तरिक। बाह्य दृष्टि से हम अवश्य प्रभुत्व सम्पन्न हैं—क्योंकि हम पर किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं है। आभ्यन्तरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है—धर्म, जाति अथवा वर्ण के आधार पर किसी को प्रमुखता नहीं दी जायेगी। इसी विचार से धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त निष्पन्न हुआ प्रतीत होता है। अर्थात् राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव है। धर्म निरपेक्षता की तरह जाति-निरपेक्षता भी आभ्यन्तरिक प्रभुसत्ता का आवश्यक तत्त्व है। पर व्यवहार में हमारे यहाँ जातिवाद अब भी हावी है। इतिहास का यह कटु सत्य है कि सभी धर्मनायकों और धर्म सुधारकों ने जाति-पाँति का विरोध किया है—‘जाति पाँति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई’, पर विडम्बना देखिये कि हमारे जीवन-व्यवहार से धर्म तत्त्व तो गायब होता गया और जाति तत्त्व हमें अधिक कसता गया। परिणामस्वरूप धर्म के नैतिक प्रभाव, आत्मानुशासन और तप-त्याग भावना से हम वंचित होते गये।

प्रभुसत्ता का गुण व्यक्ति को स्वाधीन और स्वाभिमानी बनाता है। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को स्वाधीनता प्रदान की है। वह अपना प्रभु अर्थात् स्वामी स्वयं है। पर आज व्यवहार में देखा यह जाता है कि मतदाता स्वामी न होकर सेवक बन गया है और जिन जन प्रतिनिधियों को लोकसेवा करने के लिये सेवक के रूप में वह निर्वाचित करता है, वे स्वामी बन बैठे हैं। सदियों तक भारतीय जनमानस राजाओं के शासन में पलता रहा। इस कारण अपने को शासित मानने की उसकी मनोवृत्ति कम न हुई। स्वतन्त्रता प्राप्ति का सघर्ष भी एक प्रकार से सत्ता प्राप्ति करने का सघर्ष रहा। उसके साथ लोकसेवा करने का भाव मुख्य नहीं बन पाया। यही कारण है कि आज का औसत भारतीय अपने को प्रभुत्व सम्पन्न अनुभव नहीं कर पाता। इसके विपरीत जो शासन के तंत्र में वस्तुतः जनता द्वारा सेवक के रूप में निर्वाचित होकर गये हैं, वे अपने आपको प्रभु मानने लग गये हैं। महाकवि तुलसीदास ने ठीक ही लिखा है—

“प्रभुता पाय काहि मद नाहि” ।

आज के जन प्रतिनिधि सत्ता के मद में लोकसेवा को भूल कर अपनी सेवा में ही लगे हैं। उनका पराक्रम लोक कल्याणकारी कार्यों को गतिशील बनाने में प्रकट न होकर पाँच साल बाद फिर से निर्वाचित होकर प्रभु बनने की जोड़-तोड़ में ही लगा रहता है और लोकतन्त्र का सच्चा प्रभु राशन का काई थामे दर-दर भटकता-फिरता है।


आज हम जिस लोकतंत्र में हैं उसमें तत्र इतना हावी हो गया है कि लोक का तेज हतप्रभ और उसकी शक्ति कुठित सी प्रतीत होती है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है—जनता का राज्य, जनता द्वारा, जनता के लिये। लोकतंत्र व्यक्ति को स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इस प्राप्त स्वतन्त्रता का उपभोग व्यक्ति दूसरे की स्वतन्त्रता को आदर और स्वीकृति देकर ही कर सकता है। जब तक व्यक्ति की स्वतन्त्रता की व्याप्ति शेष मृष्टि तक नहीं होती, तब तक वह स्वतन्त्रता वरेण्य नहीं बनती। जीवन्त नहीं बनती। व्याप्ति के अभाव में प्राप्ति समाप्त हो जाती है। आज व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता का स्वच्छद उपभोग करना चाहता है, लोक-मंगल के लिये उमका उपयोग नहीं। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपनी सम्मति व्यक्त करने का अधिकार है। पर वह अपने क्षुद्र स्वार्थों में इतना वध गया है कि उसे सम्मति की नहीं सम्पत्ति की चाह है। समता की नहीं, सम्पन्नता की ललक है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता के धारण और पोषण के लिये विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक सस्याएँ गठित करने का कार्यक्रम आरम्भ किया था। स्वतन्त्र भारत में अनेक सामाजिक सस्याएँ बनी और हैं पर वे भी आज स्वतन्त्रता की धारक न बनकर सम्पत्तिधारक बनने में होड़ लेती प्रतीत होती हैं। रामराज्य का आदर्श आज दामराज्य में सिमटता प्रतीत होता है। काला घन इतना हावी हो गया है कि वह दसो दिशाएँ नापता फिरता है और बेचारे उज्ज्वल चरित्रमना मनुष्य तिजोरी में कैद हैं। सत्ता, शक्ति और सम्पत्ति मिलकर लोकतन्त्र के प्रहरी कानूनो की भी परवाह नहीं करते। कानून-पालन प्रतिष्ठा, सच्चरित्रता और सुनागरिकता का मापदण्ड होता है पर आज कानून तोड़कर अधिक सुविधाएँ प्राप्त करना प्रतिष्ठा का अंग बनता जा रहा है। लगता है—लोकतंत्र तत्रलोक में उलभता जा रहा है। डमीलिये देश-भक्ति के स्थान पर क्षेत्र-भक्ति, स्वायत्तता के स्थान पर सरकारीकरण और अनुशासन के स्थान पर उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है। लोकतन्त्र की सफलता के लिये मयम और अनुशासन का होना निहायत जरूरी है। आज का व्यक्ति अनुशासन को आत्मकेन्द्रित न समझकर परकेन्द्रित समझता है। वह दूसरो में अनुशासन का पालन बरवाना चाहता है पर स्वयं अनुशासित नहीं होना चाहता। जब तक

शासन में अनुशासन का भाव नहीं आता, तब तक शासन स्व और पर का कल्याणक नहीं बन पाता । सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की सुरक्षा के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यक्ति में आत्मानुशासन आये और शासन अपनी आज्ञा का बार-बार स्मरण कर उस पर चले और यह आज्ञा है—

व्यचिण्टे बहुपाय्ये
यतेमहि स्वराज्ये ।

अर्थात् अपने इस सुविस्तीर्ण एव बहुमत रक्षित स्वराज्य के भंग के लिये हम सदैव यत्न-पराक्रम करते रहे ।



आज मभ्यता का रथ यद्यपि काफी आगे बढ गया है तथापि उसकी दिशा स्पष्ट नहीं हो पायी है। इसका कारण है अन्तर्ज्योति और विवेक की कमी। यह विवेक और ज्योति अन्तर्वृत्तियों के विकास से फूटती है। बाह्य जड शक्तियों के विकास और प्रसार ने अन्तर्वृत्तियों के विकास को कुन्द बना दिया है। आवश्यकता है वहिर्वृत्तियों के विकास के साथ-साथ अन्तर्वृत्तियों का समानान्तर विकास हो।

सभ्यता के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि आज व्यक्ति कई समुदायों और सस्थानों से संबद्ध हो गया है। राज्य और शासन भी इसी प्रकार का एक समुदाय या सस्थान है जिसका व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ा हाथ रहता है। विचारणीय बात यह है कि राज्य और शासन की जितनी भी आर्थिक और सामाजिक योजनाएँ हैं, उन सबका लक्ष्य मुख्यतः व्यक्ति के वहिर्मुखी विकास से है। इससे व्यक्ति को खाने के लिये अच्छा भोजन मिल सकता है, रहने के लिये अच्छा मकान मिल सकता है, घूमने-फिरने और मनोरंजन के लिये अच्छे और आरामदायक माधन उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में इससे इन्द्रियाँ तृप्त हो सकती हैं, शरीर की भूख मिट सकती है, पर यह सब कुछ पा लेने पर भी व्यक्ति खोया-खोया सा रहता है, बेचैन और सन्नत रहता है, क्योंकि उसका मन नहीं भरता। मन भरा रहे, इसके लिये मनुष्य की अन्तर्वृत्तियों का विकसित होना आवश्यक है। यह तभी हो सकता है जब मन की चेतना को आधार बनाकर उसको सस्कारित करने का अभ्यास किया जाए। ध्यानयोग, सयम, तप, स्वाध्याय, मत्संग आदि इसके संपूरक हैं। पर आज के हमारे पूरे जीवन-क्रम में इनका स्थान नहीं के बराबर है। इस ओर प्रवृत्ति आवश्यक है।

यह शुभ कदम है कि आर्थिक दृष्टि से जो मनुष्य पिछड़ा हुआ है, उसको ऊँचा उठाया जाए, जीवन की आवश्यक वस्तुएँ उसे सुलभ की जायें, सम्मानपूर्वक जिन्दगी वह जी सके, ऐसे अवसर उसे दिये जाएँ, पर यदि अपने आपमें परिचय न कराया गया तो स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं है। आज हम परिचय का क्षेत्र विस्तृत करने में लगे हुए हैं पर अपनी आत्मा में परिचय करने का

समय हमे नहीं है। हम अपने से परे जो अनन्त ज्ञान है, उसे पकड़ने के लिये रात-दिन लगे हुए हैं पर अपने स्वरूप को समझने में एक क्षण भी विराम नहीं लेते हैं। आत्मज्ञान और आत्म-साक्षात्कार ही सच्चे आनन्द का स्रोत है और आत्मोदय ही सच्चा उदय है।

आत्म साक्षात्कार और आत्मोदय के लिये हमारे देश के ऋषि-मुनि सदियों से साधनारत रहे हैं। आज आवश्यकता है इनके अनुभव, साधनावल और वाणी से लाभ उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर आत्मोदय की ऐसी साधनात्मक योजना क्रियान्वित करने की जो अन्त्योदय को पुष्ट ही नहीं करे, वरन् सर्वात्मवाद की सर्वोदयी भूमिका को भी पूर्ण रूप दे।



जितने भी धर्म हैं, उनका मुख्य उद्देश्य जीव और जगत् तथा जीव और ब्रह्म में ऐक्य भाव स्थापित कर अपने से परे जो शेष सृष्टि है, उसके प्रति प्रेम और मैत्री भाव प्रकट करना है। पर ज्यो-ज्यो सम्यता का विकास होता गया उसमें कई जटिलताएँ आती गईं और धर्म अपने मूल स्वभाव को छोड़कर विभावो में उलभता गया तथा विभिन्न सम्प्रदायो, गच्छो और कठघरो में बट गया। जब चित्तवृत्ति निर्मल नहीं रहती, निज रूप में ज्ञान आत्मसात नहीं होता और इन्द्रिय जन्य ज्ञान प्रमुख बनकर नानाविध सासारिक कामनाओ, यश, प्रतिष्ठा, प्रभुता, अहंकार आदि जाग्रत करता है तब जीवन और समाज में भराव के स्थान पर विखराव, सवेदना के स्थान पर उत्तेजना और अनुराग के स्थान पर आक्रोश जन्म लेता है। आज व्यक्ति की चेतना विभिन्न दवावो के कारण नाना प्रकार के द्वन्द्व और तनावो से ग्रस्त है। जैन समाज भी इसका अपवाद नहीं।

भगवान् महावीर ने अपने समय में जब वे कुमार अवस्था में थे, ऐसा सब देखा। दर्शन के क्षेत्र में बौद्धिक कोलाहलपूर्ण वातावरण, धार्मिक क्षेत्र में हिंसा का ताडव नर्तन, सामाजिक क्षेत्र में वर्ण, जाति का भेदभाव व शोषण का प्राणघातक दुष्चक्र और नारी के प्रति घोर अदमानना। उनका हृदय पसीज उठा। सामारिक वैभव विलास उन्हें ऐसा लगा जैसे मव और सावुन का भाग ही भाग है और चित्त को निर्मल बनाने वाला नीर कही दिखाई नहीं देता। उसी की खोज में, सत्य के साक्षात्कार में व श्रमण बने और कठोर साधना कर शुद्ध, बुद्ध और मुक्त बने।

भगवान् महावीर ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो देशना दी उसमें सांस्कृतिक समन्वय और भावनात्मक एकता का तत्त्व मुख्य है। दार्शनिक धरातल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। अपने सुख-दुःख का वह स्वयं कर्ता है। किसी की कृपा और कटाक्ष पर वह नहीं जीता। अपने नदपुहपाय में चेतना का विकास कर वह ब्रह्म बन सकता है। इस प्रकार जितने जीव हैं उतने ब्रह्म हैं। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर उन्होंने प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता और समानता का उद्घोष किया। आज मसार में मुख्यतः 2 प्रकार की शासन-व्यवस्था

हैं। पूँजीवादी देशों में स्वतंत्रता पर सामाजिक स्तर पर अनेक स्तरीय भेदभाव हैं। साम्यवादी देशों में समानता तो है पर विचार स्वातन्त्र्य पर कई प्रकार के प्रतिबंध हैं। महावीर द्वारा प्रतिपादित विचारधारा में स्वतंत्रता और समानता दोनों का उचित समन्वय किया गया है। प्रत्येक जीव ईश्वरत्व प्राप्त करने में स्वतंत्र है और ईश्वरत्व प्राप्त करने के बाद वह अपने निज स्वरूप में अपने अस्तित्व रूप में स्थित है और प्रत्येक जीव के ईश्वरत्व में गुणात्मक समानता है।

सगुण और निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को लेकर जो विवाद चला आ रहा था उसमें भी जैन दर्शन द्वारा समन्वय स्थापित किया गया। पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र में अरिहंत सगुण ब्रह्म के और सिद्ध निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। अरिहंत जीवन मुक्त पुरुष हैं। जिनके चार घनघाती कर्म नष्ट हो गये हैं और अनन्त ज्ञान, दर्शन, अनन्त आनन्द और अनन्त बल का चरम विकास हो गया है। नाम, गोत्र, आयु आदि इस विकास में बाधक नहीं हैं। सिद्ध विदेह हैं जो आयु क्षीण होने पर नाम, गोत्रादि शरीर से मुक्त हो जाते हैं।

ईश्वरत्व प्राप्त करने के साधना मार्ग में ज्ञान, भक्ति और कर्म को लेकर जो विवाद था उसे भी जैन दर्शन ने दूर किया। एकान्त ज्ञान, भक्ति और कर्म के स्थान पर उसने तीनों की युगपत् साधना पर बल दिया और कहा कि—सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है—‘सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गं’।

विविध दार्शनिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए भगवान् महावीर ने बौद्धिक अनाग्रह पर जोर दिया और बताया कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। एक समय में उसके किसी एक ही गुण या धर्म को देखा जा सकता है और उसे अभिव्यक्त किया जा सकता है। अतः जिस वस्तु को तुम जिस दृष्टि से देख रहे हो वह वैसी ही नहीं है दूसरे लोग उसे जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसमें भी सत्य का अंश है। अतः अपनी बात पर अटो मत। दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझो। उस पर भी विचार करो। इससे चित्त की अहंकार, आसक्ति व राग-द्वेष की वृत्ति कम होगी और समग्र सत्य को समझने का अवसर मिलेगा। यह अनेकान्त दृष्टि सांस्कृतिक समन्वय का मूल आधार है।

भगवान् महावीर ने सामाजिक घरातल पर वर्ण एव जाति व्यवस्था का प्रबल विरोध किया। नारी जाति के प्रति अत्यन्त आदर का भाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा—जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। व्यक्ति के सत्कर्म ही उसे महान् बनाते हैं। इसी भावना से उन्होंने अपने सघ में चाण्डाल, माली, कुम्हार, दास-

दामियाँ आदि सबको सम्मिलित ही नहीं किया, दीक्षित भी किया और वे उच्च साधना कर मुक्त हुए ।

धार्मिक घरातल पर महावीर ने प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय कर गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म दोनों की व्यवस्था की और इस बात पर बल दिया कि चेतना के चरम विकास में धर्म, जाति, लिंग या सम्प्रदाय का कोई महत्त्व नहीं है । कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी सम्प्रदाय, जाति, धर्म और लिंग का क्यों न हो यदि उसमें राग-द्वेष को नष्ट करने की शक्ति है तो वह परमात्म पद प्राप्त कर सकता है । महावीर ने १५ प्रकार के सिद्ध पुरुष बताये हैं जिनमें गृहस्थ, स्त्री योनि प्राप्त, महावीर से भिन्न धर्म में दीक्षित लोग भी शामिल हैं ।

साहित्य के घरातल पर जैन साहित्यकारों ने अत्यन्त उदारता और समन्वय-वादिता का परिचय दिया है । ६३ शलाका पुरुषों में तीर्थंकरों के अतिरिक्त राम और कृष्ण जैसे लोकप्रिय चरित्र नायकों को सम्मान पूर्ण स्थान दिया है । यही नहीं जो पात्र अन्य परम्पराओं में घृणित और वीभत्स दृष्टि से चित्रित किये गये हैं उन्हें भी चारित्रिक विशेषताओं के कारण उचित स्थान दिया है । नाग, यक्ष आदि तीर्थंकरों के रक्षक माने जाकर समाहृत हैं । कथा प्रबंधों में विभिन्न छन्द और राग-रागिणियाँ तथा उनकी तर्जों वैष्णव साहित्य के सामंजस्य को सूचित करती हैं । विभिन्न जनपदीय भाषाओं को अपनाकर भाषागत उदारता का परिचय दिया है । साहित्य के संरक्षण में जैनतर ग्रंथों को समान आदर और महत्त्व दिया है ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में जब हम आज जैन धर्म और समाज को विभिन्न गच्छ और सम्प्रदाय में बँटा हुआ देखते हैं तो बड़ा दुःख होता है । कहा तो भगवान् महावीर की दृष्टि विभिन्न मानव धर्मों में और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की थी और कहाँ आज उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के विचारों को, बाह्य आचार-भेद और क्रियाओं को लेकर अलग-अलग फिरको में बँट से गये हैं । ऐसा लगता है जैसे हमने महावीर के धर्म और विचार की मूल आत्मा को नहीं समझा है । जैसे कोई किसान खेत में कोई फसल को न ममभे, न जाने, उससे बेभान रहे और उसकी रक्षा के लिए खेत के चारों ओर बाड़ बनादे, खेत में अकुरित फसल की सार सभाल न करे और केवल बाड़ की रक्षा-सुरक्षा में दिन-रात लगा रहे, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहे तो आप उम किसान को क्या कहेंगे ? क्या आज हमारे तथाकथित धर्माचार्यों, मुनियों, सधपतियों, श्रावकों और अनुयायियों की स्थिति उम किसान की तरह नहीं है ? सम्प्रदाय जो बाड़ रूप हैं, उनकी रक्षा-सुरक्षा करने में तो हम जागरूक हैं पर जिस फसल की रक्षा के लिए बाड़ बनायी गई है उम फसल में बेवबर हैं । इन मूर्च्छा भाव ने हमें अलग-अलग बाट रखा है और महावीर की

विचारधारा में जो क्रांति तत्त्व निहित है उसे मद और हतप्रभ कर दिया है। जैन धर्म और दर्शन रूढ़ियों के खिलाफ सघर्ष करने की प्रेरणा देता है। परिग्रह और सचय वृत्ति का विरोध करता है। क्षेत्रीयता और सकीर्णता की खिलाफत करता है। पर क्या आज हम सब इन्हीं के शिकार नहीं बने हुए हैं? अपरिग्रही साधु-सतों का उपासक जैन समाज क्या सर्वाधिक परिग्रही नहीं है? गृहस्थ वर्ग तो क्या साधु वर्ग ने भी बाह्य परिग्रह का ससार छोड़कर आन्तरिक परिग्रह का ससार कही और अधिक विस्तृत तो नहीं कर लिया है? यह चिन्तन का विषय है।

सवत्सरी विश्व मैत्री का महान् पर्व आज एक दिन न मनाकर अलग-अलग दिनों मनाया जाता है उस समाज द्वारा जो राग-द्वेष को कम करने के लिए प्राणि-मात्र से क्षमा याचना करता है। क्या यह अपने आप में चिन्तनीय नहीं है? लगता है हम बाह्य प्रदर्शन और दिखावे की परिधि का विस्तार कर धर्म के केन्द्रीय तत्त्व को विस्मृत करते जा रहे हैं। बृहत् एकता की दृष्टि से क्या ही अच्छा हो पर्युषण जैसे आध्यात्मिक पर्व की साधना के लिए सवत्सरी को एक केन्द्रीय दिन मानकर अहिंसा या मैत्री दिवस के रूप में इसकी प्रतिष्ठा की जाय। इससे समग्र जैन समाज तो लाभान्वित होगा ही विश्व स्तर पर सावत्सरिक क्षमापना पर्व की मूल भावना को प्रतिष्ठापित करने में भी मदद मिलेगी।



सम्यता के तकनीकी विकास और भौतिक पदार्थों की बढ़ती आवश्यकता ने हमारी जीवन-प्रणाली को ही जटिल नहीं बनाया बरन् जीवन-दर्शन और चिन्तन-प्रक्रिया को भी जटिल और बोझिल बना दिया है। “सादा जीवन और उच्च विचार” अधिकांशतः आकर्षक नारा बनकर रह गया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सादगी के मनोविज्ञान और उसमें निहित मर्म को समझें। सादगी न पिछड़ापन है और न दरिद्रता की प्रतीक। वह सात्विक भावनाओं व उदात्त आदर्शों की प्रयोगभूमि और आचार-प्रणाली है।

सादगी की यह भावना परिणामों की सरलता और समाज से कम से कम लेने की वृत्ति पर निर्भर रहती है। भारतीय परम्परा के ऋषि-महर्षि और सत-महात्मा इस आदर्श के प्रतीक हैं। वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी सीमित करते चलते हैं और एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ वे अधिक बन जाते हैं। उनकी न वस्तु के प्रति ममता रहती है, न व्यक्ति के प्रति। निर्ममत्व की यह भावना उन्हें देह-आसक्ति से ऊपर उठा देती है।

सादगी की विपरीत वृत्ति है विलासिता आडम्बर और तडक-भडक। जब व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है और उसकी आन्तरिक शक्तियाँ विखरने लगती हैं, तब उसका ध्यान बाहरी वनाव-शृंगार पर अधिक केन्द्रित होता है। धीरे-धीरे तथाकथित बड़प्पन की यह वृत्ति उसे शरीर के बाहरी सगठनों को सजाने और नवारने की ओर अग्रसर करती है। फलस्वरूप अपने अह-पोषण और धोयी प्रतिष्ठा के लिये वह येन-केन प्रकारेण धन संग्रह करता है और इस प्रकार उसके क्रिया-व्यापार में शोषण की प्रवृत्ति उभरने लगती है।

सादगी अहिंसा और प्रेम है जबकि विलासिता हिंसा और पाप है। जीवन में जिनकी सादगी आती जायेगी, व्यक्ति महारम्भ से बचता जायेगा, उसमें स्वावलम्बन और स्वदेशीपन तथा सवेदनशीलता के भाव जागृत होंगे। महात्मा गांधी ने उनी परिप्रेक्ष्य में विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी खादी का व्यवहार और प्रचार किया था। गांधीजी ने जब देखा कि भारत की अधिकांश जनता के पास

अपना शरीर ढकने को भी पूरे वस्त्र नहीं हैं तो उन्होंने सोचा कि मुझे पूरे वस्त्र पहनने का और आवश्यकता से अधिक वस्त्र रखने का क्या अधिकार है ? इस चिन्तन के साथ ही उन्होंने ऊँची धोती पहनना और चादर लपेटना आरम्भ कर दिया ।

सादगी और स्वावलम्बन का यह भाव हमारे सभी महापुरुषों की जीवन-प्रणाली और जीवन-दर्शन में अभिव्यक्त हुआ है । श्री कृष्ण की वेप-भूषा क्या थी ? गाँव में बना और वही के रंग में रंगा पीताम्बर । और वे खाते-पीते क्या थे ? दूध-दही, मक्खन । मुकुट के नाम पर मोर मुकुट और वाद्य यंत्र के नाम पर वास की वासुरी । इस प्रकार की सादगी से जहाँ वैयक्तिक जीवन पवित्र बनता है वहाँ सामाजिक जीवन शोषण से बचता है । आज फॅशनपरस्ती के नाम पर करोड़ों रुपये भारत से बाहर जाते हैं । यह बड़े खेद की बात है ।

सादगी वैयक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर जीवन-प्रणाली व जीवन-दर्शन में उतरनी चाहिये । वैयक्तिक स्तर पर हमारा जीवन विलासिता और वासना से मुक्त हो, हमारा पहनावा, खान-पान, रहन-सहन, सरल व सात्विक हो और हमारे सामाजिक रस्म-रिवाज इस ढंग के हो कि उनमें बाहरी प्रदर्शन और होड़-प्रतिस्पर्धा न हो और थोथी प्रतिष्ठा के लिये अनाप-शनाप खर्चा न हो । औद्योगीकरण की प्रक्रिया से जो विशेष लाभांश मिलता है, उसका उपयोग लोक-कल्याणकारी कार्यों और जनोपयोगी संस्थाओं में हो ।

आज भी हमारे देश में उच्च वर्ग के लोगों में ही नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों में भी ब्रिटिशकालीन शान-शौकत और सामन्तवादी मनो-वृत्ति घर किये हुए है । रहने के लिए आलीशान बगले, रस्मी समारोह के नाम पर बड़ा-बड़ा खर्चा और वैभवपूर्ण आयोजन इस लक्ष्य के प्रतीक हैं । हमें इस धारणा को मिटाना होगा कि जो जितना ऊँचा उसके लिये उतना ही विशाल भवन और आयोजनों का असीमित खर्चा ।

हमें अपने देश के अनुरूप जीवन-प्रणाली और जीवन-दर्शन विकसित करना होगा । जब तक ऊँचे तबके के लोग और देश के सर्वोच्च पदाधिकारी इस ओर कदम नहीं उठाते तब तक सादगी का दर्शन जनसमाज को प्रेरित और प्रभावित नहीं कर सकता ।



आज हमारे ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया है। जगत के रहस्यों को जानने के बहुमुखी प्रयत्न हर क्षेत्र में हो रहे हैं। ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखा-प्रशाखाओं में सम्बद्ध विपुल साहित्य प्रतिदिन प्रकाशित हो रहा है। संप्रेषण के माध्यमों से द्रुतगामी विकास हुआ है। मनुष्य अधिक बौद्धिक और तार्किक बना है। इतना सब कुछ होते हुए भी सृष्टि के विशाल तन्तुजाल में उसकी दृष्टि अब भी उलझी हुई है। वह अनिश्चय के कोहरे और धुँधलके से दिक्भ्रमित और निस्सहाय है। भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के साथ-साथ उसके हृदय का तार अधिक कसता जा रहा है। उसका मानसिक तनाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। वह सब कुछ सुख-सुविधायें पाकर भी रिक्त है, खाली है। कोलाहलपूर्ण परिचित चेहरों के बीच भी अपरिचित है। विद्युत् के प्रकाश से भरा हुआ अनन्त आलोक-लोक पाकर भी वह दृष्टि-शून्य है।

इस भयावह व विपन्न स्थिति का कारण है—मनुष्य का केवल अपने ग्रह और स्वार्थ तक सीमित रह जाना, अपने से अतिरिक्त जो श्रेष्ठ सृष्टि है उसकी उपेक्षा, अवहेलना करना तथा उसके प्रति क्रूर और कठोर बन जाना। जब तक अपने से परे जो प्राणीजगत् है, उसके प्रति दया, कष्ट, प्रेम आदि की भावना का उद्रेक नहीं होता, तब तक व्यक्ति की कोई जीवनदृष्टि विकसित नहीं हो पाती। जीवन-दृष्टि में प्रकाश की किरण तभी फूटती है जब वह केवल अपने लिये नहीं जीता, मग्न अपने लिये नहीं करता, और अपनी जीवनपद्धति व विचार-प्रणाली को इस प्रकार बना लेता है कि उसके द्वारा किसी अन्य को दुःख न हो, सताप न हो, परेशानी न हो। ऐसी जीवन-दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति बाहरी ज्ञान का बोझा अपने मिर पर नहीं ढोता, बल्कि अपने विनय और व्यवहार से उमका अन्तर इतना पारदर्शी बन जाता है कि उमका प्रत्येक क्रिया-व्यापार निर्मल रूप में सर्वत्र परिलक्षित होता है।

जब व्यक्ति को सही जीवन-दृष्टि मिल जाती है तब वह शरीर में परे आत्मा की खोज करने लगता है। उसे परिग्रह में विग्रह नजर आने लगता है। देह के प्रति उसकी आसक्ति घटने लगती है और वह अपने को दूसरों के लिये समर्पित करने के लिये, समाज सेवा में अपने के लिये हर क्षण तैयार रहता है।

आज दुनिया में जो सघर्ष है वह अधिकाधिक सग्रह करने के कारण ही है। जब मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि इस शरीर रूपी पिंजड़े से आत्मा रूपी तोता उड़ जावेगा तो सबका सब यही रह जाने वाला है। फिर दूसरों के प्रति क्यों इतना राग-द्वेष, छल-प्रपञ्च और विग्रह-कदाग्रह? जब तक जीवन के प्रति कोई दृष्टि, कोई आस्था, कोई दर्शन विकसित नहीं होता, तब तक व्यक्ति भय, सत्रास और घुटन में जीता है। तनिक सा सकट या पड़ने पर उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है। शरीर में पसीना छूट जाता है, पैरों की धरती खिसकने लगती है, सास फूल जाती है और अतत्तोगत्वा हृदयाघात से प्राणान्त हो जाता है। इस तनाव, आघात और पीडा से बचने का एक सरल और सुगम उपाय है अपने पर आस्था और विश्वास रखते हुए, दूसरों के साथ प्रेमपूर्वक भाईचारे का व्यवहार करना। जितनी आवश्यकता हो, उतना समाज से लेना और शेष को जनता-जनार्दन के लिये समर्पित कर देना।

जीवन-दृष्टि के विकास में इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध नाटककार जार्ज बर्नार्डशा का यह कथन विशेष प्रेरक और सहायक है "जो समाज से जितना लेते हैं, उतना ही वापस दे देते हैं वे साधारण मनुष्य हैं, जो समाज से जितना लेते हैं, उससे अधिक दे देते हैं वे उत्तम पुरुष हैं, और जो समाज से कुछ भी न लेकर सब कुछ दे देते हैं, वे महान् त्यागी और ऊँचे पुरुष हैं।"

वस्तुतः देने में जो सुख है वह लेने में नहीं। त्यागमय जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। आज के बौद्धिकता प्रधान प्रतिस्पर्धा से पूर्ण युग में सबके प्रति सहयोग और सहानुभूति की प्रवृत्ति का विकास करके ही जीवन के प्रति निश्चित और सही दृष्टि का उन्मेष किया जा सकता है।



मनुष्य अकेला जन्म लेता है। जन्म के साथ उसके पूर्व जन्म के संस्कार साथ आते हैं। शारीरिक विकास के साथ-साथ वे संस्कार माता-पिता, परिवार, समाज, धर्म, राजनीति आदि का परिवेश पाकर विकसित होते रहते हैं। संस्कार बीज रूप होते हैं। परिवेशगत खाद, पानी, हवा, प्रकाश आदि पाकर वे अकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित होते हैं। सामान्यतः देखने में आता है कि यदि बीज की नस्ल अच्छी होती है, उर्वरक होती है तो उससे अच्छा फल मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य के सर्वांगीण विकास में संस्कारों की भूमिका उसकी विविध प्रवृत्तियों और गतिविधियों को बहुत दूर तक प्रभावित करती है।

मनुष्य के विकास में प्रकृति और समाज का बड़ा योगदान है। सदसंस्कार पाकर मनुष्य प्रकृति और समाज के माथ अपना आत्मीय और अनुरागात्मक सम्बन्ध जोड़ता है पर यदि संस्कार कुत्सित हैं तो वह प्रकृति और समाज की सुविधाओं का और शक्ति का केवल अपने स्वार्थ के लिए उपभोग करने का भाव विकसित करता है जिससे उसकी दृष्टि भोगमूलक बनती है और यदि उसमें अपने से परे जो शेष सृष्टि है, उसके प्रति प्रेम, दया, मैत्री और सहयोग का भाव जागृत होता है तो वह अपने सकुचित स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रकृति और समाज की सम्पदा का उपयोग दूसरों के लिए करने के लिए, उसमें सहयोगी बनने के लिए, प्रवृत्त होता है। तब उसमें उपयोगमूलक परमार्थ दृष्टि विकसित होती है। प्रकारान्तर से प्रथम प्रकार की दृष्टि में परिग्रह की भावना और दूसरे प्रकार की दृष्टि में अपरिग्रह की भावना अनुस्यूत रहती है।

परिग्रह के मूल में ममता या मूर्च्छा भाव निहित रहता है, जो भोगेच्छा का परिणाम है। भोग का मुख्य माधन मन और इन्द्रियाँ हैं। यदि मन की वृत्ति भोगोन्मुखी होती है तो इन्द्रियाँ वेगवाम घोड़ों की भाँति विषयों की ओर दौड़ने लगती हैं। आज हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं, उसमें भोगवृत्ति की प्रधानता है। प्रकारान्तर से हम आज की संस्कृति को उपभोक्ता संस्कृति कह सकते हैं। इस संस्कृति में वास्तविक अभाव को दूर करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के माध्यम-माद्य कृत्रिम अभाव पैदा कर, उपभोग की भूख बढ़ाकर आवश्यकताओं का विस्तार किया जाता है। इस प्रकार पूर्ण की अपेक्षा मांग बढ़ाकर अनिश्चित ज्ञानमा का

क्षेत्र विस्तृत किया जाता है। व्यक्ति इस दुष्चक्र में सुख समझने लगता है और उसके लिए येन-केन प्रकारेण साधन जुटाने के लिए वेचन और व्यग्र रहता है। आवश्यकताओं को इच्छा समझकर वह उनकी पूर्ति में अपनी चेतना और विवेक को निम्न स्तर पर उतार लाता है और ऐसी मानसिकता में जीने लगता है जहाँ दूसरों से अधिक-से-अधिक प्राप्ति का भाव निरन्तर बना रहता है। यही नहीं जो अप्राप्त है उसे भी प्राप्त करने के लिए वह सदा चिन्तित रहता है।

कामना पूर्ति और भोग लिप्सा का दवाव मनुष्य की सवेदना को कुण्ठित कर देता है। अपने इर्द-गिर्द जो प्रकृति और समाज है, उसके प्रति लगाव के बजाय विखराव और दोहन के बजाय शोषण की वृत्ति पनपने लगती है। प्रकृति की थल, जल और वायु सम्बन्धी जो सतुलित सम्पदा है उसे असतुलित बनाकर वह अपने लिए अधिक भोग सामग्री जुटाना चाहता है। परिणामस्वरूप प्रदूषण के रूप में भयकर समस्या आज हमारे सामने आने लगी है।

भोग की लिप्सा व्यक्ति को जड़ और मूर्च्छित बना देती है। उसकी शक्ति का क्षरण होने लगता है और वह धीरे-धीरे अपनी प्राण चेतना खो बैठता है। समय की शक्ति का क्षरण होने के कारण वह निम्न स्तरीय भोग भूमि का ससार जो श्रन्तत दुःख रूप है, अपने चारों ओर विकसित कर लेता है। यही ससार नरक है जिसके शास्त्रों में सात प्रकार बताये गये हैं। हमारी दृष्टि से पहले स्तर रत्नप्रभा में भोग का सुख रत्न की चमक की तरह आकर्षित करता है। सुखप्रियता के भ्रम में प्राणी डूबा रहता है। दूसरे स्तर शर्करा प्रभा में शक्कर की मिठास की तरह भोग का सुख मधुर लगता है। तीसरे स्तर वालुकाप्रभा में रस रहता ही नहीं। भोग का सुख रेत की तरह नीरसता में बदल जाता है। चौथे स्तर पकप्रभा में प्राणी विषय सुख के दलदल में फसकर द्वन्द्व की स्थिति में जीने लगता है। भोग सुख की दासता में आवद्ध प्राणी दुःखी होते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाता। पाँचवें स्तर घूमप्रभा में उसकी दृष्टि घूमिल हो जाती है और जीवन में धुआँ की तरह निराशा छा जाती है। छठे स्तर तमप्रभा में प्राणी किकर्तव्य विमूढ बन जाता है। उसे चारों ओर अधकार ही अधकार दिखाई पड़ता है। सातवें स्तर महातमप्रभा में वह हीन भावना से ग्रस्त होकर निविडतम में डूब जाता है, दुःख के गर्त में फस जाता है। ये सातों अनुभव भोगवृत्ति की पूर्ति के लिये किये गये आरम्भ-परिग्रह की प्रवृत्तियों और उनके दुःखद परिणामों के क्रमिक स्तर को द्योतित करते हैं।

इस नारकीय दुःख से तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब उपयोग दृष्टि का विकास होता है। उपयोग दृष्टि में विवेक का, कृतज्ञता का भाव होता है। उसमें इच्छाओं की नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्ष्य रहता है, समय और शक्ति का समुचित सतुलन रहता है। अपने से परे जो शेष सृष्टि है, उसके प्रति प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता की भावना रहती है। इस कारण मानसिक वृत्तियाँ विखरती नहीं

जुडती है। उनमें विखराव नहीं भराव होता है, ममत्व नहीं समत्व होता है। इसी उपयोग को जीव का लक्षण कहा गया है।

आज हम जिस विश्व व्यापक सकट से गुजर रहे हैं उसके मूल में उपभोग और उपयोग मूलक दृष्टि का द्वन्द्व है और उत्तरोत्तर यह द्वन्द्व अधिक बढ़ता जा रहा है। इस द्वन्द्व को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि भोग लिप्सा को नियन्त्रित किया जाए, आवश्यकताओं को कम किया जाय और उपभोग-परिभोग के जो पदार्थ हैं उनका नियमन किया जाय। स्वैच्छिक राशानिग पद्धति से—आत्म-सयम में हम न केवल अपनी अतः प्रकृति को सतुलित करते हैं वरन् बाह्य पर्यावरण को भी शुद्ध बनाते हैं। सत कवीर ने भोगोन्मुखी मन को नियन्त्रित करने के लिए मयम रूप अक्रुश की जो वान कही है, वह बड़ी मटीक है—

“मैमता मन मारि के, घर ही माहे घेरि ।
जव ही चाले पीठि दे, अक्रुश देदे फेरि ॥”

शब्द-निरुक्ति की दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि उपभोग में ‘उप’ और ‘भोग’ दो शब्द हैं। भोग शब्द ‘भुज्’ घातु से बना है जिसके मुख्य दो अर्थ हैं। एक खाना, पीना, आस्वाद लेना, शारीरिक भूख मिटाना और दूसरा अर्थ है, पालन करना, रक्षा करना। ‘उप’ का अर्थ है, समीपता या निकटता, चेष्टा और प्रयत्न। इस प्रकार उपभोग का एक अर्थ हुआ चेष्टापूर्वक पदार्थों के प्रति ममत्व स्थापित कर शारीरिक सुख-पूर्ति के लिए उसका भोग करना और दूसरा अर्थ है पदार्थों के प्रति आत्मीय भाव स्थापित कर उसके पालन या रक्षण के लिए सचेष्ट रहना। यह दूसरा अर्थ आज गौण हो गया है। ज्यों-ज्यों यह दूसरा अर्थ प्रधान बनता जाता है त्यों-त्यों उपभोग में उपयोग का भाव बढ़ता जाता है। उपयोग में भी दो शब्द हैं। ‘उप’ और ‘योग’। योग ‘युज्’ घातु से बना है जिसका अर्थ है मिलना, जुडना, स्थिर होना। उप का अर्थ है योग्यतापूर्वक। इस प्रकार उपयोग का अर्थ हुआ योग्यतापूर्वक मिलना या जुडना अर्थात् अपनी समस्त योग्यताओं को परस्पर जोड़ने में मयुक्त करना। इस प्रवृत्ति में भोग की अपेक्षा त्याग भाव की प्रधानता रहती है। यह त्याग भाव दूसरों के प्रति आत्मीय और समर्पण का भाव विकसित करता है। इससे दृष्टि विशुद्ध बनती है। यह विशुद्ध दृष्टि हस की तरह है जो सार तत्त्व को ग्रहण करती है। उसके विपरीत जो भोग दृष्टि है वह वगुने की तरह है जो विषय रूप जल का आचमन कर, मसार-मागर को दूषित कर देती है—

“बुगली नीर बटानिया, मायर चड्या कलक ।
और पनेरू पी गये, हम न बोवे चच ॥”

ऐसी उपयोग दृष्टि अहिंसा, मयम और तप रूप धर्माधना से ही सम्भव है। □

अंग्रेजी में एक कहावत है—Time is money अर्थात् समय ही धन है। वास्तव में समय जीवन की अमूल्य सम्पत्ति है। गई सम्पत्ति परिश्रम से, विस्मृत ज्ञान अध्ययन से, नष्ट स्वास्थ्य औषधि से एवं नष्ट समय गुरुकृपा से पुन मिल सकता है, लेकिन गया हुआ वक्त कभी नहीं मिल सकता। इसलिये समय को अमूल्य धन कहा है, ऐसा धन जो किसी भी कीमत पर पुन प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः समझदार मनुष्य समय का पूरा-पूरा उपयोग करते हैं—‘समय न चूकत चतुर नर।’

‘समय बढो बलवान’ कहकर समय की अनन्त शक्ति का परिचय दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि समय निरन्तर गतिशील है, वह एक क्षण भी नहीं रुकता, और वर्तमान में ही जीवित रहता है। जो इसकी वर्तमानता को न पहचानकर मात्र अतीत की गहराइयों में डूबा रहता है अथवा भविष्य की स्वप्निल छाया में घिरा रहता है, वह कभी समय की जीवन्तता से साक्षात्कार नहीं कर पाता। जो क्षण की वर्तमानता को धामे रहता है, वही जीवन का वास्तविक आनन्द ले पाता है। लैटिन में एक कहावत है कि ‘समय के सिर में केवल आगे की ओर बाल होते हैं पीछे की ओर वह गजा होता है।’ यदि तुम उसके आगे के बालों को पकड़ लो तो वह तुम्हारे हाथ आ जायेगा परन्तु यदि तुम उसे आगे से निकल जाने दोगे तो फिर समार की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसे पकड़ सके। समय की इस तस्वीर को पहचानकर हमें उसके बालों को, वर्तमान क्षणों को मजबूती से पकड़कर, जो काम करना है, उसे तुरन्त कर लेना चाहिये।

आज के काम को कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि जो आज है वह निश्चित है और जो कल होगा वह अनिश्चित है। जो शक्ति आज के काम को कल पर डालने में खर्च होती है क्यों न उसका उपयोग आज का काम आज ही करने में किया जाय। राजस्थानी कहावत है—‘कर्या सो काम, भज्या सो राम’, किया वही काम और भजा वही राम-भजन। काम और राम-भजन को तुरन्त कर डालना चाहिये। जो काम कर डाला सो हो गया, नहीं किया सो रह गया। कौन जाने कल आयेगा या नहीं? कल शतान का दूत है। इतिहास के पृष्ठों पर इस कल

की धार पर कितने ही प्रतिभाशालियों का गला कट गया। 'कल' की उपासना छोड़कर 'आज' के ही नहीं 'अभी' के उपासक बनो। सत कवीर मानव को सावधान करते हुए कहते हैं—

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।

पल मे परलय होगी, बहुरि करेगो कब ॥

कल, काल बन गया तो फिर जीवन की कला ही नष्ट हो गई। दीपक बुझने के बाद तेल डालने से क्या लाभ? माल लेकर चोर के चले जाने के बाद सावधान होने से क्या लाभ? जो क्षण वर्तमान है, उसे अक्षर बनाने में लग जाओ। जो पल अभी है उसे प्रज्ञा का केन्द्र बनालो, पूजा का पुष्प बनालो। कही ऐसा न हो कि कल की प्रतीक्षा करते-करते कल तो नहीं आये और काल आ जाय। आप और हम तो हैं ही क्या? सोने की लका का अधिपति रावण भी इस काल से न बच सका। कहा जाता है कि जब रावण मृत्युशय्या पर था तब राम ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने के लिए उसके पास भेजा। लक्ष्मण के प्रार्थना करने पर रावण ने कहा—मैंने कठोर तपस्या कर यह शक्ति प्राप्त करली थी कि मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता था। मेरी तीन इच्छायें थी—मैं धरती और स्वर्ग को मिलाने के लिए सीढिया लगा दू, आग में जलाने की शक्ति का जो तत्त्व है उसे निकाल दू और मृत्यु को नष्ट कर दू। यह सब मेरे बाये हाथ का खेल था। पर मैं सोचता रहा—अभी क्या है, कल यह कार्य कर लूंगा। यो कल-कल करते कल तो नहीं आया पर काल आ गया। अतः हे! लक्ष्मण, दुनिया को मेरी यही सीख है कि हमें कोई बात कल पर नहीं छोड़नी चाहिये, तुरन्त उसे कर डालना चाहिये।

'समय' शब्द इस बात का सूचक है कि इसमें समभाव की आय का स्रोत निरन्तर प्रवहमान रहता है पर समय का यह अर्थ तभी मार्थक बनता है जब व्यक्ति इसकी सामयिकता को पहचाने, इसके प्रति निरन्तर जागरूक बना रहे और समय की उर्वरता से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखे। विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास एक बार भाग्योदय का अवसर न आता हो। जो इस अवसर का स्वागत नहीं करता, तब वह अवसर उल्टे पाँव लौट जाता है। समयज्ञ पुष्प हमेशा ऐसे अवसर का लाभ उठाता है। समय की शक्ति और गति को पहचानने की क्षमता केवल मनुष्य में है, पशु में नहीं। मनुष्य वर्तमान को वरदान बनाने के लिए, उसे वरेण्य बनाने के लिए अतीत से प्रेरणा और अनागत से सपने ले सकता है और अपनी जागरूकता तथा विवेकशीलता में उन्हें तपाकर, पकाकर, माकार कर मकना है पर इसके लिए प्रमाद को छोड़ना होगा। भगवान् महावीर ने अपने शिष्य गौतम को मम्बोधित करते हुए कहा—'समय गोयम मा पमायए'। हे गौतम! क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर।

समय को अर्थवान बनाने के लिए कर्तव्यपरायणता, काम के प्रति निष्ठा और नियमवद्धता का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति और अपने परिवेश के प्रति जितना अधिक जागरूक है, सवेदनशील है, वह उतना ही अधिक समय की आय प्राप्त करेगा। इस प्रसंग में एक लोककथा बड़ी अर्थव्ययजक है।

एक सेठ बड़ा समृद्धिशाली था। भरा-पूरा परिवार था। पर अचानक उसकी पत्नी का देहान्त हो गया। अब सेठ के सामने समस्या आयी कि वह घर की मालकिन किसे बनाये, किसे तिजोरी की चावियाँ सौंपे? समस्या के समाधान के लिए उसने अपनी चारों पुत्र-वधुओं की परीक्षा लेनी चाही। पुत्र-वधुओं को पास बुलाकर उसने कहा—मैं चार वर्ष के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये पाँच-पाँच चावल के दाने तुमको सौंप रहा हूँ। जब वापस आने पर माग करूँ तब मुझे लौटा देना। यह कहकर सेठ चलता बना।

सबसे बड़ी बहू ने सोचा—सेठ की बुद्धि सठिया गयी है। पाँच चावल के दानों की क्या कमी? जब सेठजी आयेंगे कोठार से लाकर दे दूँगी और उसने पाँचों दाने फँक दिये। दूसरी बहू ने सोचा—सेठजी अनुभवही हैं। शायद, ये चावल अभिमंत्रित हों। इनसे कुछ लाभ पहुँच सकता है। यह सोचकर वह उन्हें चबा गयी। तीसरी बहू ने सोचा—न जाने इन चावलों के पीछे क्या रहस्य है? इन्हें सम्भालकर रखना चाहिये। पता नहीं कब ये स्वर्ण या रत्नों में बदल जाय और उसने सद्गृह में उन्हें सुरक्षित रख दिया। चौथी बहू ने सोचा—सेठजी चार वर्ष बाद लौटेंगे, तब तक के लिए क्यों न इनका सवर्द्धन किया जाय? उसने पाँचों दानों अपने मकान से लगी खाली जमीन में डाल दिये। अनुकूल जलवायु पाकर वे अकुरित हो उठे और समय पाकर वे पक गये और पाँच के पाँच सौ हो गये। उसने फिर उन पाँच सौ दानों को बो दिया। अब वे और अधिक हो गये। इस प्रकार वह दानों को बोती रही और वे बढ़ते रहे।

जब चार वर्ष बाद सेठजी लौटे और उन्होंने अपने दिये हुए चावल के दाने मागे तो दो बहूओं ने तो कोठार से लाकर और तीसरी बहू ने सुरक्षित रखे हुए वे दानों लाकर दे दिये पर चौथी बहू ने कहा कि वे दाने पाँच नहीं रहे वरन् फलित होकर कई बोरियों में भरे हैं। सेठजी उसकी समयज्ञता, जागरूकता और विवेकशीलता पर बड़े प्रसन्न हुए तथा उसे घर की मालकिन बनाकर, तिजोरी की चावियाँ उसे सौंप दी।

सच है, जो समय की इस उर्वरता को पहचान पाता है, वही अपने जीवन को सही माने में सफल और समृद्ध बना पाता है। समय की धारा के साथ जो तैरता है, वह न केवल अपना मंगल करता है बल्कि लोकमंगल का क्षेत्र भी

विस्तृत करता जाता है। समय जितना सौंदर्यमय है उतना ही भयकर भी। यह कालवली किसी को भी नहीं छोड़ता। शास्त्रों में इसे 'सर्प' से उपमित किया गया है। सर्प की तरह यह भागता है, फुत्कार करता है पर जो इसकी गति को पकड़ लेता है, वह इसकी कटुता को कला में बदल देता है। जो काल की वर्तना में रमण करता है, वह युग प्रवर्तन करता है, नये मूल्यों का निर्माण करता है और काल के कालकूट को पी जाता है। पर जो इसके साथ सक्रमण नहीं कर पाता, क्षणमात्र का भी प्रमाद कर बैठता है तब काल उसे पी जाता है। ऐसा समझकर वर्तमान में वर्तना करने की, पल को प्रज्ञा बनाने की कला सीखने का निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये, क्योंकि यही क्षण 'तथागत' की भूमिका और भविष्य का जनक है।



आध्यात्मिक सम्पदा की गुणाकार वृद्धि हो

सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता-पिता से तीन प्रकार की विरासत मिलती है—शारीर सम्बन्धी, सम्पत्ति सम्बन्धी और सस्कार सम्बन्धी। यह विरासत उत्तरोत्तर बढ़ती हुई, गुणाकार होती हुई भावी पीढ़ी में अवतरित होती रहे, ऐसा प्रयास आवश्यक है। हमारा सामान्यतः यह लक्ष्य रहता है कि आने वाली मर्तति शरीर से स्वस्थ और रूपवान बने। हम भावी सतति के लिए विपुल परिमाण में चल-अचल सम्पत्ति छोड़कर जाने के लिये, नैतिक-अनैतिक तरीकों से भौतिक सम्पत्ति का विस्तार करने में आजीवन लगे रहते हैं पर विरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शरीर और सम्पत्ति की तरह भावी सतति में सद् सस्कारों की गुणाकार वृद्धि होने का विचार और प्रयत्न करते हैं।

हम स्वयं अपनी ओर देखें। हमें अपने माता-पिता से शारीरिक और भौतिक सम्पदा के साथ-साथ नैतिक सस्कार और सामान्य तत्त्वज्ञान की उपलब्धि हुई है। हमें कुल-परम्परा से धार्मिक सस्कार और आनुष्ठानिक ज्ञान मिला है। हम बराबर इस प्रयत्न में तो लगे रहते हैं कि हमें जो भौतिक सम्पदा प्राप्त हुई है, इसको कई गुणा करके अपनी सततानों को दे। इसके लिये न केवल हम दिन-रात सासारिक प्रपचों में उलझे रहते हैं वरन् अपने बच्चों को भी इस प्रकार शिक्षित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे भौतिक सम्पदा अधिकाधिक प्राप्त करने में कुशल हों। पर हमारा लक्ष्य इस बात के लिये नहीं रहता कि हमें जो धार्मिक सस्कार और तत्त्वज्ञान मिला है, वह कई गुणा होकर बच्चों में उतरे। फलस्वरूप आज परिवार और समाज में प्रायः यही देखने को मिलता है कि भौतिक सम्पदा की वृद्धि तो निरन्तर होती जा रही है पर आध्यात्मिक सम्पदा से व्यक्ति और परिवार शून्य होते जा रहे हैं। यह अत्यन्त ही शोचनीय स्थिति है।

सामान्यतः देखने में आता है कि पैसे से पैसा बढ़ता है। इसी प्रकार सस्कारों का भी गुणानुफल होता है। यदि हम स्वयं अपने जीवन में अथवा बच्चों के जीवन में अच्छे सस्कार डालेंगे तो सस्कारों के वे बीज उपयुक्त अवसर पाकर बट-बृक्ष का रूप धारण करेंगे। इसके विपरीत यदि कुसस्कारों के बीज बोयेंगे तो वे भी समय पाकर वृक्ष के रूप में परिणत होंगे।

शास्त्रो मे श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार का उदाहरण आता है । मेघकुमार का जीव पूर्व भव मे हाथी था । वन मे बहुधा आग लगा करती थी । अत उस हाथी ने अपने परिवार को आग से बचाने के लिए वन के एक भाग को साफ-सुथरा कर बाडा सा वना लिया । एक दिन भयकर आग लगी । सब पशु-पक्षियो मे भगदड मची और वे सब उम साफ सुथरे वाडे मे सुरक्षा के लिये पहुँच गये । हाथी भी पहुँचा और थोडी सी जगह देखकर एक तरफ खडा हो गया । सयोगवश हाथी ने अपनी खुजाल मिटाने के लिए अपने पैर को ऊपर उठाया । इतने मे एक भयभीत खरगोश अपनी जान बचाने हेतु अन्यत्र कही जगह न पाकर हाथी के उठे हुए पैर की जगह आकर बैठ गया । खुजलाने के बाद हाथी जब पैर रखने लगा तो देखा कि नीचे खरगोश बैठ है । उसने सोचा यदि पाँव नीचे रखा तो खरगोश दब जायेगा और मर जायेगा अत जीव दया के भाव से उसने पाव ऊपर ही उठाये रखा । तीसरे दिन जब आग शांत हुई और खरगोश सहित सभी पशु-पक्षी अपने-अपने स्थान पर चले गये तो हाथी ने अपना पैर नीचे रखना चाहा किन्तु अकडने के कारण पैर जम नही पाया और उसकी तीव्र वेदना से हाथी स्वय लुडक गया । इस तरह दूसरे की रक्षा मे स्वय अपने प्राण देने के कारण हाथी का यह जीव श्रेणिक का पुत्र राजकुमार मेघ वना ।


हाथी के भव मे रहा हुआ यह दया का भाव अकुरित होकर विस्तार पाता गया । मेघकुमार जब बडे हुए तो भगवान् महावीर का उपदेश सुनकर दीक्षित हो गये । रात्रि मे सोते समय उनका नम्बर सब मुनियो के अत मे आया । फलस्वरूप रात को मूत्रादि के लिए आते-जाते मुनियो के पैर की धूल उन पर गिरने से तथा बार-बार आहट आने से सारी रात उन्हे नीद नही आई और उनका मन घर लौटने का हो गया । प्रात होने पर जब वे भगवान् महावीर के पास पहुँचे और उन्हे सारी घटना सुनाई तो भगवान् महावीर ने उन्हे उनके पूर्व भव मे हाथी होने और खरगोश की प्राण रक्षा के लिये स्वय के बलिदान होने की बात कही तो वे पुन सयम मे स्थिर हो गये और आत्म-कल्याण के साथ-साथ लोक कल्याण के पथ पर बढ चले ।

उक्त उदाहरण मे हम देखते हैं कि सुसकारो का बीज किस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मे विस्तार पाता गया । पूर्व भव मे जगल के एक प्राणी के प्रति दया का जो भाव था, वह मेघकुमार के भव मे सम्पूर्ण ससार के सभी प्राणियो के प्रति दया और कल्याण के भाव मे वृद्धिगत हो गया । मेघकुमार अपने साधनाशील जीवन मे सयम और अहिंसा के भाव को कई गुणा करके बटाते रहे ।

सद् सस्कारो की भाँति ही कुसस्कार भी गुणाकार पनपते हैं। क्रोध कपाय को गुणाकार अभिवृद्ध होते हुए हम चण्डकौशिक सर्प के जीवन में देखते हैं। चण्डकौशिक सर्प अपने जीवन के तीसरे भव में एक तपस्वी मुनि था। एक बार असावधानी वश एक मेढक मुनि के पंर से दब गया। मुनि के शिष्य ने इस घटना के लिए मुनि से प्रायश्चित्त करने को कहा पर मुनि ने कोई ध्यान नहीं दिया। शिष्य के वार-वार कहने पर मुनि क्रोध में आ गये और उसे मारने दौड़े। शिष्य तो अंधेरे में कही गायब हो गया पर मुनि खम्भे से टकरा गये और सिर फूट जाने से उनका प्राणान्त हो गया।

वे मर कर तापस बने। उनका स्वभाव बड़ा क्रोधी था। एक बार उनके आश्रम से लगे बगीचे में कुछ बच्चे घुस आये। उन्हें निकालने के लिए वे फरसा लेकर उनके पीछे दौड़े। क्रोध के अतिरेक में वे एक गड्ढे में गिर पड़े और हाथ का फरसा उनके सिर में लगा जिससे उनका प्राणान्त हो गया। वे मरकर चण्डकौशिक सर्प बने। क्रोध के गुणाकार बढ़ने के फलस्वरूप वह सर्प दृष्टिविष बना। जिसकी ओर देख लेता, वही खत्म हो जाता। सारा जगल भस्म हो गया उसके दृष्टिविष से। इस प्रकार क्रोध का सस्कार पाकर एक मुनि की आत्मा उत्तरोत्तर गिरती गई।

किसी सस्कार, विचार और भाव को कई गुणा बढ़ाने की क्षमता प्राणी मात्र में है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी इस क्षमता का उपयोग सुसस्कार-निर्माण और तत्त्वज्ञान की उपलब्धि में करें। आज जो कुछ सस्कार और आध्यात्मिक ज्ञान हमें उपलब्ध है उसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे पूर्वज इस आध्यात्मिक निधि को अपनी सतानों में वितरित करते रहे। यदि हम भौतिक सम्पत्ति के पीछे ही पड़े रहे और आध्यात्मिक सम्पदा को बढ़ाया नहीं, अपनी सतानों में उसका वितरण नहीं किया तो निश्चित समझिये हम सस्कार-शून्य हो जायेंगे और तब पशुता और मनुष्यता का अन्तर ही मिट जायेगा।



मनुष्य असीम शक्ति एवं अनन्त पुरुषार्थ का धनी है। इस शक्ति और पुरुषार्थ का वह सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। जब उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी बनती है तब उसमें दैविक गुणों का दिव्य प्रकाश फैलता है। चेतना के अधोमुखी होने पर वह काम-केन्द्रित होकर अन्धकार में भटकने लगता है और उसकी पाशाविक वृत्तियाँ उभर उठती हैं। इस स्थिति में उसे शरीर-सुख और इन्द्रिय-सुख का ही ध्यान बना रहता है। वह इसकी प्राप्ति के लिए अर्थ-लाभ और अर्थ-संग्रह में वेभान होकर दिन-रात लगा रहता है। यह एक प्रकार की मोहाविष्ट अवस्था है जिसे तोड़ना आवश्यक है। इसे तोड़कर ही मानवता का विकास किया जा सकता है। हमारे जितने भी पर्व, उत्सव, त्यौहार आदि आते हैं वे इसी मोहाविष्ट अवस्था में हमें जगाने के लिये हैं। दीपावली पर्व अन्धकार के विरुद्ध सघर्ष करने की शक्ति और प्रेरणा देने का तथा प्रकाश को वरण करने के उल्लास का पर्व है।

'मार्कण्डेय पुराण' के अनुसार समस्त सृष्टि की मूलभूत आद्य शक्ति महा-लक्ष्मी है। वह त्रिगुणमयी है। उसका सात्त्विक रूप ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, राजसिक रूप श्रीसम्पन्नता, धन प्राप्ति और भरण-पोषण का प्रतीक है तो तामसिक रूपलालसा, तृष्णा, लोभ, प्रमाद आदि का प्रतीक है। दीपावली के दिन मुख्य रूप से महालक्ष्मी के राजसिक रूप की पूजा की जाती है। वही-खातो के प्रारम्भ में तथा दुकानों व घरों के प्रवेश द्वारों पर लाभ-शुभ और शुभ-लाभ लिखा जाता है।

जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुखपूर्वक रहने के लिये धन की आवश्यकता होती है। इसकी प्राप्ति के लिये व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। जीवन का उद्देश्य चार पुरुषार्थों की प्राप्ति माना गया है। वे हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस पुरुषार्थ-क्रम में जीवन का बहुत बड़ा मत्स्य छिपा हुआ है। वह यह कि अर्थ, धर्म द्वारा नियन्त्रित हो और कामना मोक्ष के लिये हो। जब अर्थ का अनियन्त्रित अर्जन और उच्छृंखलता पूर्ण उपभोग किया जाता है तब अर्थ का लाभ, शुभ नहीं रहता, नीति और न्यायसम्मत नहीं रहता। लाभ-शुभ की भावना इस बात के लिए बराबर मचेत करती है कि जो भी लाभ हो वह शुभ हो अर्थात् आजीविका के स्रोत शुद्ध हो और उस लाभ का उपयोग केवल अपने लिए न हो बल्कि दूसरों के लाभ के लिये भी हो।

कोई भी लाभ हित में तब बदलता है जब उसका उपयोग दूसरे के कल्याण के लिये किया जाता है। जब अपने लाभ को उलट कर हम सब के लिए उसका उपयोग करते हैं, तब 'लाभ' भला बन जाता है। 'लाभ' शब्द को पलटने से 'भला' शब्द बनता है। जो लोग नीति-न्यायपूर्वक आजीविका कमाते हैं, धन प्राप्त करते हैं, उसे ही सम्पत्ति कहा गया है—'सम्यक् प्रतिपत्ति सम्पत्ति।' जो धन अन्याय और अनीति से, गलत तरीके से, रिश्वत, धूसखोरी, वेईमानी, टैक्सचोरी, मिलावट आदि करके प्राप्त किया जाता है वह सम्पत्ति न होकर विपत्ति है। उसे 'लाभ-शुभ' की सजा नहीं दी जा सकती।

जब शुभ को केन्द्र में रखकर लाभ कमाया जाता है, तब जिस लक्ष्मी की हम उपासना करते हैं उसके दो स्वरूप हैं। एक कमल-आसिनी लक्ष्मी और दूसरी गरुडवाहिनी लक्ष्मी। कमल-आसिनी लक्ष्मी का उपासक सासारिक भोग-लिप्ता से नितान्त विमुख होकर अपरिग्रही बन जाता है। वह अनासक्त और सासारिक मोह-माया से निर्लिप्त रहता है। उसमें महालक्ष्मी के सात्विक रूप की उपासना का भाव ही मुख्य होता है। वह प्रज्ञापुरुष और महाज्ञानी होता है।


गरुडवाहिनी लक्ष्मी का उपासक जो कुछ लाभ कमाता है, उसके साधन पवित्र और शुभ होते हैं। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करता है। जो कुछ लाभ उसे होता है, उससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, शेष को लोक-कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। वह धन का दास नहीं होता। धन को वह समाज और राष्ट्र की प्रगति, दीन-दुखियों की भलाई और मानव-सेवा के लिये समर्पित कर देता है। गरुड विष्णु का वाहन है जो भरण-पोषण के देवता हैं, लक्ष्मीपति हैं। गरुड गतिशीलता और सेवा का प्रतीक है। वह अन्याय और अत्याचार के सापो को नष्ट करने वाला है। जो धन देश के अभाव, दैन्य और दारिद्र्य को निगल कर, देशवासियों को प्रगति पथ पर आरूढ करता है, वह धन है शुभ, वह लाभ है शुभ।

आज पहले की तुलना में धन का अधिक विस्तार हुआ है पर समाज और राष्ट्र के जीवन में उसका उपयोग जितना सार्थक बनना चाहिये, वह नहीं बन पा रहा है क्योंकि हमारी दृष्टि लक्ष्मी के सत्व और रजोगुण से हटकर उसके तमोगुण पर अधिक टिक गई है। हमने दीपावली पर्व को ज्ञान और शक्ति की उपासना से हटाकर, उसे जड-धन की पूजा-उपासना के साथ जोड़ दिया है।

जब ज्ञान की दृष्टि विलुप्त हो जाती है, शक्ति का तेज हतप्रभ हो जाता है, तब जड धन कितना भी रहे, वहाँ अन्धेरा ही अन्धेरा रहता है। ज्ञान और हित की भावना से रहित धन की उपासना लक्ष्मी के उलूकवाहिनी स्वरूप की उपासना है। जिस प्रकार उल्लू को दिन के, प्रकाश में नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जिसका

लाभ शुभ नहीं है, अशुभ, अन्याय और अनीतिमूलक है, उसे अपार धन होते हुए भी समार में कुछ नहीं दिखाई देता। उसके चारों ओर अन्धेरा ही अन्धेरा छाया रहता है। वह वेचन, वस्तु, भयभीत और दुखी बना रहता है। उसका व्यक्तित्व टूटा हुआ और आत्म-शक्ति क्षीण हो जाती है। अन्धकार के विरुद्ध संघर्ष करने की बात तो वह मोच भी नहीं सकता।

आज हमारे देश में ऐसे ही लक्ष्मी उपासको की मर्यादा अधिकाधिक बढ़ती जा रही है, जो चिन्तनीय है। हम प्रतिवर्ष दीपावली मनाते हैं। अनेक दीपक जलाते हैं, विजली का रंग-विरंगा प्रकाश करते हैं। प्रश्न है, यह सब करके क्या हम अन्धकार को चुनौती दे सके हैं? लगता है कि ज्यो-ज्यो दीपक जलते हैं और जलाये जाते हैं त्यों-त्यों अन्धकार बढ़ता जाता है, गहराता जाता है। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, महावीर ने आत्मविकारों को भस्मीभूत करके निर्वाण प्राप्त किया, इन्द्रभूति गौतम ने आत्मशक्तियों का विकास कर कैवल्य प्राप्त किया, दयानन्द सरस्वती ने परम आत्मा से साक्षात्कार किया। पर प्रतिवर्ष दीपावली मनाकर हम क्या प्राप्त कर पा रहे हैं? हमारे चारों ओर सामाजिक कुरीतियों के अन्धकारपूर्ण अनेक रावण उत्पात मचा रहे हैं, धर्मस्थानों और धार्मिक व्यवहारों में लडाई, भगडो और प्रदर्शनों की होड़ लगी हुई है। हिंसा, द्वेष, असयम और भ्रष्टाचार का अन्धेरा निरन्तर मघन होता जा रहा है। इस अन्धेरे के विरुद्ध हमें लड़ना है। उसके लिये हम माटी का दीपक अथवा विजली का बल्ब जलाकर ही न रह जायें। हमें अपने आत्मराम, महावीर, गौतम और दयानन्द को जाग्रत करना है। ये तभी जाग्रत हो सकते हैं जब हमारा लाभ शुभ हो और हम लक्ष्मी के उलूकवाहिनी रूप से परे हटकर उसके गुरुडवाहिनी और कमलग्रामिनी रूप की उपासना करें।





कषाय से समाय की ओर

पृथ्वी के गर्भ में अनन्त सम्पदा भरी पड़ी है। पर उसकी प्राप्ति सहज सुगम नहीं है, क्योंकि उस सचित सम्पदा के ऊपर कई प्रकार के आवरण और लेप हैं। उन्हें हटाकर-खोदकर ही खनिज-सम्पदा प्राप्त की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अनन्त शक्ति का धनी है। उसकी आत्म-सम्पदा अखूट और अनन्त है। पर वह भी नाना प्रकार के आवरणों, लेपों से आच्छादित है, अतः उस शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती। इन आवरणों को भेदकर ही उस परमात्म शक्ति से साक्षात्कार किया जा सकता है। आत्म-शक्ति को आवृत्त करने वाली परतें हमारी असत् वृत्तियाँ ही हैं। मानसिक कमजोरियाँ ही हैं। इन्हें ही कषाय कहा गया है।

“कषाय” शब्द ‘कष’ + ‘आय’ इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ‘कष’ का अर्थ है कर्म-संसार, कसने का भाव अर्थात् ऐसे कार्य जो व्यक्ति को सासारिक प्रपंचो और व्यक्तित्व के टूटने में उलभाते हैं, वे कषाय हैं। स्व और पर को कसने से, दुःखित और पीड़ित करने से, जिन मानसिक विकारों की वृद्धि होती है, वही कष की अर्थ है। इस दृष्टि से आत्मा के भीतर कलुष परिणाम कषाय है।

यों तो मानसिक विकारों के नाना प्रकार हैं। पर उसके दो मुख्य भेद हैं— राग और द्वेष। व्यक्ति जब राग का वशवर्ती होता है तब उसमें लोभ और उसे बनाये रखने में सहायक विभिन्न चित्त वृत्तियों का स्फुरण होता है, यथा माया आदि। जब व्यक्ति द्वेष के वशवर्ती होता है तब उसमें क्रोध, वैर, अहंकार, घृणा जैसे मनोविकार जन्म लेते हैं। इसीलिए राग और द्वेष को कर्मबीज कहा गया है। जिस प्रकार अनुकूल भूमि, जलवायु आदि प्राप्त कर बीज अंकुरित और पल्लवित होकर फलित होता है और फिर एक के स्थान पर अनेक बीज पैदा करता है। इस प्रकार बीजों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। राग और द्वेष के बीज भी दुष्प्रवृत्तियों का अनन्त विस्तार करते हैं।

“रागो य दोषो वि य कम्मबीज”

— उत्तराध्ययन ३२/७

कषाय के मुख्य चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। जब ये नियन्त्रण में रहते हैं तब आत्म-गुणों का विशेष घात नहीं करते, पर जब ये नियन्त्रण

से परे हो जाते हैं तब व्यक्ति चौरासी के चक्कर में निरन्तर भटकता रहता है। डमीलिए कहा गया है—

कोहो य माणो य अण्णिग्गहीया,
माया य लोभो य पवड्ढमाणा ।
चत्तारि एए कसिरणा, कसाया,
सिंचति मूलाई पुण्णभवस्स ॥

—दशवैकालिक, ८/४०

अर्थात् अनिग्रहीत—वश में नहीं किये गये क्रोध और मान तथा बढ़ते हुए माया और लोभ आत्मगुणों को कसते हुए, पुनर्भव रूपी वृक्ष की जड़ों को सींचते रहते हैं।

जो व्यक्ति कपायो पर नियन्त्रण नहीं रख पाता और निरन्तर उन्हें बढ़ने, फैलने की छूट देता रहता है, उसका कभी मोक्ष नहीं होता, उसे कभी परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती।

विषयो के प्रति आसक्ति की दृष्टि से कपायो की तीव्रता और मन्दता पर विचार किया गया है। इनकी तीव्रतम स्थिति को “अनन्तानुबन्धी” स्थिति कहा गया है। अर्थात् इस स्थिति में विषयो के प्रति आसक्ति का अनुबन्ध अनन्त काल के लिए रहता है। यह एक प्रकार की मिथ्यात्व या जडता की स्थिति है। तीव्रतम कपाय-दशा में आत्मा के प्रदेश शरीर से निकलकर अपने शत्रु का घात तक कर आते हैं। इसे कपाय समुद्घात कहा जाता है। ज्यों-ज्यों कपायो की तीव्रता कम होती जाती है त्यों-त्यों आत्मा पर पड़े लेप हलके होते जाते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध कपाय की तीव्रता-मन्दता की स्थिति का विश्लेषण करते हुए उसकी चार अवस्थाएँ बताई हैं—पत्थर पर खीची गई लकीर, पानी सूखने पर तालाव की मिट्टी में पड़ी हुई दरार, रेत में खीची हुई रेखा और पानी में की गई लकीर। इन अवस्थाओं को क्रमशः अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सञ्चलन कहा गया है। प्रथम स्थिति तीव्रतम कपाय की स्थिति है और अन्तिम स्थिति मन्दतम कपाय की। तीव्रतम कपाय की स्थिति में व्यक्ति को सही बोध नहीं हो पाता, सम्यक् दृष्टि का विकास नहीं हो पाता। यह दर्शन मोहनीय की स्थिति है। इस अवस्थान में चारित्र्य शक्ति अर्थात् सत् कार्य में प्रवृत्त होने की भावना भी उद्भूत नहीं होती। दूसरे शब्दों में जब कापायिक वृत्ति तीव्रतम होती है तब न सही विचार आ पाता है और न उम और प्रवृत्त होने का पुरुषार्थ जाग्रुत हो पाता है। पर ज्यों-ज्यों विकारों की परने हलकी होती जाती हैं त्यों-त्यों भोग-निवृत्ति और मयम में प्रवृत्ति का पराश्रम बटना जाता है।

जीवन-व्यवहार

कषाय से आत्मा की गति अधोमुखी होती है। उसे ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए सतत साधना और ऊर्जा की आवश्यकता है। कषाय जीव की ऊर्जा को क्षीण करते हैं। उदाहरण के लिए जब क्रोध आता है, तो न केवल मन विकृत होता है, बल्कि शरीर भी विरूप हो जाता है। आँखें लाल हो जाती हैं, भृकुटी टेढ़ी हो जाती है, नथुने फूलने लगते हैं, स्वर भंग हो जाता है। यही स्थिति जब तीव्रतम बनती है, तो व्यक्ति निराश और कुठित होकर आत्महत्या तक कर बैठता है। क्रोधाभिभूत व्यक्ति अपने को नहीं देख पाता, वह दूसरो को देखता है और विवेक खो बैठता है। दूसरो का नुकसान वह कर पाये या न कर पाये, पर अपना नुकसान अवश्य कर बैठता है। इसीलिए कहा है क्रोध प्रीति का, मान विनय का, माया मित्रता का और लोभ सब गुणो का नाश करता है—

कोहो पीईं परासेई, माणो विणाय नासणो ।
माया मित्ताणी नासेई, लोभो सन्वविणायणो ॥

—दशवैकालिक ८/३८

कषायो को जीता जा सकता है—क्रोध को क्षमा से, मान को नम्रता से, माया को सरलता से और लोभ को सन्तोष से—

उवसमेण हणो कोह, माण मद्दवया जिरणे ।
मामामज्जव भावेण, लोम सतोसओ जिरणे ॥

—दशवैकालिक ८/३९

परन्तु कषाय पर विजय प्राप्त करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। हमारे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, तप, त्याग, व्रत-प्रत्याख्यान, ध्यान, स्वाध्याय आदि के विधान इसी निमित्त हैं। आज कठिनाई यह है कि अधिकांश व्यक्ति इनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न कर केवल रूढ़िपालन या प्रदर्शन करने व प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ही अधिक करने लगे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्राप्त ऊर्जा का उपयोग इन्द्रियो के विषय-सेवन के क्षेत्रो को बढ़ाने में न कर आत्म-चेतना को जागृत व उन्नत करने में किया जाय।



नैतिक मूल्य : वैयक्तिक एवं सामूहिक दायरे में

आज मनुष्य का नैतिक रूप उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूपों के परिवृत्त में ही समझा-परखा जा सकता है। जीवन और समाज की नानाविध परिस्थितियों और क्रिया-कलापों का निर्मल, निष्काम, सर्व कल्याणकारी परिणाम ही नैतिक भावबोध को उजागर करता है। इस दृष्टि से नैतिक रूप को दो स्तरों पर समझा जा सकता है—वैयक्तिक आचार-निष्ठा और सामूहिक कल्याण-भाव। इन दोनों के समपात सन्तुलन में ही जीवन का श्रेय और प्रिय अर्थवान बनता है पर भौतिक यात्रिक प्रगति और भोगवादी वृत्ति से यह सन्तुलन रह नहीं पाता और जीवन-व्यक्तित्व अलग-अलग खण्डों में बिखरने लगता है, टूटने लगता है। फलतः शक्ति-केन्द्र कमजोर पड़ जाता है, और परिधि अशान्ति, सघर्ष और नानाविध आकर्षणों का क्षेत्र बन जाती है।

ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के नैतिक मूल्य और अन्य मूल्यों में सामंजस्य बना रहना कठिन हो जाता है। नैतिक मूल्य मनुष्य की आन्तरिक ऊर्जा और प्रज्ञा के परिणाम होते हैं। जब यह ऊर्जा और प्रज्ञा बाह्य चर्चाधीन और सांसारिक ज्ञान के आकर्षण में खो जाती है तब नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो जाता है। आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं।

कोई भी मूल्य चाहे वह नैतिक हो या सामाजिक, निरपेक्ष या स्थिर नहीं रह सकता। उसमें विकास की प्रक्रिया निरन्तर प्रवृत्तमान रहती है। युग के थपेड़ों से उसमें तनाव पैदा होता है, जो उसे जड़ या निष्क्रिय बनने से रोकता है। यह तनाव जब रचनात्मक शक्ति में परिणत होता है तब मूल्यों का निर्माण होता है। जब यह तनाव विध्वंसात्मक या स्वार्थ रूप धारण कर लेता है, तब समानान्तर मूल्य भी नष्ट हो जाते हैं।

आज हमारा जीवन मुत्स्यत तनाव, सघर्ष और परिग्रह-वृद्धि का जीवन है। इससे जड़ता और जड़ बनती है, वह चैतन्य से माक्षात्कार नहीं कर पाती। चैतन्य का सीधा सम्बन्ध आत्म-केन्द्र से है। जब तक यह सम्बन्ध बना रहता है तब तक मूल्य अध्वोन्मुखी होते रहते हैं। आज का सबसे बड़ा संकट यह है कि हमारी दृष्टि केन्द्र पर नहीं, परिधि पर टिकी हुई है। परिधि का विस्तार एक प्रकार में परिग्रह का

विस्तार है। परिग्रह का यह विस्तार अर्थ तक ही सीमित नहीं है। उसने विचारों को भी प्रभावित किया है, जिससे हठाग्रह, दुराग्रह, साम्प्रदायिकता और कापायिक भावों में वृद्धि हुई है। इससे सग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी है और उपाजन के स्रोत अणुद्ध बने हैं। टैंक्स-चोरी, जमाखोरी, तस्कर वृत्ति, वस्तु में मिलावट आदि इसी के परिणाम हैं।

भगवान महावीर ने नैतिक मूल्यों के रूप में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह-मर्यादा के तत्त्व निर्धारित किये थे। और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिये दिशा-परिमाण, उपभोग-परिभोग की मर्यादा, शोषणवर्धक आजीविका से बचाव और उपभोग-परिभोग में जागरूकता तथा विवेक का विधान किया था। इतना ही नहीं, नैतिक मूल्यों को आचरण योग्य बनाने के लिये सामायिक, देशावकाशिक, पौषधोपवास और अतिथि सविभाग जैसे शिक्षाव्रतों की भूमिका प्रस्तुत की थी। पर कालान्तर में ऐसा लगा कि मूल अणुव्रतों को गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों की रचनात्मक शक्ति और भूमिका सही रूप से नहीं मिल सकी। फलतः जीवन का द्वैत और चौड़ा होता गया। स्थूल अहिंसा के नाम पर सूक्ष्म हिंसा बढ़ती गई, अपरिग्रह और अस्तेय के नाम पर सम्यक् तरीके से शोषण का चक्र चलता गया और अनेकान्त के नाम पर धर्म विभिन्न कठघरों में कैद होना गया। इस स्थिति में सामूहिक नैतिक मूल्यों का ग्राफ तो ऊँचा बढ़ता प्रतीत हुआ पर वैयक्तिक आचारनिष्ठा गुणस्थान के क्रम में विकसित न हो सकी।

आज तक हम सामान्यतः महावीर बुद्ध और गाँधी को अपने आत्मकेन्द्र में प्रतिष्ठित करने के बजाय उन्हें परिधि में ही प्रतिष्ठापित करने के प्रयत्न करते रहे। इससे वे हमारे बनकर, विद्यालयों में, पब्लिक पार्कों में, बाजार की वस्तुओं के प्रतीकों में तो प्रतिष्ठित हुए पर यह सब प्रकारान्तर से परिधि का ही विस्तार था। जब तक वे केन्द्र में प्रतिष्ठित नहीं होते या हम उनके नहीं बन पाते, तब तक नैतिक मूल्य हमें छलते ही रहेंगे।



चरित्र-निर्माण और समाज-व्यवस्था में व्रतों की प्रतिष्ठा

व्यक्ति समाज की इकाई है। समाज की उन्नति, अवनति व्यक्ति-चरित्र पर निर्भर है। जिस समाज में व्यक्ति धर्मनिष्ठ, संयमनिष्ठ, अनुशासनवद्ध और सगठित होंगे, वह समाज सर्वतोमुखी प्रगति की ओर अग्रसर होगा। व्यक्ति-चरित्र के निर्माण में उसके सस्कार और तदजन्य वृत्तियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। सस्कारों और वृत्तियों का परिष्करण, धार्मिक अनुष्ठानों और जीवन के प्रति विकसित दृष्टिकोण पर निर्भर है। इस दृष्टि-निर्माण में व्रत-नियम का बड़ा महत्त्व है। व्रत-नियम से आचार-विचार नियमित तथा निर्मल बनते हैं। व्रत-नियम रहित जीवन चंचल, अस्थिर और दुविधामय बना रहता है। व्रत जीवन को नियंत्रित और नियमित बनाते हैं। इनके धारण में जीवन में नई चेतना और शक्ति का स्फुरण होता है।

सभी धर्मों में व्रत-धारण का विशेष महत्त्व है। व्रतों के अंगीकार करने से जीवन का उत्थान-क्रम प्रारम्भ हो जाता है। इसीलिये व्रतों को 'द्विजन्मा' कहा गया है। 'द्विजन्मा' शब्द के ब्राह्मण, पक्षी, साधु और श्रावक अर्थ होते हैं। वैदिक धर्म के अनुसार जब ब्राह्मण का यज्ञोपवीत सस्कार हो जाता है, तब वह द्विजन्मा कहलाता है। यज्ञोपवीत का द्रव्य रूप से महत्त्व नहीं है। उसका महत्त्व भाव रूप से है अर्थात् इसका धारक अब ब्रह्म में विचरण करने वाला हो गया है। उसने मानसिक माया-प्रपञ्च से अपने को अलग कर लिया है। पक्षी भी प्रथम अंडे के रूप में जन्म लेता है और बाद में पक्ष धारक बच्चे के रूप में प्रकट होता है। व्रती बनने में सचमुच जीवन में नये पक्ष लग जाते हैं। उससे मानसिक दृढ़ता और आत्म-शक्ति का विकास होने लगता है। साधु जब गृहस्थाश्रम से श्रमणधर्म में प्रवेश करता है तो यह उसका द्विजन्म धारण करना है। यही बात मद्गृहस्थ के लिए है। जब वह व्रती बन जाता है तब उममें आदर्श नागरिकता और धर्ममूलक आचार-शीलता के दर्शन होने लगते हैं।

व्रत नियम धारण का सम्बन्ध किसी जाति या कुल से नहीं है। इसका सम्बन्ध मानसिक दृष्टि और आचरण-व्यवहार में है। साधु पूर्ण व्रतों को धारण करता है। अतः उमके व्रत महाव्रत कहलाते हैं। श्रावक मर्यादित या आंशिक व्रत

धारण करता है। अतः उसके व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। श्रावक के बारह व्रत इस प्रकार हैं —मर्यादित अहिंसा, मर्यादित सत्य, मर्यादित अचौर्य, मर्यादित ब्रह्मचर्य, मर्यादित अपरिग्रह ये पाँच अणुव्रत कहे जाते हैं। दिक् परिमाण व्रत, उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दड से निवृत्ति, ये तीन गुणव्रत कहे जाते हैं। सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पौषधोपवास व्रत और अतिथि सविभाग व्रत, ये चार शिक्षा व्रत कहलाते हैं।

प्राचीन समय में उपयुक्त व्रतों के धारक आदर्श श्रावकों के जीवन प्रसंगों के प्रेरणादायी वर्णन मिलते हैं। मरणान्तक कष्ट आने पर भी वे अपने व्रत-नियमों से विचलित नहीं होते थे। परन्तु आज स्थिति अधिक उत्साहप्रद नहीं है। व्रतों के प्रति न विशेष निष्ठा का भाव दिखाई देता है न उनके परिपालन की दृढ़ता का उत्साह नजर आता है। किसी भी धर्म के मूल सिद्धान्तों को आचरण में उतारने का मुख्य साधन है—व्रत-ग्रहण। व्रत-ग्रहण और उसके परिपालन की स्थिति को नया जीवन देने की आज अत्यन्त आवश्यकता है। आज हमारे जीवन और समाज में व्रत के स्थान पर वित्त अधिक प्रतिष्ठित हो गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप हम चिन्मय होने के बजाय मृण्मय बनते जा रहे हैं। हमारे जीवन में और धर्म में भी पग-पग पर प्रदर्शन, ग्राह्यम्बर और यशोलिप्सा तीव्रतर बनती जा रही है। इससे जीवन की शक्ति सूखने लगी है और समाज का ढाँचा टूटने लगा है। जीवन को शक्तिसम्पन्न और समाज को सगठित व उन्नत बनाने के लिये जरूरी है कि हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार व्रतों को ग्रहण कर कड़ाई के साथ उनकी परिपालना करें तथा समाज-व्यवस्था में उनका उपयोग वरतें। □



मुद्रण के आविष्कार और ज्ञान-विज्ञान के विकास से आज अध्ययन का क्षेत्र काफी विकसित हो गया है। प्रतिदिन हजारों, लाखों, पुस्तकें छपती और विकती हैं तथा करोड़ों व्यक्ति उन्हें पढ़ते हैं। पर एक समय ऐसा भी था, जब छापेखाने के अभाव में अध्ययन-अध्यापन का मूल आधार कतिपय हस्तलिखित प्रतियाँ और उपदेश व प्रवचन-श्रवण ही था। आज तो शिक्षण सस्थाओं के अलावा पुस्तकालय, पत्र-पत्रिकाएँ, फिल्म, रेडियो, टेलिविजन, टेप-रिकार्डर आदि ज्ञान के कई नये-नये साधन विकसित हो गये हैं।

अध्ययन-कौशल का इतना विकास होने पर भी आज व्यक्ति की ज्ञान-चेतना मौलिकता और सजगता के रूप में विशेष विकसित नहीं हो पा रही है। शब्द और विषय का ज्ञान तो बढ़ रहा है पर अर्थ-ग्रहण और उसकी नानाविध भंगिमाओं तक पहुँचने की क्षमता विकसित नहीं हो पा रही है। बाह्य इन्द्रियों की क्षमता बढ़ने से रंग, रूप, शब्द, स्पर्श आदि की पहचान और प्रतीति में तो विकास हुआ है, विश्व की घटनाओं में रुचि बढ़ी है, सामान्य ज्ञान का क्षितिज विस्तृत हुआ है और नित्य नवीन तथ्य जानने की जिज्ञासा जगी है, यह सब शुभ लक्षण है पर इसके समानान्तर अपने आत्मचैतन्य को जानने की जिज्ञासा और उसकी शक्ति को प्रकट करने की क्षमता नहीं बढ़ी है। फलस्वरूप ज्ञान की आराधना आत्मा के लिये हितकारक, विश्व के लिये कल्याणक और वृत्ति-परिष्कारक नहीं बन पा रही है। ज्ञान के मथन से अमृत के बजाय विष अधिक निकल रहा है और उम विष को पचाने के लिये जिम शिव-शक्ति का उदय होना चाहिये, वह नहीं हो पा रही है।

नच बात तो यह है कि केवल अध्ययन में ज्ञान के क्षेत्र में मर्षण को ब्रह्म मिनता है और उममें आग ही पैदा होती है। जब तक स्वाध्याय की वृत्ति नहीं बनती, तब तक ज्ञान का मथन, नवनीत-अमृत नहीं दे पाता। स्वाध्याय का अर्थ है—आत्मा द्वारा आत्मा के लिये अध्ययन, ऐसा अध्ययन जिसमें आत्मा का हित हो, नोक का कल्याण हो। ऐसा स्वाध्याय अन्नमुँख हुए बिना नहीं हो सकता। चीनराग महापुरुषों द्वारा कथित नत्शास्त्रों के वाचन, मनन, चिन्तन, भावन और आन्वादन में जब स्वाध्यायी एकाग्र चित्त होना है, तब उमकी पाँचों इन्द्रियों का

सवर स्वन हो जाता है और वह भीतर की गहराई में अवगाहन कर निजता से जुड़ने लगता है, अपने आपको बुनने लगता है। उसकी प्रमाद की अवस्था स्वतः मिट जाती है, उसकी चेतना एकाग्र होकर भी जागरूक बनी रहती है। उसका ज्ञान केवल आँख द्वारा वाचना या बुद्धि द्वारा पृच्छना तक सीमित नहीं रहता, वह परिवर्तना और अनुप्रेक्षा द्वारा स्थिर श्रद्धा और निर्मल भाव के रूप में परिणत हो जाता है तथा आचरण में ढलकर अपने में ऐसे शक्ति कण समाहित कर लेता है कि वह प्राणीमात्र के लिये मंगल रूप बन जाता है।

आज के युग की यह बड़ी दुखान्त घटना है कि ज्ञान-विज्ञान का इतना व्यापक प्रसार और अध्ययन-अध्यापन की इतनी सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी व्यक्ति का मन स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है। आज की शिक्षा-पद्धति में अध्ययन-कौशल ने स्वाध्याय-कला को निर्वासित कर दिया है। फलस्वरूप हमारी प्रवृत्ति परीक्षोन्मुखी बनकर रह गई है। भीतर उतरने की वजाय वह बाहरी साधनों का ही सहारा लेती है। उससे व्यावसायिकता का फलक तो विस्तृत हुआ है, पर आध्यात्मिकता की सवेदना सिकुड़ गई है। मनोरजन का क्षेत्र तो बढ़ा है, पर आत्मरमण की सभावना समाप्त हो गई है। वृत्तियों को उभरने का तो अवसर मिला है, पर आत्मानुशासन का स्वाद विस्मृत हो गया है। अतः आवश्यक है कि हम स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त हो ताकि आत्म-हनन और आत्म-दमन के स्थान पर आत्म-विश्वास और आत्मोल्लास बढ़े।



आज की वैज्ञानिक प्रगति ने मानव-जीवन को अधिक सुखी, सुरक्षित और सम्पन्न बना दिया है। जीवन-यापन के बाधक कारणों को दूर कर प्रकृति के रहस्यात्मक और प्रतिरोधक तत्वों को भी साधक तत्वों के रूप में परिणत कर दिया है। जीवन के अभाव-अभियोग काफी हद तक कम हो गये हैं। ऐसा दूर से लगता है। ज्ञान का केनवाम व्यापक और विस्तृत हो गया है। अन्धविश्वास और रूढिगत परम्पराओं की नींव को विज्ञान के आलोक ने भकभोर दिया है। अज्ञान का अन्धकार सामान्यतः भाग खड़ा हुआ है। प्रकृति और हिंसक पशुओं की भयावनी आकृतियाँ धीरे-धीरे मानव के स्मृति-पटल से ओझल हो रही हैं। भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषार्थवाद की जड़ें अधिक गहरी जम रही हैं। ये सब शुभ लक्षण हैं।

लेकिन इन शुभ संकेतों के अन्तराल में मानवता की जड़ नष्ट कर देने वाले सूक्ष्म कीटाणु भी छिपे हैं। इस ओर आज के वैज्ञानिक-मस्तिष्क का ध्यान बहुत कम जा रहा है। वह इतना अधिक जटिल, बोझिल और व्यस्त हो गया है कि अपने अन्तःस्तर में उठने वाले स्वरो को वह सुन ही नहीं पाता पहचानने की बात तो दूर रही। परिणामतः आज की वैज्ञानिक प्रगति ज्ञान तो दे पाई है पर चिन्मय नहीं। गति तो दे पाई है पर दिशा नहीं। यही कारण है कि आज का व्यक्ति अपने आपको चारों ओर से भय और आतंक मुक्त पाकर भी सबसे अधिक भयभीत है। आज वह चोर, डाकू से उतना नहीं डरता, जितना अपने ग्रामधाम रात-दिन रहने वाले लोगों से। आज वह जंगली पशुओं से इतना आतंकित नहीं होता, जितना तथाकथित मन्थ कहलाने वाले लोगों में। आज एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से और एक जाति को दूसरी जाति में इतना भय नहीं है जितना एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से है। भय मूल से सूक्ष्म हो गया है। ज्यों-ज्यों एकाकी ज्ञान-विज्ञान बढ़ता जायेगा, त्यों-त्यों यह आतंक भाव सूक्ष्म में सूक्ष्मतर होता जायेगा।

इस सांस्कृतिक संकट को दूर करने का उपाय वैज्ञानिक-मस्तिष्क के पास नहीं है। इसे दूर कर सकना है आध्यात्मप्रधान मस्तिष्क, आत्म-चिन्तन और मनन। आज की तथाकथित शिक्षा में इस चिन्तन और मनन के लिये कोई स्थान नहीं।

आज विद्यार्थी इसलिये पढता है कि उसे परीक्षा पास कर जीवन-यापन के साधन रूप अच्छी नौकरी ढूढनी है। अत येन-केन-प्रकारेण वह प्रमाण-पत्र चाहता है। उसके अध्ययन में स्वत स्फूर्त रुचि नहीं, आन्तरिक ईमानदारी नहीं, हृदय की पवित्र भावना नहीं। वह अपने चातुर्य से दूसरो की आँख मे घूल भोक कर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अपने आचार और विचार मे द्रैत स्थिति कायम कर दूसरो पर प्रभाव जमाना चाहता है। जो इस प्रक्रिया मे जितना अधिक सफल उतरता है, वह उतना ही अधिक पढा-लिखा माना जाता है। जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक यह सकट बना रहेगा।

आज शिक्षा और स्वाध्याय के बीच खाई पड गई है। यही कारण है कि आज का विद्यार्थी ज्ञान तो बढा पाया है पर उसे आत्मसात नहीं कर सका है। जब तक विचार आत्मसात नहीं होते, वे आचार मे परिणत नहीं हो सकते। आज के मानव का दिमाग तो तेज गति से दौड रहा है, पर उसके पाँव एक जगह स्थिर हो गये है। परिणामत वह सिर के बल गिर पडा है। अध्ययन के साथ स्वाध्याय का समुचित सतुलन ही उसे इस स्थिति से उबार सकता है। अध्ययन मे केवल ज्ञान का आकलन या सग्रह होता है, स्वाध्याय से उसका पाचन। अध्ययन मे केवल वहिर्दृष्टि प्रमुख होती है, स्वाध्याय मे अन्तर्दृष्टि। अध्ययन सामान्यत पर पदार्थों का किया जाता है, स्वाध्याय स्वयं अपने स्वरूप का। जब तक व्यक्ति सृष्टि के इतर पदार्थों के परिप्रेक्ष्य मे अपने अस्तित्व और दायित्व के विविध आयामो का परीक्षण नहीं करेगा तब तक वह अपने आप को सतुलित नहीं रख सकेगा। यह धर्म और विज्ञान का, आत्मा और शरीर का, दृष्टि और सृष्टि का सम्यक् सतुलन ही आज के युग की सबसे बडी आवश्यकता है। इस सतुलन को वही बनाये रख सकता है जिसमे स्वाध्याय की प्रवृत्ति हो।

चीटी की तरह अध्येता को बडी ईमानदारी और लगन के साथ ज्ञानार्जन मे जुटना चाहिये। चीटी की दृष्टि बडी व्यापक और प्रखर होती है। कही भी कोई चीज रखी हो, वह समस्त बाधाओ और सकटो को भेलेती हुई अपनी रुचि के अनु-कूल पदार्थ विशेष को ग्रहण कर आयेगी। अध्येता की अध्ययन के प्रति ऐसी ही निष्ठा होनी चाहिये। अध्ययन मे उपस्थित समस्त बाधाओ का मुकाबला करता हुआ वह ज्ञान का आकलन करे।

परन्तु ज्ञान के आकलन तक ही उसका कर्तव्य सीमित न हो जाय। ज्ञान का आकलन तो प्रथम सीडी है। ज्ञान ग्रहण करने के बाद यदि उस पर चिन्तन नहीं किया गया तो वह फलदायक नहीं होगा। इसलिये अध्येता को दूसरे सोपान मे आकर चिन्तन करना पडेगा। चिंतक की स्थिति मकडी की तरह होती है। मकडी

अपने ही तानो-वानो में उलभी-मुलभी रहती है। आज की शिक्षा में चिन्तन की उपेक्षा है। स्वाध्याय चिन्तन की मूल भीति है।

चिन्तन के वाद की स्थिति है, मनन। आकलन और चिन्तन के वाद अध्येता को मनन करना चाहिये। मनन के द्वारा ही वह संसार के सामने अपना विचारामृत रख सकेगा। इस प्रक्रिया से उद्भूत अमृत मानवता के लिये सजीवनी शक्ति का काम करेगा। मनन की प्रक्रिया ठीक मधु-मक्खी की प्रक्रिया है। मधु-मक्खी विविध रंगों के फूलों का रस लाती है, पर अपनी प्रक्रिया से उनमें ऐसा सतुलन और मामज्म्य स्थापित करती है कि उन विविध रसों से जो मधु निर्मित होता है वह एक ही प्रकार का, एक ही रंग का, बड़ा सात्विक, मधुर और मीठा। सबको आनन्द देने वाला, प्रफुल्लित करने वाला, स्वस्थ रखने वाला। मच्चे स्वाध्यायी की प्रक्रिया ठीक चीटी, मकड़ी और मधु-मक्खी की प्रक्रिया है।



शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को संस्कार-सम्पन्न बनाना है, उसकी सुपुष्ट शक्तियों को प्रकट कर, उसकी चेतना का विकास करना है। उसकी चेतना के विकास में जो बाधक तत्त्व हैं, उन्हें दूर करने की क्षमता और योग्यता शिक्षा के द्वारा ही अर्जित की जा सकती है। शिक्षा व्यक्ति को सब प्रकार के विकारों और क्षुद्रताओं से मुक्त कर उसे सम्पूर्ण मानव बनाती है। इसी अर्थ में शिक्षा को मुक्ति का साधन कहा गया है—सा विद्या या विमुक्तये।

शिक्षा के उक्त आदर्श से आज हम भटक गये हैं। हमने आज शिक्षा को जीवन-निर्माण का और चरित्र-गठन का साधन न मान कर जीवन-निर्वाह का और इन्द्रिय-भोग के अधिकाधिक उपकरण जुटाने का साधन मान लिया है। फलस्वरूप शिक्षा का सम्पूर्ण परिवेश, उद्देश्य और पाठ्यक्रम का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति रोटी-रोजी कमाने में अधिक सक्षम हो जाये। भौतिक उपलब्धियों को अधिकाधिक प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य रह गया है। दूसरे शब्दों में आज की शिक्षा जीवन के निर्माण के लिये न होकर जीवन के निर्वाह के लिये ही प्रतिबद्ध है। इससे जगत के रहस्यों और दूसरे पदार्थों को जानने की, परखने की समझ तो बड़ी है, शरीर को सजाने-सवारने की ललक तो जगी है परन्तु अपने आपको जानने की और आत्मगुणों को विकसित करने की भावना लुप्त हो गई है। इस कारण जीवन और समाज में अनियन्त्रित असन्तुलन और विखराव पैदा हो गया है। व्यक्ति बन्वनों से छूटने के बजाय अधिकाधिक मानसिक सक्लेशों और तनावों से आवद्ध हो गया है।

हमें यह स्मरण रखना है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। उसके मस्तिष्क और हृदय भी हैं। मस्तिष्क के विकास की पूरी सुविधायें जुटाकर ही हम शान्त और सुखी नहीं हो सकते क्योंकि सुख वस्तुनिष्ठ नहीं, आत्मनिष्ठ है। आज की शिक्षा में आत्म-जागरण के लिये कोई स्थान नहीं है। इसीलिये व्यक्ति यात्रिक अधिक बनता जा रहा है। उसकी हार्दिकता छूटती जा रही है।

आज स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश की जटिल समस्या है। प्रवेशार्थियों के मानदण्ड आर्थिक या बौद्धिक हैं। शिक्षा का परिणाम भी अर्थ और

मर्यादों में आका जाता है। कुल मिलाकर आज की शिक्षा में केन्द्र की मजबूती गायब है। केन्द्र के अभाव में परिधि सुरक्षा का भाव न पैदा कर विश्व खलता का भाव ही पैदा करती है। "उत्तराध्ययन" सूत्र में कहा गया है कि जिनमें अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य है, उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होती

अहं पर्चाहिं ठागोहिं, जेहिं सिक्खा न लब्धई ।

थम्भा, कोहा, पमाएण, रोगेणालस्सएण य ॥ ११/३ ॥

शिक्षा उन्हें प्राप्त होती है, जो इन्द्रिय और मन का नियन्त्रण करते हैं, जो रम-नोलुप नहीं होते, जो छल-छद्म नहीं करते, जो असत्य भाषण नहीं करते। विनय को शिक्षा का मूल कहा गया है। जो विद्वान् होते हुए भी अभिमानी है, आजतेन्द्रिय है, बार-बार असम्बद्ध भाषण करता है, उसे अवहृश्रुत और अविनीत कहा गया है। ऐसे शिक्षार्थी को सड़े कानों वाली कुतिया से उपमित किया गया है जिसकी सर्वत्र उपेक्षा होती है, अवमानना होती है—

जहा सुणी पूर्व-कणी, निक्कसिज्जइ सव्वसो ।

एव दुस्सील पडिणीए, मुहुरी निक्कसिज्जई ॥ १/४ ॥

मूर्खता से पता चलता है कि आज का तथाकथित विद्यार्थी अधिक अनुशासनहीन, दुर्व्यसनी और अपराधवृत्ति वाला है। इसका मूल कारण शिक्षा का जीवन-निर्माण से, चरित्र-निर्माण से, जुड़ा हुआ न होना है। चरित्र का अर्थ है—अशुभ कर्मों से निवृत्ति और शुभ कर्मों में प्रवृत्ति तथा जीवन और व्यवहार में सत्य, मादगी, ईमानदारी, परोपकार सहिष्णुता, निर्भयता, त्याग, समय जैसे गुणों की प्रतिष्ठा होना।

चरित्र-निर्माण का यह कार्य नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। कुछ लोग नैतिक शिक्षा को साम्प्रदायिक शिक्षा समझने की भूल करते हैं। नैतिक शिक्षा मरके प्रति आदर और सम्मान का भाव सिखाती हुई यह बताती है कि हमारा अपने परिवार और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और हमें कैसे व कैसे जीवन जीना चाहिये।

आधुनिक युग में ज्यो-ज्यो विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ है, त्यो-त्यो शिक्षा-प्राप्ति के साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और शिक्षितों का प्रतिशत बढ़ा है। यह एक शुभ लक्षण है। परन्तु जिन अनुपात में शिक्षा का विकास हुआ है उस अनुपात में मानवीय मद्गुण विकसित नहीं हुए हैं। इसका मुख्य कारण है—शिक्षा के माध्यमस्कारों का विकास न होना, आन्तरिक शक्ति का जाग्रत न होना। जब तक शिक्षा के माध्यम इस प्रकार की जागरूकता और विवेकशीलता विकसित नहीं होती

तब तक शिक्षा का फल व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सम्यक् रूपेण नहीं मिल सकता ।

शिक्षा का ज्ञान से गहरा सम्बन्ध है । इस ज्ञान की दो दिशाएँ हैं—एक दिशा है आत्मा या द्रष्टा का ज्ञान और दूसरी दिशा है दृश्य जगत या देह का ज्ञान । प्रथम को हम आत्मज्ञान कह सकते हैं और दूसरे को भौतिकज्ञान । आज की शिक्षा पद्धति में सारा बल और अभ्यास भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने पर ही दिया जाता है । फलस्वरूप शिक्षार्थी का मस्तिष्क तीव्र और पैना हो जाता है, परन्तु मस्तिष्क को संचालित और नियंत्रित करने वाली आत्मचेतना या प्रज्ञा का स्फुरण नहीं हो पाता । फलतः शिक्षा द्वारा जो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त किया जाता है, उसका स्व-पर कल्याण में उपयोग नहीं हो पाता । शक्ति और सामर्थ्य के सदुपयोग के लिये प्रज्ञा, प्रकाश और विवेक की आवश्यकता है । यह आवश्यकता अक्षर ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान से पूरी नहीं हो सकती । उसके लिये सकारो का होना आवश्यक है ।

शिक्षा स्वयं जीवन का कोई ध्येय नहीं है । वह ध्येयपूर्ति का साधन मात्र है । पुस्तको में केवल अक्षर और भाषा मिलती है । किन्तु उसका अर्थ सृष्टि में व्याप्त रहता है । जब शिक्षा के साथ सस्कार अर्थात् दीक्षा का सम्यक् योग होता है तब सृष्टि में व्याप्त उस अर्थ को समझा और परखा जा सकता है । जिसमें यह समझ और परख विकसित नहीं होती, वह साक्षर होकर भी राक्षस हो सकता है । इसीलिए शायद अनुभवियो ने कहा है—“अशिक्षित मनुष्यो से समाज की उतनी हानि नहीं होनी जितनी सस्कार-रहित शिक्षितो से हो सकती है ।”

‘स्थानाग सूत्र’ में ज्ञान-प्राप्ति के साधनों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि ज्ञान-साधक विकथाओं से अर्थात् विकृत साहित्य से दूर रहे । उसके व्यवहार में शालीनता और विनयशीलता हो, त्याग और समय की भावना हो, सतत अभ्यास और जागरूकता बनी रहे और शुद्ध तथा पवित्र आहार का सेवन हो । आज के युवक-युवतियो में इन चारों साधनों की कमी परिलक्षित होती है । अधिकांश छात्रों का समय सत्-साहित्य के पठन-पाठन में न बीत कर आत्मघाती, उत्तेजनापूर्ण, सस्ते साहित्य के अध्ययन में नष्ट होता है । त्याग और समय के स्थान पर इनमें फैशन-परस्ती, अह और प्रदर्शन की वृत्ति देखी जाती है । स्वाध्याय के प्रति रुचि न होने से उनका ज्ञान अछूरा, अपरिपक्व और अपाच्य बना रहता है । सम्यक् आहार-विहार के अभाव में व्यसन-विकारों से ग्रस्त युवक तन और मन से अस्वस्थ देखे जाते हैं । अतः यह नितान्त आवश्यक है कि युवापीढी को शिक्षित करने के साथ सुगुणगर्भाभी किया जाय ।

जो साधक परमात्म बनने की दिशा में सासारिक माया-मोह और पापकारी प्रवृत्तियों से अलग हटकर, उत्कट वैराग्य भावना धार कर, गुरु चरणों में समर्पित हो आजीवन सम-भाव में रमण करने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध होता है, उस प्रक्रिया का नाम दीक्षा है।

दीक्षा शब्द 'दीक्ष्' धातु में बना है जिसका अर्थ है किसी धर्म-संस्कार के लिये अपने आपको तैयार करना, आत्म-मयम की ओर बढ़ना। दीक्षा आन्तरिक चेतना के रूपान्तरण का नाम है। यह नये आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश-द्वार है। वृत्तियों के पवित्रीकरण और मस्कारशीलता का नाम है दीक्षा।

मनुष्य अनन्त शक्तियों और पुरुषार्थ पराक्रम का धनी है। पर विषय वासना और कपायादि विकृतियों के कारण उसकी आत्म-शक्तियाँ आवृत्त-प्राच्छादित व सुपुष्ट बनी रहती हैं। जिस प्रकार अण्डे के आवरण को तोड़कर पक्षी नया जीवन धारण करता है उसी प्रकार आत्म-शक्ति को ढरुने वाली कर्म-विकृतियों को नष्ट कर साधक परमात्म पद प्राप्त करता है। इस परमात्म पद को प्राप्त करने की साधना का नाम है दीक्षा।

दीक्षा के मोटे रूप से दो स्तर हैं। एक श्रावक दीक्षा और दूसरी श्रमण दीक्षा। श्रावक दीक्षा सद्गृहस्थ बनने और अपने में आदर्श नागरिकता के गुणों को आत्मसात करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करने का नाम है। श्रावक उसे कहा गया है जो श्रद्धा और विवेक पूर्वक अपनी शक्ति और मर्यादा के अनुसार हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग कर आत्म-गुणों को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय बनता है। गृहस्थ-जीवन का दायित्व होने के कारण वह सामारिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। अतः आशिक रूप से व्रत-नियमादि ग्रहण कर वह समार में रहते हुए भी अधिकमयमी जीवन जीता है।

श्रमण दीक्षा श्रावक दीक्षा की अगली सीढ़ी है। प्रचलित अर्थ में श्रमण दीक्षा को ही दीक्षा कहा जाता है। श्रावक दीक्षा वारह व्रत धारण करने तक सीमित है। जो साधक श्रमण दीक्षा धारण करता है वह गृह और परिग्रह तथा उसके महत्त्व में रहित होता है। वह आजीवन हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और

परिग्रह का तीन करण योग से अर्थात् मन, वचन, काया से इन पापकारी प्रवृत्तियों को स्वयं न करने, दूसरों से न करवाने और उन्हें करते हुए का अनुमोदन न करने की प्रतिज्ञा धारण करता है। इस प्रतिज्ञा द्वारा वह नये आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। स्वयं पर, स्वयं के लिये, स्वयं का नियंत्रण स्थापित करता है। अपने 'स्व' का विस्तार कर वह प्राणीमात्र के साथ मैत्री भाव का सम्बन्ध जोड़ता है। सभी जीवों को वह अपने ही समान प्रिय समझने लगता है। उनकी समानता व स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये वह अपने को आत्मानुशासित कर स्व-स्वरूप की प्राप्ति के लिये सचेष्ट होता है।

दीक्षा धारक साधक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य की निरतिचार आराधना के लिये साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं को हँसते-हँसते सहन करता है। वह नगे पाँव पैदल चलता है, शरीर-रक्षण के लिये घर-घर जाकर मधुकरी वृत्ति से निर्दोष आहार ग्रहण करता है, कल के लिये कुछ भी संचित नहीं रखता। अपने पास पैसा-कौड़ी, नोट, गहना आदि कुछ भी नहीं रखता, वह इनका स्पर्श तक नहीं करता। रहने के लिये अपना निजी कोई मकान नहीं रखता। वर्षावास को छोड़कर शेष आठ महीने वह आध्यात्मिक उपदेश देने, सामाजिक क्रूरियों को दूर करने, जीवन को व्यसन मुक्त कर सुसंस्कार डालने की भावना से गाव-गाव, नगर-नगर पद-विहार करता है और कहीं भी एक माह से अधिक नहीं रुकता।

दीक्षा अंगीकार करते समय साधक अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन के प्रतीक सादे ध्वेत वस्त्र धारण करता है और उनकी मर्यादा करता है। अपने भावी जीवन-व्यवहार को शुद्ध, पवित्र और निर्मल करने के लिये वह प्रतिज्ञाबद्ध होता है, साथ ही अतीत में उसके द्वारा जो भी दुष्कृत अर्थात् बुरे कार्य हुए हैं, उनके लिये सबसे क्षमा मागता है, उनकी आत्म-साक्षी से निन्दा करता है। गुरु के सामने अर्थात् सार्वजनिक रूप से उन दुष्कर्मों के प्रति गद्दी करता है। इस प्रकार विगत अशुद्ध जीवन और दुष्कृत्यों के प्रति निन्दा, गद्दी करके वह अपने हृदय को पापरहित, भारहीन बनाकर नये जीवन की तैयारी करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि दीक्षा तथाकथित आधुनिक शिक्षा की अर्थकारी भोगोन्मुखी प्रवृत्ति से परे आत्मबोध की सहज स्फुरण है, आत्म-साक्षात्कार करने की विशिष्ट प्रक्रिया है, चेतन का अपनी स्वानुभूति में स्थित होने की साधना है, मन की ग्रन्थियों को भेद कर निर्ग्रन्थ बनने की प्रतिज्ञा है। इसमें आत्म-सुधार, जीवन-निर्माण, लोक-कल्याण, अहिंसक समाज रचना और विश्वमैत्री का बहुत बड़ा आदर्श निहित है।

व्यक्तियों के समूह में समाज बनता है। समाज की अच्छाई या बुराई व्यक्तियों पर ही निर्भर है। व्यक्ति का आचार-विचार, उसका रहन-सहन और जीवन-दर्शन, समाज-मगठन को प्रभावित करता है। अतः समाज-रचना में व्यक्ति को धार्मिक, आर्थिक, नैतिक और कलात्मक प्रवृत्तियाँ महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। यहाँ समाज रचना में साहित्य की भूमिका पर नक्षेप में विचार किया जा रहा है।

'साहित्य' शब्द से उसके दो मुख्य कार्य ध्वनित होते हैं—सबके प्रति हित की भावना और सबको साथ लेकर तथा सब में ऐक्य भाव स्थापित करते हुए चलने की भावना। इन दोनों क्रियाओं से समाज के जिस स्वरूप का निर्धारण होता है वह समता समाज के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ?

साहित्य के निर्माण में भाव ही मुख्य होते हैं जो शब्द और अर्थ के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। साहित्य-निर्माण की प्रक्रिया उत्तेजना, उथल-पुथल और आन्दोलन की प्रक्रिया न होकर संवेदना, समरसता और सर्जन की प्रक्रिया है। साहित्यकार मानव-मन की गहराई में पहुँचकर जो भाव-सम्पदा अर्जित करता है, वह मात्र अपने लिये न होकर सबके लिये होती है। उसकी स्वानुभूति सर्वानुभूति बन जाती है। इस प्रकार "स्व" का "सर्व" में विलय होने पर जो स्थिति बनती है, उसे समरसता या समता की स्थिति कह सकते हैं। काव्यशास्त्रों के आचार्यों ने इसे सम-दशा कहा है, और इसके आन्वय को ब्रह्मानन्द महोदर के तुल्य माना है।

साहित्य की रचना-प्रक्रिया में साहित्यकार योगी अथवा साधक की भाँति ही तटस्थ, निरपेक्ष और मानसिक वासनाओं में उपरत हो जाता है। इस मन स्थिति में जो साहित्य रचा जाता है, उसका आस्वाद न सुखात्मक होता है न दुःखात्मक। आचार्यों ने उसे आनन्द की मजा दी है। इस दशा में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले भाव तिरोहित हो जाते हैं। भय, शोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे दुःखात्मक और लोभ, प्रेम, उत्साह जैसे सुखात्मक भाव अपने-अपने उत्तेजक रूप को छोड़कर समरसता में परिणत हो जाते हैं। विज्ञान की शब्दावली में यदि कहे तो यह वह स्थिति है जिसमें

ताप 'प्रकाश' में रूपान्तरित होता है। इस मनोदशा में शत्रु, शत्रु नहीं रहता। सारे द्वन्द्व शान्त हो जाते हैं, और मन की वृत्तियाँ भीतर के तारों से इस प्रकार जुड़ जाती हैं कि सारे विभाव और विकार शान्त हो जाते हैं। इस मानसिक एकाग्रता और वृत्ति-सयमन में सार्वजनीन भाव का ऐसा विकास होता है जिसमें विशेषीकृत व्यक्तित्व साधारण बन जाता है। साधारणीकरण की यह प्रक्रिया समत्व दर्शन की निकटवर्ती प्रक्रिया है।

पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों की दृष्टि भावों के उदात्तीकरण की इस रसदशा तक नहीं पहुँची है। यही कारण है कि वहाँ साहित्य में शान्ति की अपेक्षा सघर्ष को, सुखान्त भाव की अपेक्षा दुःखान्त भाव को और नायक के मगल की अपेक्षा उसके मत्रास और मरण को मुख्यता दी गई है। पर भारतीय दृष्टि इससे भिन्न रही है। यहाँ नायक के जीवन में सघर्ष आता है, कठिनाइयाँ आती हैं, पर वह अपने पुरुषार्थ के लक्ष्य पर धैर्यपूर्वक उन पर विजय प्राप्त करता हुआ अन्त में मगल को प्राप्त करता है। वह मरता नहीं वरन् मृतको को भी जीवन प्रदान करता है। उसकी आस्था, युद्ध, हिंसा और रक्तपात में न होकर, आत्म-सयम, अहिंसा और कर्षण में है। वह केवल युद्धवीर नहीं है, वह धर्मवीर, कर्मवीर और दानवीर भी है। धैर्य और साहस का धनी होने के कारण उसे 'धीरोदात्त' कहा गया है।

साहित्य में सवेदना के स्तर पर समता का जो स्वर उभरता है, वह केवल मनुष्य समुदाय तक सीमित नहीं रहता। उसकी परिधि में मनुष्येतर जीवधारी सभी प्राणी और प्रकृति के नाना तत्त्व भी समाहित होते हैं। समष्टि रूप में लिंग, जाति, वर्ण, धर्म, मत, सम्प्रदाय आदि के भेद समाप्त हो जाते हैं। वहाँ मर्द केवल मर्द नहीं रहता और स्त्री केवल स्त्री नहीं रहती। आत्मीयता का इतना विस्तार हो जाता है और सबद्धपरकता की भाव-भूमि इतनी व्यापक हो जाती है कि उसमें समस्त ब्रह्माण्ड समा जाता है। यहाँ नारी वासना की नहीं साधना की, भोग की नहीं, त्याग की और दुर्बलता की नहीं शक्ति की प्रतीक बनकर आती है। पत्नीत्व के रूप में वह पश्चिमी साहित्य की भाँति केवल 'वाइफ' के दायरे में सीमित नहीं है। रमणी, दारा, भार्या, देवी और प्रियतमा के रूप में उसे नानाविध सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते भी निभाने होते हैं। माँ के रूप में उसकी वत्सलता समाज को स्नेह-सूत्र में बाधती है।

साहित्य में पशु-पक्षियों का चरित्र और व्यवहार इस प्रकार चित्रित होता है कि उनमें उन गुणों को विकसित करने की प्रेरणा मिलती है जिनका होना समता-समाज के लिये आवश्यक होता है। ये गुण हैं—सहकार, सहयोग, प्रेम, मैत्री, कर्तव्यपरायणता, प्रामाणिकता, परिश्रम, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, अपरिग्रहवृत्ति, आत्म-सयम आदि। कालिदास के "अभिज्ञान शाकुन्तलम्" के दो प्रसंग हमारे डम

कथन के प्रमाण हैं। एक प्रसंग उम नमय का है जब शकुन्तला कण्व ऋषि के आश्रम में विदा लेती हैं तो मृगशावक उमका वस्त्र पीछे से अपने मुह में पकड़ लेता है। मानव और पशु के परस्पर प्रेम का यह कितना आत्मीयतापूर्ण सात्विक और निश्चल-निस्वार्थ अनुभव है।

दूमरा प्रसंग मृग के सींग पर मृगी की वाई आँख के खुजलाने का है। इस प्रसंग के माध्यम में कालिदास ने मृग के समय और मृगी के निर्भीक प्रेम भाव को अभिव्यक्त किया है। मृगी का हृदय आश्वस्त है कि उसके प्रिय के सींग से उसकी आँख को किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। इस प्रकार के अनेकानेक प्रसंग और मार्मिक छवियाँ साहित्य के विशाल फलक पर चित्रित हैं। समता-समाज-रचना में इन प्रसंगों से उद्बोधन और प्रेरणा मिल सकती है।

आत्मीय भाव का यह विस्तार पशु-पक्षियों तक ही सीमित नहीं है। लता वृक्ष, पेड़-पौधों तक इसकी व्याप्ति हुई है। धरती को माता और अपने को पुत्र मानकर कवियों ने इस विराट प्रकृति की वन्दना की है। इसी भाव विन्दु से देश प्रेम और विश्व प्रेम की भावना जुड़ी हुई है। इससे स्पष्ट है कि साहित्य मानव-मानव को ही नहीं जोड़ता वरन् प्रकृति के कण-कण को भी परस्पर जोड़ता है।


समता-समाज-रचना में सबसे बड़ी बाधा है—सामाजिक और आर्थिक वैषम्य की भावना। सामाजिक विषमता का मुख्य कारण है—अज्ञान और अश्व-विश्वाम और आर्थिक विषमता का कारण है—उत्पादन के साधनों का असमान वितरण और अग्रहवृत्ति। भारतीय सत-साहित्य में और आधुनिक युग के प्रगतिवादी-प्रगतिशील साहित्य में इन विषमताओं पर गहरी चोट की गई है। ऐसे पात्र खड़े किये गये हैं जो समता-समाज के निर्माण के लिए सतत संघर्षरत हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम और धार्मिक-सामाजिक सुधार आन्दोलन इसकी पीठिका बने हैं।

हमारे जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम—इन पुरुषार्थों की प्राप्ति करने हुए अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना रहा है। समाज-निर्माण का भी शायद यही लक्ष्य है। इस विन्दु पर आकर समाज और साहित्य दोनों का लक्ष्य एक हो जाता है और दोनों एक दूसरे के सम्पूरक बन जाते हैं। इस मदर्म में साहित्य एक ओर समाज का दर्पण बनकर उसकी मजबूती और दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण करता है। वृगडडियों के प्रति वितृष्णा पैदा करता है और अच्छाडडियों के प्रति रुचि जागृत करता है। दूमरी ओर साहित्य समाज के लिये दीपक के रूप में मार्ग-दर्शक बनता है। उस रूप में साहित्यकार केवल इस बात में संतुष्ट नहीं रहता कि “हम कैसे हैं”—इसका चित्रण भर कर दिया जाय, बल्कि “हमें कैसे होना चाहिए”

जीवन-व्यवहार

स आदर्श को भी वह रूपायित करना चाहता है। इन दोनों के युगपत चित्रण को 'आदर्शोन्मुख यथार्थवाद' की सज्ञा दी गई है। समता-समाज-रचना में साहित्यकार की यही दृष्टि उपादेय है।

पर दुःख इस बात का है कि आज का साहित्य पश्चिमी प्रभाव के कारण जीवन को पुरुषार्थ-साधन के रूप में न देख कर समस्याओं के रूप में देखने लगा है। फलस्वरूप सृजना के स्थान पर अनुकरण और सस्कारशीलता के स्थान पर वृत्तियों को उभारने की व्यावसायिकता पनप रही है। भीतर की शक्तियों को सगठित करने के बजाय आज का तथाकथित सस्ता मनोरजनात्मक साहित्य उन्हें बिखेरने में लगा है। फलतः भराव के स्थान पर विखराव, आस्था के स्थान पर निराशा, समता के स्थान पर विषमता और शान्ति के स्थान पर संघर्ष घर कर रहा है। साहित्य की इस प्रवृत्ति को रोकना होगा और इसके स्थान पर लोकहितवाही, सस्कारशील, जीवनोत्कर्षकारी साहित्य निर्माण को बढ़ावा देना होगा। यह तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसे सत्साहित्य के निर्माण की गति रुक गई है पर यह अवश्य है कि ऐसा साहित्य आम आदमी तक पहुँच नहीं पा रहा है। ऐसे साहित्य को बोधगम्य और नोकसुलभ बनाने के हमारे प्रयत्नों में ही समता-समाज-रचना में साहित्य की भूमिका की सफलता-असफलता निर्भर है।



मनुस्मृतिके मृष्टि में एक ही प्राण चेतना व्याप्त है। मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी, वनस्पति यहां तक कि पृथ्वी, जल वायु, और तेजस् में भी जीवन-शक्ति का जो संचार है, वह परस्पर एक दूसरे के लिए समर्पित है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह विविध रूपों में मचरित इस प्राण-चेतना को आघात पहुंचाये, इसका हनन करे। पशु-पक्षियों का तो मानव-जीवन के साथ गहरी मैत्री और विश्वास का सम्बन्ध है। आदि कवि वाल्मीकि तो श्रीडारत क्रांच दम्पती में से एक को आहत देखकर विह्वल हो उठे थे और उनका शोक ही आदि ग्लोक बन गया। महाकवि जायसी का हीरा मन तोता राजा रत्नसेन के लिए गुरु सिद्ध हुआ। हंस, भ्रमर, कबूतर, कुरजा आदि मन्देणवाही दूत के रूप में मानव जीवन के विश्वासपात्र साथी रहे हैं। घोड़ा स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप की रक्षा में प्राण होम दिये। ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जहां मनुष्य ने पशु-पक्षियों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। राजा दिलीप ने नन्दिनी गाय को सिंह के मुख में बचाने के लिए अपने को उपस्थित कर दिया। राजा शिवि और मेघरथ ने बाज ने निरीह प्राणी कबूतर को बचाने के लिए अपने आपको न्यौछावर कर दिया। मध्य युग में पावूजी, गोगाजी जैसे लोक वीरो ने गायों की रक्षा में अपना प्राणान्त कर दिया।

मानव संस्कृति के विकास में पशु-पक्षियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। पौराणिक सदर्म में अवतारवाद की जो कल्पना है, उसमें मछली, बछुए, मृगर और नरसिंह (नर्मिह) अवतार के बाद मनुष्य के रूप में ईश्वर के अवतरण का आह्वान है। जैन मान्यता के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 15 तीर्थंकरों के चिह्न पशु-पक्षियों में सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए भगवान् ऋषभदेव का चिह्न वृषभ है तो अजितनाथ का हाथी, मभवनाथ का घोड़ा है तो अभिनन्दन का वानर, मुमतिनाथ का कौच है तो मुविधिनाथ का मगर, श्रेयासनाथ का गैदा है तो वामपूज्य का बैला। विमलनाथ का बराह है तो अनन्तनाथ का बाज। शान्तिनाथ का हिरण है तो कुन्धुनाथ का द्वाग। मुनिमुद्रत का कन्धुप्रा है तो पार्श्वनाथ का माप और महावीर स्वामी का सिंह। भगवान् नेमिनाथ तो पशु-पक्षियों की रक्षा के लिए राजमनी को अनव्याहं, तीरण में वापस लौट गये थे। इतना ही नहीं, मानव समुदाय के विभिन्न गोत्रों में नाटर, हिरण,

जीवन-व्यवहार

हाथी, मिन्री, नाग, बया, साड, गोधा, घोडा, भेष, गदहा आदि जुडे हुये हैं। इन विभिन्न मदर्भों से मानव-जीवन मे पशु-पक्षियो की प्रभावकारी भागीदारी का पता चलता है।

इतिहास बताता है कि मनुष्य और पशु-पक्षियो का इतना प्रगाढ सम्बन्ध होते हुए भी मानव उनके प्रति क्रूर व्यवहार करता रहा है। कभी धर्म के नाम पर देवी-देवताओ को प्रसन्न करने के लिए उसने इनका बलिदान किया तो कभी मनोरजन के नाम पर इनके प्रति निर्दयता का व्यवहार किया है। कभी इन्द्रिय-लोलुपता के वशीभूत होकर वह इनका वध करता रहा है तो कभी सौंदर्य-प्रसाधनो के निर्माण मे इन मूक प्राणियो को होमता रहा है। समय-समय पर महापुरुषो ने पशु-पक्षियो के प्रति इस प्रकार किये जा रहे अत्याचारो के खिलाफ आवाज बुलन्द की है। भगवान् महावीर ने अपने समय मे यज्ञ मे बलिदान किये जाने वाले मूक पशुओ की रक्षा के लिए अहिंसा का उपदेश दिया और कहा कि जैसी तुम्हारी आत्मा है, वैसी सभी प्राणियो की आत्मा है। मध्ययुग मे मासाहार के खिलाफ कठोर शब्द मे सत कबीर ने चेतावनी दी—

बकरी पाती खात है, ताकी काढी खाल।
जो बकरी को खात है, ताको कौन हवाल ॥

आधुनिक युग मे महात्मा गांधी, बर्नाडंशा आदि ने मासाहार के खिलाफ अपनी वाणी बुलन्द कर शाकाहार का प्रचार किया। यही नही, जगदीश चन्द्र वसु जैसे वैज्ञानिक ने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया कि वनस्पति मे भी जीव है।

इतना सब कुछ होते हुए भी, आज ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे वढोतरी होने पर भी, मनुष्य की क्रूरता मे कमी नही आयी है। प्रसिद्ध विचारक सनेका का कथन है कि समस्त क्रूरताएँ कठोर हृदयता एव दुर्बलता मे से जन्म लेती हैं। आज मनुष्य सर्वाधिक क्रूर बन गया है। पशुओ के प्रति क्रूरता ने व्यापार का रूप ग्रहण कर लिया है। और मनुष्य ही नही, पूरा का पूरा राष्ट्र और राष्ट्रो का समुदाय इस क्रूरता मे प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यह स्थिति अत्यन्त भयावह और शोचनीय है।

देश-विदेश के प्रमुख समाचार-पत्रो मे यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पश्चिम यूरोप मे इस साल के अन्त तक करीब पाच लाख गायो की हत्या कर दी जायेगी। यूरोपीय साम्राज्य ने किसानो को चेतावनी दी है कि जो लोग एक सीमा से ज्यादा दूध या दूध से बनी चीजो का उत्पादन करेगे, उन्हें भारी जुर्माना

भरना होगा। इन देशों के किसानों के पास 85 हजार टन मक्खन और दूध की बनी चीजें पाउडर आदि का 631 हजार टन भण्डार पहले से है। इन चीजों की बाजार में माग नहीं है और मफ्नाई ज्यादा है। अतः आर्थिक दबाव इस बात के लिए उन्हें विवश कर रहा है कि इनके खेत गायों का वध कर दिया जाय। समाचारों के अनुसार ब्रिटेन में 1983 में अब तक करीब दो लाख गायों की हत्या की जा चुकी है और यह मिल्सिल्ला जारी है। पश्चिम जर्मनी ने 2 लाख 60 हजार गायों को मौत के घाट उतारने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मनुष्यों का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय सरकारों का निर्णय है। घन-लोभ और भौतिक आसक्ति मनुष्यों और राष्ट्रों को किम निम्न स्तर तक उतार लायी है, यह डमका नमूना है।


आज मानव-सभ्यता और मन्कृति की कड़ी परीक्षा है। गायों का यह कत्ले-आम न केवल पशु रूप में गायों का वध है वरन् मानवीय करुणा, प्रेम और सद्भावना की मौत है। गाय जीवन के उदात्त मूल्यों की प्रतीक है। वह स्नेह, सेवा, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वह मा है जो सब कुछ देती है। अपना दूध स्वयं के लिए नहीं रखती। उसके दूध से मनुष्य की जीवन-शक्ति का रक्षण और सवर्धन होता है। उसकी नताने मनुष्य के प्राणों की आधार कृपि को फलीभूत करने में महायक बनती है। उसका गोबर बीज को वृक्ष बनाने में मदद करता है। उनका अग-प्रत्यग मानव के लिए, प्रकृति के लिये समर्पित है। 'गाय का अस्तित्व मानवता का अस्तित्व है। गाय का नाश मानवता का नाश है।' इस मृत्यु को जितना जल्दी हृदयगम किया जाय उतना ही श्रेष्ठ है। पर्यावरण की समस्या आज मुह् बायें खड़ी है। जन, स्थल और वायु प्रदूषित होते जा रहे हैं। गाय है तो जगल है, चरागाह है, तालाब है और इन सबके फलस्वरूप वातावरण की स्वस्थता है, नाजगी है।

आज मनुष्य इतना स्वार्थी और निस्तेज क्यों हो गया है? मा के दूध की एक बूद के लिए कभी वह मर मिटता था, अपना सर्वस्व द्रोम कर देता था। पर क्या आज वह गौमाता के दूध को यो व्यर्थ बहने देगा? कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दूध के अभाव में बच्चे तड़प रहे हैं। वे रुग्ण और अणक्त हैं। उन्हें दूध की जरूरत है। वे दूध पीकर मानवता को नयी शक्ति और स्फूर्ति दे सकते हैं। अहिंसा और प्रेम से श्रोत-श्रोत भाग्य क्या इन मूत्र पशुओं को अपनी घरती पर नहीं ला सकता? भाग्यवर्ष मन्तों, शूरावीरों और दानवीरों का देश है। सन्त तो प्राणी मात्र के रक्षक हैं। क्या उनकी प्रेरणा जन-जन से जागृत नहीं कर सकती कि वे इन गायों को अपनी घरती का प्यार दें, अपनी नदियों को पानी दें? क्या यहाँ की गौ-शालायें इन माताओं को प्राथम्य नहीं दे सकती? क्या दुग्ध व्यवसाय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और ममृद्धि का

जीवन-व्यवहार

प्रतीक मानने वाली प्रान्तीय सरकारें और देश के विभिन्न डेयरी फ़ैडरेशन पश्चिमी देशो से बातचीत कर इन पाच लाख गायो को अपने यहा मगवाकर देश मे दूध की नदिया बहाने की पहल नही कर सकते ? कर सकते हैं, पर चाहिए हृदय का सहज प्रेम, दृढ इच्छा-शक्ति और सामूहिक प्रयत्न ।

आशा है, समाज के अहिंसा प्रेमी कर्णधार और जन-जन के कल्याण की कामना करने वाले सन्त-महात्मा इस समस्या को गम्भीरता से लेंगे और ऐसी प्रेरणा जगायेंगे कि हर परिवार गौ-माता की सेवा करने को सकल्पित हो और इन मूक प्राणियों की रक्षा हो ।



भारतीय जीवन और सस्कृति मे पर्व और त्यौहारो का विशेष महत्त्व है। पर्व और त्यौहार जीवन की नीरसता और जडता को भग कर उसमे सरसता और नवचेतना का सचार करते है। हमारे जो मुख्य पर्व और त्यौहार हैं वे ऋतु परिवर्तन अथवा प्रकृति परिवर्तन के सूचक है। बाह्य प्रकृति मे काल-प्रवाह के साथ जो परिवर्तन होता है उससे हमारे जीवन के तौर-तरीके और क्रिया-व्यापार प्रभावित होते हैं। इस दृष्टि से ये पर्व और त्यौहार अपने वहिर्मुखी व्यक्तित्व के साथ-साथ आन्तरिक व्यक्तित्व और गुणवत्ता लिये हुए हैं। दीपावली, रक्षावधन, दशहरा, मकर मकरान्ति, अक्षय तृतीया, होली आदि लोक पर्वों को इस दृष्टि से देखा-परखा जाना चाहिए।

जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर अभिमुख होता है, प्रकृति मे परिवर्तन परिलक्षित होने लगता है। सर्दी समाप्त होती है और उसकी कूख से गर्मी पैदा होने की प्रक्रिया आरम्भ होती है। इस अवस्था को वसन्त कहा गया है। सर्दी और गर्मी के सविकाल मे होली पर्व आता है। इस पर्व के इदं-गिदं प्रकृति के कण-कण मे चेतना का स्फुरण होता है। प्राचीनता के प्रतीक पुराने पत्ते भड जाते है, और उनका स्थान नये पत्ते लेते है। नवीनता का अभिग्रहण इसकी प्रमुख विशेषता है। नवीनता को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की मानसिकता और सकल्प-शक्ति की आवश्यकता होती है। इस वल का सचय नवीन भावो और विचारो का बाहक बनता है। प्रकृति मे शरद् ऋतु एक प्रकार मे शक्ति-सचय की ऋतु है। शक्ति का सचय जब अपने मे सीमित न रहकर लोक-कल्याण के लिए प्रवृत्त होता है, तब वह नव और चेतना, उमग और प्रसन्नता का भाव अभिव्यक्त करता है। वसन्त ऋतु के रूप मे प्रकृति का पल्लवित, पुष्पित और फलित होना प्रवारान्तर मे सचित शक्ति का लोक-कल्याण के लिए समर्पण और वितरण है।

“होली” शब्द मे परिपक्वता और पूर्णता का भाव है। जो फल पक गई है, पूर्ण हो गई है, उसके विवेकपूर्ण उपयोग का भाव-मदर्म होली पर्व के साथ जुडा हुआ है। जनश्रुति के रूप मे होली पर्व के साथ दो कथाए या घटनाए लोक-मानस मे प्रनलित है। एक कथा या घटना होली पर्व के सदर्म को काम-विजय से जोडनी

है। कहा जाता है कि जब ताडकासुर के अन्याय और अत्याचारों से लोक सतप्त और पीडित हो उठे तो उस पर विजय प्राप्ति के लिए शिव से उत्पन्न शक्ति का नेतृत्व आवश्यक था। इसके लिए कामदेव ने वसन्त से मिलकर तपस्यारत्त शिवजी को उत्प्रेरित किया। परिणामस्वरूप शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से काम का दहन कर शक्ति रूप में कार्तिकेय की सृष्टि की। इस कथा का एक प्रतीकार्थ यह हो सकता है कि जब तक काम का दहन नहीं होता तब तक शक्ति आविर्भूत नहीं होती। शक्ति के इस आविर्भाव में काम-दहन की बड़ी भूमिका है। जब चेतना विवेकपूर्वक काम को निःशेष कर देती है तब जो शक्ति आविर्भूत होती है उसके आगे अन्याय और अत्याचार ठहर नहीं पाते। शिव-शक्ति का यह गठवधन मानव मात्र के लिए कल्याणकारी और मंगलमय होता है।

ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि वसन्तोत्सव या मदनोत्सव, राग-रग और आमोद-प्रमोद का पर्व है। पर जब भीतर में गहरे पँठते हैं तो अनुभव होता है कि यह राग-रग और आमोद-प्रमोद बाहरी धरातल पर न होकर आन्तरिक चेतना के विकास पर आधारित है और चेतना का यह विकास कामना को जय करने में है। कामना को जय करने का अर्थ है उन सारे विकारों पर विजय प्राप्त करना जो चेतना को कलुषित करते हैं, विकृत करते हैं। इस दृष्टि से होली पर्व विकारों को नष्ट करने का पर्व है।

विकार चेतना को ग्रस्त कर चित्त की निर्मलता और मानसिक प्रसन्नता को कुद या मद कर देते हैं। होली के साथ जुड़ा हुआ होलिका-दहन का प्रसंग इस दृष्टि से बड़ा व्यञ्जनापूर्ण है। कहा जाता है कि हिरण्य कश्यप सात्विक वृत्तियों का विरोधी था। वह अपने को सर्वस्व समझता था। उसमें दम्भ और दर्प कूट-कूटकर भरे थे। प्रभु भक्त प्रह्लाद अर्थात् चेतना रूप निर्मल वृत्ति (प्रसन्नता की भावना) को वह नाना प्रकार से प्रताडित करता रहा। उसकी बहिन होलिका भी इस कार्य में उसकी सहयोगी थी। उसे आग में न जलने का वरदान मिला हुआ था। अपने भतीजे प्रह्लाद को नष्ट करने के लिए वह उसे अपने साथ लेकर आग में बैठ गयी। उसे विश्वास था कि प्रह्लाद जलकर नष्ट हो जायेगा और वह अपने वरदान के फलस्वरूप आग से अप्रभावित रहेगी। पर हुआ उसका उल्टा। होलिका जलकर भस्म हो गयी और प्रह्लाद आग में भी हँमता रहा, मुस्कराता रहा। उस घटना की स्मृति में आज भी होली जलायी जाती है। यहाँ होलिका दम्भ, असत् और अन्याय का प्रतीक है और प्रह्लाद सत्य, न्याय और आह्लाद (प्रह्लाद) भाव का प्रतीक है। दोनों घटनाओं को साथ-साथ देखे तो स्पष्ट होता है कि काम पर विजय प्राप्त करने से चित्त का कालुष्य समाप्त होता है। और प्रसन्नता का, आह्लाद का भाव विकसित होता है। यह प्रह्लाद की भावना जन-जन को ही नहीं कण-कण

को मंत्री भाव से जोड़ती है। इस मंत्री भाव का प्रतीक है सूर्य। जिसे सस्कृत में 'मित्र' कहा गया है। वनन्त ऋतु आने पर सूर्य हमारे जीवन के अधिक निकट आने लगता है। मित्र शब्द "मिद्" धातु से बना है। जिसका अर्थ है—स्नेह। सूर्य अपनी उष्मा से हमारे शरीर में रहे हुए जल तत्त्व को आकर्षित करता है, उत्प्रेरित करता है। इसीलिए जब हृदय में किसी के प्रति प्रेम, स्नेह और करुणा का भाव प्रकट होता है तो हृदय गद्गद हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आँखों में अश्रु छलक पड़ते हैं, और पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है। अपने मित्र सुदामा के प्रति कृष्ण के हृदय में इतना मंत्री भाव उमड़ा कि कवि नरोत्तमदास के शब्दों में कृष्ण ने परात के पानी को नहीं छुआ और अपने नेत्रों में छलछलाये आसुओं की धारा ने सुदामा के पैर धोये—

'पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल से पग धोये।'

होली का पर्व वस्तुतः प्रेम और मंत्री का पर्व है। इस पर्व के साथ रंग खेलने का जो नदर्भ जुड़ा हुआ है वह वस्तुतः हृदय की कोमल भावनाओं को व्यजित करने का तरीका है। इस प्रेम के प्रसार में वर्ण, जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि किसी का भेद नहीं रहता। प्रकृति भी विविध रंगों में खिलकर अपना स्नेह और उल्लास प्रकट करती है। होली के साथ जुड़े हुए इस व्यापक लोकधर्म के मर्म को न समझने के कारण रंग खेलने और आमोद-प्रमोद मनाने के नाम पर कई विकृतियाँ आ गई हैं। आवश्यकता है कि हम इन विकृतियों को दूर कर सच्चे अर्थों में काम-जय करते हुए प्राणीमात्र के प्रति प्रह्लाद की भावना फैलाये। तभी सही होली खेलने का भाव हम रूप में उजागर हो सकेगा—

चिदानन्द खेले होरी, सग लिये समता गौरी।
भाव मृदग, दया डफ, वाजत, विनय विवेक धुनि जोरी।
पाच सुमति जिहा भाँभ वजत है, योग जुगति ताल वजोरी।
स्नेह, विनय, वैराग्य, अरगजा, निर्मल मन केसर घोरी।



